न्यायालय बाईसवें जिला न्यायाधीश, इन्दौर (म०प्र०)
(पीठासीन अधिकारी– विनोद कुमार शर्मा)

Registration No. EP/04/2022
Filing No. EP/7139/2022
CNR No. MP0901-037522-2022
Filing Date 23-08-2022
Date of Institution 29-08-2022

इफ्तेखार अन्सारी पिता नूर मोहम्मद, वर्तमान आयु लगभग 66 वर्ष, व्यवसाय–व्यापार, पता–22/1, दौलतगंज, गली नंबर–02, इन्दौर (म0प्र0) ——— **याचिकाकर्ता**

:: विरूद्ध ::

01. सुनहरा अंसारी पति अंसाफ अंसारी, वर्तमान आयु लगभग–50 वर्ष, व्यवसाय–गृहकार्य, निवासी–26/3, दौलतगंज रानीपुरा, इन्दौर (म0प्र0)

02. श्रीमती आयशा बी पति मजहर हुसैन, वर्तमान आयु लगभग–45 वर्ष, व्यवसाय–गृहिणी, निवासी–74, दौलतगंज मेनरोड़, इन्दौर (म0प्र0)

03. श्रीमती आरती वर्मा पति विनोद वर्मा, वर्तमान आयु लगभग–36 वर्ष, व्यवसाय–गृहकार्य, पता–पुराना मकान नंबर–42/9, नया मकान नंबर–38/7, वेयर हाउस रोड़, इन्दौर (म0प्र0)

04. श्रीमती रंजना पिपले पति अनिल पिपले, वर्तमान आयु लगभग–50 वर्ष, व्यवसाय–गृहिणी, पता–पुराना मकान नंबर–29, नया मकान नंबर–30, जगजीवनराम कॉलोनी, रानीपुरा, इन्दौर (म0प्र0)

05. यासमीन अंसारी पति इफ्तेखार एहमद अंसारी, वर्तमान आयु लगभग–55 वर्ष, व्यवसाय–व्यापार, कृषि, निवासी–22/1, दौलतगंज, गली नंबर–02, इन्दौर (म0प्र0)

——— **प्रत्यर्थीगण/अनावेदकगण**

याचिकाकर्ता द्वारा	:	श्री विजय शर्मा, अधिवक्ता।
अनावेदक कमांक 01 द्वारा	:	श्री विशाल बाहेती, वरिष्ठ अधिवक्ता सह श्री अनिल सोलंकी, अधिवक्ता।
अनावेदक कमांक 02	:	एकपक्षीय।
अनावेदक कमांक 03 द्वारा	:	श्री अभिशय जैन, अधिवक्ता।
अनावेदक कमांक 04 द्वारा	:	श्री पंकज विश्वकर्मा, अधिवक्ता।
अनावेदक कमांक 05 द्वारा	:	श्री मुश्फिक खान, अधिवक्ता।

—:::— आ दे श —:::—

(आज दिनांक 17/07/2026 को पारित)

01:– यह चुनाव याचिका अन्तर्गत धारा 441 मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 के तहत वार्ड कमांक 60, नगर पालिक निगम, इंदौर के पार्षद पद पर निर्वाचित अनावेदक कमांक 01 सुनहरा अंसारी पति अंसाफ अंसारी के निर्वाचन को शून्य घोषित कराने एवं अनावेदक कमांक 05 यासमीन अंसारी पति इफ्तेखार एहमद अंसारी को विजेता घोषित किए जाने के लिए प्रस्तुत की गई है।

02:– प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि नगर पालिक निगम, इंदौर के महापौर व पार्षद पदों के लिए दिनांक 06.07.2022 को निर्वाचन हुआ था, जिसके चुनाव परिणाम की घोषणा दिनांक 17.07.2022 को की गई थी, जिसमें वार्ड कमांक 60 के लिए अनावेदक कमांक 01 सुनहरा अंसारी पति अंसाफ अंसारी को पार्षद पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया था। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि उक्त वार्ड कमांक 60 के पार्षद पद

के लिए कुल 05 उम्मीदवार खड़े हुए थे, जो अनावेदक क्रमांक 01 लगायत 05 हैं। प्रकरण में यह भी स्वीकृत तथ्य है कि उक्त वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद पद के 05 उम्मीदवारों में से इण्डियन नेशनल कॉंग्रेस पार्टी की उम्मीदवार अनावेदक क्रमांक 01 सुनहरा अंसाफ अन्सारी को सर्वाधिक 4,987 मत प्राप्त हुए थे।

03:– याचिका के तथ्य संक्षेप में यह हैं कि :–

(i) मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 व मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 24(क) के तहत प्रत्येक प्रत्याशी के लिए नामांकन पत्र के साथ उसके विरूद्ध लंबित आपराधिक प्रकरणों व आपराधिक पृष्ठभूमि की जानकारी, स्वयं व पति/पत्नी एवं आश्रितों की जंगम व स्थावर सम्पत्ति की जानकारी व उनका बाजार मूल्य प्रकट करना आवश्यक है। किसी लोक वित्तीय संस्था, केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के प्रति दायित्वों की जानकारी एवं शैक्षणिक योग्यताओं के संबंध में सही व वास्तविक जानकारी विविध प्रारूप के शपथ–पत्र में नाम निर्देशन पत्र के साथ दी जाना अनिवार्य है। यदि कोई प्रत्याशी उक्त नियम 24(क) का अपालन करता है, तो उसका निर्वाचन शून्य घोषित किए जाने योग्य होगा।

(ii) अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र में स्वयं की, पति की, आश्रितों की जंगम तथा स्थावर सम्पत्ति, जिसमें उसका पति संयुक्ततः स्वामी तथा हिताधिकारी है, की घोषणा जान–बूझकर नहीं की गई एवं अपनी सम्पत्तियों के संबंध में बाजार मूल्य व देय कर संबंधी जानकारियों को छिपाते हुए असत्य एवं अधूरी जानकारियॉं प्रस्तुत की हैं, जिसके कारण वार्ड क्रमांक 60 के मतदाताओं द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 के सम्बन्ध में वास्तविक जानकारियों के अभाव में उसके पक्ष में

मतदान किया, जिससे निर्वाचन का परिणाम महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ।

(iii) अनावेदक कमांक 01 एवं उसके पति के नाम की निम्नलिखित सम्पत्तियों पर नगर पालिका निगम इंदौर का बकाया था, जिसे जान–बूझकर अपने शपथ–पत्र में छिपाया है– (**अ**) अनावेदक कमांक 01 के पिता स्वर्गीय हाजी आफताब अहमद पिता हाजी नूर मोहम्मद शहर इन्दौर के दौलतगंज स्थित म्यू0 भवन कमांक 26/3, (**ब**) म्यू0 भवन कमांक 31/2/3, (**स**) म्यू0 भवन कमांक 39/3 एवं (**द**) म्यू0 भवन कमांक 20/3 पर निर्मित भवनों के स्वामी एवं स्वत्वधारी थे, उनकी मृत्यु के उपरांत अनावेदक कमांक 01 के पति अंसाफ अंसारी पिता आफताब अंसारी स्वर्गीय हाजी आफताब अहमद के अन्य वारिसों के साथ उक्त सम्पत्तियों में संयुक्ततः स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं, उक्त चारों मकानों पर एक वर्ष से अधिक की अवधि का इन्दौर नगर पालिक निगम का कमशः रूपए 21,114.50/– (जल कर), रूपए 49,041/–(जल कर), रूपए 5,366.40/– (सम्पत्ति कर) एवं रूपए 76,395/– (सम्पत्ति कर) बकाया है, जो कि हाजी आफताब अहमद के अन्य वारिसों के साथ अनावेदक कमांक 01 के पति अंसाफ अंसारी पर नगर पालिक निगम, इन्दौर का शासकीय शोध्य है।

(iv) इसी प्रकार अनावेदक कमांक 01 द्वारा दौलतगंज, इन्दौर स्थित (**ई**) मकान नंबर 10/3 को अपने शपथ–पत्र में 200 वर्गफीट होना बताया है, जबकि वास्तव में यह सम्पत्ति दो मंजिल होकर 400 वर्गफीट है, जिसमें से प्रथम मंजिल का 200 वर्गफीट का निर्मित भाग छिपाया है, उक्त सम्पत्ति का एक वर्ष से अधिक का रूपए 19,839.14/– का नगर पालिक निगम, इन्दौर को देय सम्पत्ति कर बकाया था। इसी प्रकार अनावेदक कमांक 01 द्वारा दौलतगंज, इन्दौर स्थित (**फ**) मकान नंबर 39/3 आकार 600 वर्गफीट को अपने शपथ–पत्र में विरासत में प्राप्त होना बताया

है, किन्तु उक्त सम्पत्ति को भिन्न–भिन्न सम्पत्ति कर खातों में बताकर सम्पत्ति कर का भुगतान नहीं किया जा रहा है, जबकि धारा 136 मध्यप्रदेश नगर पालिक अधिनियम के अनुसार अनावेदक कमांक 01 सम्पत्ति कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है एवं उक्त अधिनियम की धारा 17(1)(आई) के अनुसार अनावेदक कमांक 01 पार्षद का पद धारण करने के अयोग्य है।

(v) अनावेदक कमांक 01 ने नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र के चरण कमांक 07 में अनावेदक कमांक 01 द्वारा उपचरण ''अ'' में जंगम आस्तियों के ब्योरे में समग्र कुल मूल्य के कॉलम में आश्रित रहमान के कॉलम में लागू नहीं लिखा है, इसी प्रकार उपचरण ''ख'' स्थावर सम्पत्तियों के ब्यौरे में उपचरण ''4'' पृष्ठ कमांक 8 में आवासीय भवन को पूरी तरह खाली छोड़ते हुए निरंतर लिखा गया है। शपथ–पत्र के पेज 09 पर कॉलम 06 में पूर्वोक्त 01 लगायत 05 का कुल चालू बाजार मूल्य लिखाया जाना था, जो कि नहीं लिखा गया और कॉलम में निरंक लिखा गया है। शपथ–पत्र के पेज 12 पर आस्तियों और दायित्वों के ब्यौरे की कम संख्या ''क'' में आश्रित रहमान की कुल जंगम आस्तियों का ब्यौरा रूपयों में दिया जाना था, जो कि नहीं दिया जाकर निरंक लिखा गया है। स्थावर आस्तियों के वर्तमान बाजार मूल्य नहीं लिखकर निरंक लिखा गया है।

(vi) वर्ष 2015 के शपथ–पत्र में अनावेदक कमांक 01 का आयकर संबंधी न तो पेनकार्ड था और न ही विवरणी भरी गई थी, वर्ष 2022 के शपथ–पत्र में अनावेदक कमांक 01 की वर्ष 2022–23 की आय रूपए 4,26,200/– गृहकार्य से एवं उसके पति की वर्ष 2022–23 की आय रूपए 4,44,160/– रूपए किराये से अर्जित होना बताई गई है, जो गृहकार्य से हुई आमदनी उसके पति की किराये से अर्जित आय से केवल

17,960/– रूपए ही कम है, जबकि गृहकार्य एवं किराये से इतनी आय अर्जित नहीं होती है, अनावेदक क्रमांक 01 ने अपने पति की केवल 357 वर्गफीट जगह ही किराये से देना बताया है, जिसका किराया उपरोक्तानुसार नहीं हो सकता है, इस प्रकार जीविका के उपार्जन संबंधी ब्यौरा देने में छल किया गया है।

(vii) मतदान के पूर्व दिनांक 30.06.2022 से दिनांक 05.07.2022 तक एक सोचे–समझे षड़यंत्र के तहत अनावेदक क्रमांक 01 और उसके कार्यप्रतिनिधि अंसाफ अंसारी, जावेद बटेर द्वारा संगमत होकर याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत चरित्र, आचरण के संबंध में बिना किसी आधार के पूर्णतः मिथ्या वक्तव्य प्रकाशन किया, जो प्रत्याशी पर प्रतिकूल प्रभाव डालने एवं याचिककर्ता तथा अनावेदक क्रमांक 05 को मतदाताओं की नजर में बदनाम करने के आशय से किया गया एवं मतदाताओं का चित अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बिना मुद्रक प्रकाशक का नाम एवं पते के "तस्वीरें बोल रही हैं, कौम के दलाल सामने हैं" शीर्षक का पम्पलेट का वितरण किया। वार्ड क्रमांक 60 एक मुस्लिम बहुल वार्ड है, जिसमें अधिकांश मतदाता मुस्लिम हैं, उक्त पम्पलेट अंसाफ अंसारी द्वारा पूरे वार्ड में घर–घर बांटे, जिसकी शिकायत अनावेदक क्रमांक 05 द्वारा तत्काल निर्वाचन अधिकारी /नोडल अधिकारी एवं संबंधित थाना क्षेत्र रावजी बाजार में की, उक्त पम्पलेट से मतदाताओं का चित्त प्रभावित हुआ।

(viii) दिनांक 05.07.2022 को अनावेदक क्रमांक 01 के कार्यकर्ता शाहरूख द्वारा वाटसअप नंबर 7869385567 से चंपाबाग शेरदिल ग्रुप में अनावेदक क्रमांक 05 के संबंध में मिथ्या कथन "निर्दलीय उम्मीदवार यासमीन मुन्ना अन्सारी का कांग्रेस को समर्थन। कांग्रेस के समर्थन में लगाया होर्डिग। सुनेहरा अनसाफ अंसारी को जिताने की अपील।" वायरल किया, जिससे मतदाताओं को भ्रम हुआ और उनके द्वारा

अनावेदक क्रमांक 01 के पक्ष में मतदान किया। दिनांक 30.06.2022 को कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में चंपाबाग में आयोजित आमसभा में अनावेदक क्रमांक 01 एवं निर्वाचन अभिकर्ता अंसाफ अंसारी ने याचिकाकर्ता पर व्यक्तिगत लांछन लगाए एवं याचिकाकर्ता पर रासुका लगवाने और जिला बदर करवाने की बात कही, जिसकी शिकायत भी जिला निर्वाचन अधिकारी से की गई। अनावेदक क्रमांक 01 एवं उसके कार्यप्रतिनिधगणों द्वारा मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से नगद धनराशि, शराब एवं राशन देकर प्रलोभन दिया, जिसकी संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट क्रमांक 178/2022 अंतर्गत धारा 188, 171बी और 171 ई, 34 भा0दं0सं0 थाना सेन्ट्रल कोतवाली, इंदौर में दिनांक 04.07.2022 को उज्ज्वल फणसे द्वारा दर्ज कराई गई।

(ix) अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन करते हुए सरकारी सम्पत्ति का उपयोग किया, निर्वाचन अधिकारी से अनुमति के बगैर सभाओं का संचालन कर लाउड स्पीकर का उपयोग किया, जिसकी शिकायत तत्काल निर्वाचन कार्यालय एवं थाना रावजीबाजार, इंदौर में की गई। इस प्रकार अनावेदक क्रमांक 01 ने उपरोक्तानुसार असत्य व अधूरी जानकारियॉ प्रेषित कर व महत्वपूर्ण जानकारियों को छिपाकर मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 व मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 24(क) का अपालन किया है, जिससे निर्वाचन महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित हुआ है, अनावेदक क्रमांक 01 की सहमति से उसके कार्यप्रतिनिधियों द्वारा याचिकाकर्ता के विरूद्ध आधारहीन, अनर्गल, असत्य एवं मनगढ़न्त आरोप लगाए, जिससे वार्ड क्रमांक 60 के मतदाता प्रभावित हुए, इसलिए अनावेदक क्रमांक 01 का निर्वाचन व नाम निर्देशन शून्य घोषित किए जाने व अनावेदक क्रमांक 05 को वार्ड क्रमांक 60, नगर पालिक निगम, इंदौर के पार्षद पद पर विजेता घोषित किए जाने

की सहायता प्रदान करने का निवेदन किया है।

04:– स्वीकृत तथ्यों के अतिरिक्त याचिकाकर्ता के शेष अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत कर अभिवचन किया गया है कि :–

(i) याचिकाकर्ता को चुनाव याचिका प्रस्तुत करने की पात्रता नहीं है, नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र में अंतर्विष्ट सामग्री के संबंध में कोई भी आपत्ति केवल नियम 24–क(5) के प्रावधानों के अनुसार नाम निर्देशन पत्र की जॉच के पूर्व ही की जा सकती है, नाम निर्देशन पत्र की जॉच करने के उपरांत रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्वीकार कर लेने के पश्चात् शपथ–पत्र की अन्तर्विष्ट सामग्री के अपूर्ण या अविश्वसनीय होने के आधार पर न तो नाम निर्दशन पत्र निरस्त किया जा सकता है, न ही निर्वाचन निरस्त किया जा सकता है। शपथ–पत्र में सम्पत्ति का बाजार मूल्य लेख करना आवश्यक नहीं है, याचिका के उपचरण 4(अ) में वर्णित सम्पत्ति 26/3, दौलतगंज, इंदौर में अनावेदक क्रमांक 01 का कोई स्वत्व, स्वामित्व नहीं है, उक्त सम्पत्ति में प्राप्त हक अनावेदक क्रमांक 01 के पति ने अपनी सगी बहन शाहिदा बी पति मोहम्मद सलीम अंसारी को दिनांक 01.03.2003 को जबानी हिबा कर दिया और शाहिदा बी ने हिबा में प्राप्त करना स्वीकार कर आधिपत्य प्राप्त कर लिया। याचिका के उपचरण 4(ब) में वर्णित भवन क्रमांक 31/2/3 दौलतगंज, इंदौर में अनावेदक क्रमांक 01 एवं उसके पति का कोई हित अधिकार नहीं है।

(ii) याचिका के उपचरण 4(स) में वर्णित म्युनिसिपल भवन क्रमांक 39/3 का स्थान 600 वर्गफीट ही है, जिसके संबंध में कोई सम्पत्ति कर अथवा जल कर इत्यादि बकाया नहीं है। याचिका के उपचरण 4(द) में वर्णित सम्पत्ति 20/3, दौलतगंज, इंदौर में अनावेदक क्रमांक 01 का कोई स्वत्व, स्वामित्व नहीं होकर, अनावेदक क्रमांक 01 के पति अंसाफ अंसारी

का एक छोटा सा भाग है, जिसका पूर्ण सम्पत्ति कर उसके पति द्वारा जमा करवाया हुआ है। याचिका के उपचरण 4(ठ) में वर्णित भवन कमांक 10/3, दौलतगंज, इंदौर अनावेदक कमांक 01 द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 03.12.2019 के द्वारा सईदा बी पति मोहम्मद मुखतियार से क्रय किया था, उक्त भवन का सम्पूर्ण टैक्स अनावेदक कमांक 01 द्वारा अदा किया गया है। विक्रय पत्र अनुसार उक्त मकान 286 वर्गफीट तल मंजिल पर एवं 286 वर्गफीट प्रथम मंजिल पर निर्मित था, पश्चात् में अनावेदक कमांक 01 ने उक्त मकान में से प्रथम मंजिल का सम्पूर्ण एवं तल मंजिल पर 86 वर्गफीट का भाग अपनी पुत्री श्रीमती नमरा बी पति अब्दुला अंसारी को उसके विवाह के समय दिनांक 28.11.2021 को गवाहों के समक्ष एलानिया हिबा कर आधिपत्य सुपर्द कर दिया था, जिसका नगर पालिक निगम में नामांतरण हेतु आवेदन भी दिया, उक्त मकान में से अनावेदक कमांक 01 के पास मात्र 200 वर्गफीट भाग ही स्वामित्व एवं आधिपत्य में था, किन्तु वर्तमान में उक्त सम्पूर्ण भवन का अस्तित्व ही नहीं रहा है, क्योंकि नगर पालिक निगम द्वारा उक्त भवन खतरनाक/जीर्ण–शीर्ण भवन होने से उसका हिस्सा हटाने हेतु पत्र दिया है तथा उसे जमींदोज कर दिया गया, उक्त भवन का वर्ष 2022–23 की सम्पूर्ण टैक्स अनावेदक कमांक 01 द्वारा जमा किया गया है, जिसका झोन कमांक 11 राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 11.06.2022 को नोड्यूज प्रमाण–पत्र जारी किया गया था।

(iii) याचिका के चरण 04 (फ) में दर्शायी गई सम्पत्ति का सम्पत्ति कर अदा किया गया है, शेष सम्पत्ति जिसके स्वामी पृथक–पृथक व्यक्ति हैं, के संबंध में अनावेदक कमांक 01 या उसके पति किसी भी रूप में सम्पत्ति कर अदा करने के उत्तरदायी नहीं हैं। अनावेदक कमांक 01 द्वारा शपथ–पत्र में वास्तविक आस्तियों के ब्यौरे दर्शाये गए हैं, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा स्वीकार किया गया है, याचिकाकर्ता किसी भी प्रकार की

कोई सहायता प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है, याचिकाकर्ता द्वारा कथित पेम्पलेट एवं उसके वितरण के संबंध में अनावेदक क्रमांक 01 को कोई जानकारी नहीं है, आमसभा आदि में दिए गए भाषण, नकद धनराशि, शराब एवं राशन के बांटने, सरकारी सम्पत्ति पर लाउड स्पीकर लगाए जाने के असत्य एवं बेबुनियाद आरोप लगाए गए हैं, असत्य रूप से निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस को शिकायतें की गई हैं, याचिका असत्य एवं बेबुनियाद आधारों पर प्रस्तुत की गई है, अनावेदक क्रमांक 01 महापौर या पार्षद के रूप में निर्वाचन के लिए निर्धारित अर्हताएं रखती है, याचिकाकर्ता द्वारा अनावेदक क्रमांक 04 एवं 05 से संगनमत होकर दुरभिसंधि कर याचिका प्रस्तुत की है, अनावेदक क्रमांक 04 एवं 05 आवश्यक पक्षकार भी नहीं है, क्योंकि वे उस दशा में आवश्यक पक्षकार होते, जबकि याचिकाकर्ता द्वारा स्वयं को निर्वाचित घोषित किए जाने की सहायता चाही गई होती, इसलिए याचिका को सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन किया।

05:— अनावेदक क्रमांक 02 एवं 03 के सम्यक् तामील उपरांत अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है, अनावेदक क्रमांक 02 एवं 03 की ओर से प्रकरण में कोई लिखित जवाब व साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है, लेकिन पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर अनावेदक क्रमांक 03 प्रकरण में उपस्थित है।

06:— अनावेदक क्रमांक 04 एवं 05 की ओर से पृथक–पृथक लिखित जवाब प्रस्तुत कर सारतः याचिकाकर्ता की याचिका का समर्थन किया है तथा याचिका में वांछित सहायता प्रदान किए जाने हेतु आदेश पारित करने का निवेदन किया है।

07:— उभयपक्ष के अभिवचनों एवं दस्तावेजों के आधार पर प्रकरण में पूर्व विद्वान पीठासीन अधिकारी द्वारा निम्नलिखित वाद–प्रश्नों की रचना

की गई है, जिनके सम्मुख विवेचन उपरांत मेरे द्वारा निष्कर्ष अंकित किये जा रहे हैं :–

क्रं.	वाद–प्रश्न	निष्कर्ष
01.	क्या अनावेदक क्रमांक 01 म0प्र0 नगर पालिक निगम निर्वाचन वर्ष 2022 में वार्ड क्रमांक 60, इंदौर के पार्षद पद पर चुने जाने के लिए अर्ह नहीं थी ?	**''हॉ''**
02.	क्या अनावेदक क्रमांक 01 ने नगर पालिक निगम निर्वाचन वर्ष 2022, वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद पद के लिए निर्वाचन के लिए जो शपथ–पत्र निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया था, उसमें झूठी, अधूरी व असत्य जानकारियॉ देकर म0प्र0 नगर पालिक निर्वाचन नियम 1994 के नियम 24–क का अपालन किया है ?	**''हॉ''**
03.	क्या अनावेदक क्रमांक 01 ने कथित नगर पालिक निगम निर्वाचन, 2022 के निर्वाचन के समय अपने स्वयं व अपने पति आदि परिजनों के सम्पत्ति कर, जल कर आदि कर दायित्वों को जान–बूझकर छिपाया है ?	**''हॉ''**
04.	क्या म0प्र0 नगर पालिक निगम निर्वाचन वर्ष 2022 में वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद पद के चुनाव के दौरान अनावेदक क्रमांक 01 का व्यवहार दूषित रहा है ?	**''नहीं''**
05.	क्या अनावेदक क्रमांक 01 का नगर पालिक निगम, इंदौर में वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद पद का निर्वाचन शून्य है ?	**''हॉ''**

06.	क्या अनावेदक क्रमांक 05 नगर पालिक निगम, इंदौर के वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद पद पर निर्वाचित घोषित करने की अधिकारी है ?	**''नहीं''**
07.	क्या यह वर्तमान याचिका म0प्र0 नगर पालिक निगम, 1956 के प्रावधानों के तहत विधि द्वारा वर्जित है ?	**''नहीं''**
08.	सहायता एवं व्यय ?	**'आदेश की अंतिम कण्डिका अनुसार याचिका आंशिक रूप से स्वीकार''**

:: निष्कर्ष के आधार ::

वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 :

08:– तथ्य एवं साक्ष्य का दोहराव न हो, साथ ही उक्त तीनों वाद प्रश्न एक–दूसरे से परस्पर संबंधित हैं, इसलिए सुविधा की दृष्टि से उक्त तीनों वाद प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

09:– याचिकाकर्ता ने यह याचिका वार्ड क्रमांक 60, नगर पालिक निगम, इंदौर की पार्षद पद पर निर्वाचित अनावेदक क्रमांक 01 के निर्वाचन व नाम निर्देशन पत्र को शून्य घोषित कराने व अनावेदक क्रमांक 05 को विजेता घोषित कराने की सहायता के लिए प्रस्तुत की है, इसलिए सर्वप्रथम इस संबंध में प्रचलित एवं प्रभावी विधि का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।

10:– मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 (जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से केवल 'अधिनियम, 1956' लिखा जावेगा) की धारा 441(1) के तहत उक्त अधिनियम के तहत कराए गए किसी भी निर्वाचन या नाम निर्देशन पत्र को धारा 441 के उपबंधों के अनुसार प्रस्तुत की

गई याचिका द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है, अन्यथा नहीं। उक्त अधिनियम, 1956 की धारा 441(2) के तहत ऐसी निर्वाचन याचिका केवल धारा 441–ख में निर्दिष्ट आधारों में से किसी एक या एक से अधिक आधारों पर प्रस्तुत की जा सकती है, अर्थात् किसी पार्षद या महापौर के चुनाव व नाम निर्देशन पत्र को उक्त अधिनियम, 1956 की धारा 441–ख में वर्णित विनिर्दिष्ट आधारों पर ही चुनौती दी जा सकती है, इन आधारों के अतिरिक्त अन्य किसी भी आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है।

11:– अधिनियम, 1956 की धारा 441–ख में निर्वाचन व नाम निर्देशन पत्र को शून्य घोषित किए जाने के आधारों का उल्लेख है, जो निम्नानुसार हैं :–

"441-B Grounds for declaring elections or nomination to be void :"

(1) Subject to the provisions of sub-section (2), if the Court is of the opinion :-

(a) that on the date of his election or nomination a returned candidate was not qualified or was disqualified, to be chosen as a Mayor or a Councillor, or

(b) that any corrupt practice has been committed by a returned candidate or his agent, or

(c) that any nomination paper has been improperly rejected, or

(d) that the result of the election, or nomination in so far as it concerns a returned candidate has been materially affected :-

(i) **by the improper acceptance of any nomination**

(ii) by a corrupt practice having been committed in the interest of the returned candidate by a person other than that candidate or his agent or a person acting with the consent of such

candidate or agent

(iii) by the improper acceptance or refusal of any vote or rejection of any vote which is void

(iv) by the non-compliance with the provisions of this Act or of any rules or orders-made there under save the rules framed under section 14 in so far as they relate to preparation and revision of list of voters; the Court shall declare the election of the returned candidate to be void.

(2) If the opinion of the Court a returned candidate has been guilty by an agent of any corrupt practice, but the Court is satisfied :-

(a) that no such corrupt practice was committed at the election or nomination by the candidate, and every such corrupt practice was committed contrary to the instructions, and without the consent of the candidate

(b) that the candidate took all reasonable means for preventing the commission of corrupt practices at the election or nomination

(c) that in all other respect the election or nomination was free from any corrupt practice on the part of the candidate or any of his agents; then, the Court may decide that the election or nomination or the returned candidate is not void."

12:– उक्त धारा 441–ख(i)(b) में 'दूषित व्यवहार' (corrupt practice) शब्दों का उपयोग किया गया है, इस दूषित व्यवहार को अधिनियम, 1956 की धारा 441–ज में ही परिभाषित भी किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

"441-H. Corrupt practices :-

The following shall be deemed to be corrupt practices for the purposes of this Act

(i) Bribery as defined in clause (1) of section 123 of

the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951).

(ii) Undue influence as defined in clause (2) of the said section.

(iii) The systematic appeal by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent, to vote or refrain from voting on grounds of caste, race, community or religion or the use of, or appeal to, religious symbols or, the use of, or appeal to national symbols such as the national flag or the national emblem for the furtherance of the prospects of that candidate‘s election.

(iv) The publication by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent of any statement of fact which is false, and which he either believes to be false, or does not believe to be true, in relation to the personal character or conduct of any candidate or in relation to the candidature, or withdrawal of any candidate, being a statement reasonably calculated to prejudice the prospects of that candidate‘s election.

(v) The hiring or procuring whether on payment or otherwise of any vehicle or vessel by a candidate or his agent or by any other person with the consent of a candidate or his election agent for the conveyance of any elector (other than the candidate himself, the members of his family or his agent) to or from any polling station provided in accordance with the rules made under this Act:

Provided that the hiring of a vehicle or vessel by an elector or by several electors at their joint costs for the purpose of conveying him or them to or from any such polling station shall not be deemed to be a corrupt practice under this clause if the vehicle or vessel so hired is a vehicle or vessel not propelled by mechanical power:

Provided further that the use of any public transport vehicle or vessel or any tram car or railway carriage by an elector at his own cost for purpose of going to or coming for any such polling station shall not

be deemed to be a corrupt practice under this clause.

Explanation.- In this clause the expression 'vehicle' means any vehicle used or capable of being used for the purpose of road transport whether propelled by mechanical power or otherwise and whether used for drawing other vehicles or otherwise.

(vi) The holding of any meeting in which intoxicating liquors are served.

(vii) The issuing of any circular, play card or poster having a reference to the election which does not bear the name and address of the printer and publisher thereof.

(vii-a) The incurring or authorizing of election expenditure in excess of the amount prescribed under section 14-A.

(viii) Any other practice which the State Government may prescribe by rules to be corrupt practice."

13:– उक्त संहिताबद्ध विधि के अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के तहत होने वाले समस्त निर्वाचनों के संबंध में न्यायदृष्टान्त **Union of India vs. Association for Democratic Reforms, AIR 2002 SC 2112** में जारी दिशा–निर्देशों के तहत कुछ अन्य विधिक अपेक्षाओं का उल्लेख किया गया है, जो निम्नानुसार हैं :–

"48. The Election Commission is directed to call for information on affidavit by issuing necessary order in exercise of its power under Article 324 of the Constitution of India from each candidate seeking election to Parliament or a State Legislature as a necessary part of his nomination paper, furnishing therein, information on the following aspects in relation to his/her candidature:

(1) Whether the candidate is convicted/acquitted/ discharged of any criminal offence in the past – if any, whether he is punished with imprisonment or fine.

(2) Prior to six months of filing of nomination, whether the candidate is accused in any pending case, of any offence punishable with imprisonment for two years or more, and in which charge is framed or cognizance is taken by the court of law. If so, the details thereof.

(3) The assets (immovable, movable, bank balance, etc.) of a candidate and of his/her spouse and that of dependants.

(4) Liabilities, if any, particularly whether there are any overdues of any public financial institution or government dues.

(5) The educational qualifications of the candidate."

14:– माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो उक्त दिशा–निर्देश जारी किए हैं, उसके आधार पर संसद व राज्य की विधायिका ने निर्वाचन संबंधी अपने अधिनियमों व नियमों में अपेक्षित संशोधन किए हैं, इसी अनुक्रम में मध्यप्रदेश नगर पालिक निर्वाचन, नियम 1994 (जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से केवल 'नियम, 1994' लिखा जावेगा) में भी नवीन नियम 24–क समाविष्ट किया गया है, जो निम्नानुसार है :–

"24-A

(1) Each candidate shall furnish the information relating to.- Declaration of Criminal antecedent, assets, liabilities and educational qualification :-

(i) any pending criminal case in which he is charged and any disposed criminal case in which he has been convicted,

(ii) the movable and immovable property of which he, his spouse and his dependent children are jointly or severally owners or beneficiaries,

(iii) his liabilities to any public financial institution,

(iv) his liabilities to the Central Government or the

State Government; and

(v) the educational qualifications which he possesses, to the Returning Officer at the time of filing the nomination paper in an affidavit sworn by the candidate, in such form and in such manner, as may be specified by the State Election Commission.

Explanation- For the purposes of this sub rule :-

(i) ***"immovable property"*** means the land and includes any building or other structure attached to the land or permanently fastened to anything which is attached to the land,

(ii) ***"movable property"*** means any other property which is not the immovable property and includes corporeal and incorporeal property of every description,

(iii) ***"public financial institution"*** means a public financial institution within the meaning of Section 4-A of the Companies Act, 1956 (1 of 1956) and includes bank,

(iv) ***"bank"*** referred to in clause (iii) means :-

(a) State Bank of India constituted under Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955)

(b) Subsidiary Bank having the meaning assigned to it in clause (k) of Section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959)

(c) Regional Rural Bank established under Section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1975 (21 of 1976)

(d) Corresponding new bank having the meaning assigned to it in clause (da) of Section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949); and

(e) Co-operative Bank having the meaning assigned to it in clause (cci) of Section 5 of the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949) as modified by sub-clause (i) of clause (c) of Section 56 of the Act; and

(v) ***"dependent children"*** means sons and daughters who have no separate means of earning and are wholly dependent on the candidate for their livelihood.

(2) The nomination paper shall be rejected, if the affidavit is not enclosed.

(3) The information given in the affidavit shall not be enquired into by the Returning Officer.

(4) The Returning Officer shall, as soon as may be after finishing of the information to him under sub-rule (1), display the aforesaid information by affixing a copy of the affidavit, at a conspicuous place at his office for the information of electors of the concerned ward for which the nomination paper is filed and, shall on demand from any other candidate/elector of the ward, make available the information received of the candidate and, shall also publicize the information received through the media.

(5) If any candidate or elector files an affidavit against the information contained in the affidavit filed by a candidate under sub-rule (1), it shall also be displayed in the manner prescribed in sub-rule (4)."

15:– प्रकरण में अब चुनाव याचिका के प्रमाण–भार के संबंध में कुछ विधिक सिद्धान्तों का उल्लेख किया जाना समीचीन है।

16:– माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायदृष्टान्त **Sushil Kumar Vs. Rakesh Kumar, (2003) 8 SCC 673** में अभिनिर्धारित किया है कि :–

"29. It is no doubt true that the burden of proof to show that a candidate who was disqualified as on the date of the

nomination would be on the election petitioner.

30. It is also true that the initial burden of proof that nomination paper of an elected candidate has wrongly been accepted is on the election petitioner.

31. In terms of Section 103 of the Indian Evidence Act, however, the burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.

32. Furthermore, in relation to certain matters, the fact being within the special knowledge of the respondent, the burden to prove the same would be on him in terms of Section 106 of the Indian Evidence Act. However, the question as to whether the burden to prove a particular matter is on the plaintiff or the defendant would depend upon the nature of the dispute."

17:– याचिकाकर्ता की ओर से अपने समर्थन में प्रस्तुत न्यायदृष्टान्तों **Babulal Agrawal Vs. Jyoti Shrivastava and others, 2000(1) MPLJ 102 and Pop Singh Vs. Ram Singh, 2013(1) MPLJ 16** में सारतः यह प्रतिपादित किया गया है कि लिखित कथन का सत्यापन नहीं होने से विधि की दृष्टि से लिखित कथन नहीं माना जाता है। इस प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा प्रस्तुत किए गए लिखित कथन में सत्यापन का अभाव होना पाया जाता है, फिर भी पूर्वोक्त न्यायदृष्टान्त में प्रतिपादित विधि को देखते हुए याचिकाकर्ता को अपना मामला स्वयं प्रमाणित करना होगा

18:– याचिकाकर्ता की ओर से अपने समर्थन में प्रस्तुत न्यायदृष्टान्तों **Mohd. Syed Vs. Hindustan Petroleum, 2004(1) MPLJ 180, Muddasani Venkata Narsaiah (Dead) Through Legal Representatives Vs. Muddasani Sarojana, (2016) 12 SCC 288 and Baldev Singh Vs. Shinder Pal Singh and another, (2007)1 SCC 341** में यह प्रतिपादित किया गया है कि

जहॉ मुख्य परीक्षण में किया गया कथन, प्रतिपरीक्षण में चुनौतीविहिन होता है, वहॉ उसे स्वीकृत होना मान्य किया जाना चाहिए। इस संबंध में यथासमय विवेचना के समय निष्कर्ष लिया जावेगा।

19:— उक्त उल्लेखित प्रचलित व प्रभावी विधिक स्थिति तथा प्रतिपादित विधिक सिद्धान्तों के आधार पर ही इस वर्तमान चुनाव याचिका पर विचार किया जा रहा है।

20:— याचिकाकर्ता की ओर से अपनी याचिका में अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा निर्वाचन पूर्व नाम निर्देशन—पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए शपथ—पत्र (प्रदर्श पी—05) में दी गई जानकारी को अपूर्ण एवं तथ्यों के छिपाव पर आधारित होना बताया है। अतः अनावेदक क्रमांक 01 को मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम की धारा 17(1)(i) के अनुसार पार्षद का पद धारण करने योग्य नहीं होना बताया है। इस संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा नगर पालिक नियम 24—क के तहत शपथ—पत्र हेतु विहित प्रारूप में जानकारियॉ प्रस्तुत नहीं करना भी बताया है। अतः उक्त आधारों पर नगर पालिका अधिनियम के तहत अनावेदक क्रमांक 01 को अयोग्य होना बताया है।

21:— शपथ—पत्र (प्रदर्श पी—05) में दी गई जानकारी के संबंध में निम्नलिखित आधार लिए गए हैं :—

(i) दौलतगंज इंदौर स्थित भवन क्रमांक 26/3 पर एक वर्ष से अधिक अवधि का जल कर बकाया की जानकारी न देना,

(ii) दौलतगंज इंदौर स्थित भवन क्रमांक 31/2/3 पर एक वर्ष से अधिक अवधि का जल कर बकाया की जानकारी न देना,

(iii) दौलतगंज इंदौर स्थित भवन क्रमांक 39/3 पर एक वर्ष से अधिक अवधि का सम्पत्ति कर बकाया की जानकारी न देना,

(iv) दौलतगंज इंदौर स्थित भवन क्रमांक 20/3 पर एक वर्ष से अधिक अवधि का सम्पत्ति कर बकाया की जानकारी न देना,

(v) दौलतगंज इंदौर स्थित भवन क्रमांक 10/3 पर एक वर्ष से अधिक अवधि का सम्पत्ति कर बकाया एवं उसका कुल एरिया की जानकारी न देना,

(vi) शपथ–पत्र के अन्य पदों में महत्वपूर्ण जानकारियों का छिपाव या गलत जानकारी देना,

22:– उपरोक्त आधारों पर अनावेदक क्रमांक 01 का चुनाव हेतु अर्हता नहीं रखना बताया है। अतः उक्त आधारों पर आई हुई साक्ष्य का पृथक–पृथक विवेचन किया जाना उचित होगा। अतः उक्त संबंध में प्रत्येक आधार का निम्नानुसार विवेचन किया जा रहा है :–

(i) दौलतगंज इंदौर स्थित भवन क्रमांक 26/3 पर एक वर्ष से अधिक अवधि का जल कर बकाया की जानकारी न देना :–

23:– उक्त आधार के संबंध में याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी (आ0सा0–01) ने अपने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 08 में यह कथन किया है कि अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा शपथ–पत्र (प्रदर्श पी–05) में ससुर हाजी आफताब पिता नूर मोहम्मद से अपने पति को प्राप्त भवन क्रमांक 26/3 दौलतगंज, इंदौर में अनावेदक क्रमांक 01 के पति का अन्य वारिसों के साथ संयुक्त स्वत्व एवं उस भवन पर एक वर्ष से अधिक अवधि का इंदौर नगर पालिक निगम का जल कर रूपए 21,114/– बकाया था, उसे छिपाया गया है, इस संबंध में इन्दौर नगर निगम से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त लेजर रिपोर्ट प्रदर्श पी–12 है।

24:– याचिकाकर्ता ने उपरोक्त सन्दर्भ में अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 35 में यह बताया है कि उसे मकान नंबर 26/3 के स्वामित्व के दस्तावेज देखने का काम नहीं पड़ा। उक्त मकान का कितना क्षेत्रफल है, मकान का आफताब अंसारी ने कोई हिबा या कोई वसीयत की है या

अंसाफ अंसारी ने कोई हिबा किया है, इसकी उसे जानकारी नहीं है। पद क्रमांक 37 में यह बताया है कि प्रदर्श पी–12 में वर्ष 2022–23 का रूपए 22,506/– उल्लेखित है, स्वतः कहा है कि मूल याचिका प्रस्तुत करते समय रूपए 21,114/– की राशि का उल्लेख था, पश्चात्वर्ती प्रक्रम पर सरचार्ज राशि जुड़ गई है। यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–12 में अनावेदक क्रमांक 01 या उसके पति का नाम स्वामी या उपयोगकर्ता के रूप में उल्लेख नहीं है, स्वतः कहा कि आफताब अहमद अनावेदक क्रमांक 01 के ससुर हैं तथा उसके पति सहस्वामी हैं। पद क्रमांक 38 में साक्षी से पूछे जाने पर उक्त भवन में अनावेदक क्रमांक 01 के पति का कितना हिस्सा है, तो साक्षी का कहना है कि संयुक्त स्वामित्व है, यह स्वीकार किया है कि संयुक्त स्वामित्व के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं हैं, स्वतः कहा है कि पिता के देहान्त के बाद वारिस सहस्वामी होते हैं।

25:– याचिकाकर्ता ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 39 में स्वीकार किया है कि वह अंसाफ अंसारी की बहन को नहीं जानता, उसे याद नहीं है कि अंसाफ अंसारी ने मकान नंबर 26/3 अपनी बहन शाहिदा बी के नाम हिबा कर दिया है। पद क्रमांक 40 में बताया है कि याचिका के जवाब के पश्चात् उसे जानकारी हो गई थी कि मकान नंबर 26/3, दौलतगंज, इंदौर का एक भाग अंसाफ अंसारी की बहन शाहिदा बी के नाम हो गया है, स्वतः कहा है कि वह जानकारी असत्य है। पद क्रमांक 91 में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा पूर्व में प्रस्तुत याचिका क्रमांक 01/2013 में दिनांक 24.09.2013 को निर्णय घोषित किया गया था, जिसकी सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श डी–02 है, यह अस्वीकार किया है कि उक्त निर्णय में मकान नंबर 26/3, दौलतगंज, इंदौर में अंसाफ अंसारी का हिस्सा उसके द्वारा अपनी बहन शहिदाबी के नाम किया जाना निर्णित किया है।

26:– याचिकाकर्ता की ओर से परीक्षित साक्षी शैलेष कुमार (आ0सा0–03) ने अपने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 03 में मकान नंबर

26/3, दौलतगंज, इंदौर का आफताब मोहम्मद पिता नूर मोहम्मद के नाम पर जलकर की लेजर रिपोर्ट (प्रदर्श पी—31) प्रस्तुत करते हुए बताया है कि उक्त रिपोर्ट अनुसार वर्ष 2022—23 में आफताब अहमद पिता नूर मोहम्मद पर उक्त भवन का वर्ष 2015—16 से 09 वर्षों का जलकर रूपए 22,566/— बकाया है।

27:— उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी की साक्ष्य का अवलोकन किया जाए, तो उसने यह साक्ष्य प्रस्तुत की है कि वर्ष 2022—23 में मकान नंबर 26/3, दौलतगंज, इंदौर पर वर्ष 2015—16 से 09 वर्षों का जलकर 22,566/— रूपए बकाया था, साक्षी द्वारा उक्त संबंध में स्वयं के कथन द्वारा लेजर रिपोर्ट (प्रदर्श पी—12) एवं साक्षी शैलेष कुमार (आ0सा0—13) के कथन से लेजर रिपोर्ट (प्रदर्श पी—31) प्रस्तुत की गई है, सारतः दोनों दस्तावेज समान प्रकृति के हैं, केवल दोनों पृथक—पृथक साक्षियों के कथनों से प्रदर्श होने के कारण उन पर पृथक—पृथक प्रदर्श अंकन हुए हैं। इसके अलावा प्रदर्श पी—31 में आगामी वर्ष 2023—24 एवं 2024—25 के बकाया का भी उल्लेख है। इस प्रकार लेजर रिपोर्ट से उक्त भवन पर बकाया होना दर्शित है।

28:— याचिकाकर्ता के मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण से ही तथा प्रस्तुत किए गए उपरोक्त दोनों दस्तावेजों से यह दर्शित है कि मकान आफताब अहमद के नाम पर दर्ज है, यद्यपि उपरोक्त के अलावा स्वामित्व संबंधी कोई अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया जाना स्वीकृत है। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी प्रकट नहीं किया गया कि अनावेदक क्रमांक 01 के पति को उसके ससुर की मृत्यु के बाद कितना भाग प्राप्त हुआ, ससुर की मृत्यु के बाद कितने वारिसान उपलब्ध थे, इस संबंध में भी कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया। इस तथ्य को अस्वीकार किया है कि अनावेदक क्रमांक 01 के पति ने स्वयं के प्राप्त हुए भाग को अपनी बहन शाहिदाबी को हिबा कर दिया है, उक्त हिबा की जानकारी को असत्य होना

बताया है, लेकिन उसे किस आधार पर असत्य होना कहा गया है, इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं है।

29:– याचिकाकर्ता ने इस तथ्य से इंकार किया है कि पूर्व में उसके एवं अंसाफ अंसारी के मध्य हुए चुनाव याचिका में उक्त भवन के संबंध में यह निर्णय किया गया है कि भवन का भाग शाहिदाबी को हिबा किया गया है, यद्यपि प्रदर्श डी–02 नवम अपर जिला न्यायाधीश, इंदौर के चुनाव याचिका कमांक 01/2013 में घोषित निर्णय दिनांक 24.09.2013 का अवलोकन किया जाए, तो उसमें यह निर्धारित किया गया है कि भवन कमांक 26/3 में से अंसाफ अंसारी ने अपना भाग अपनी बहन साहिदा–बी को हिबा किया था, उक्त दस्तावेज पर यह आपत्ति ली गई है कि पूर्व निर्णय सुसंगत नहीं है। इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से न्यायदृष्टान्त **K.G. Premshanker Vs. Inspector of Police and another, (2002)8 SCC 87** प्रस्तुत किया है, जिसमें यह प्रतिपादित किया गया है कि प्रत्येक प्रकरण में यह निर्धारित करना होगा कि निर्णय एवं डिकी सुसंगत है तथा उसका क्या प्रभाव होगा।

30:– इस प्रकरण में न केवल पूर्व निर्णय को आधार बनाया गया है, अपितु साहिदा–बी को हिबा किए जाने के संबंध में साक्ष्य भी प्रस्तुत की गई है। पूर्व निर्णय (प्रदर्श डी–02) में पक्षकार समान थे तथा उनके मध्य समान भवन के संबंध में चुनाव याचिका में समान विवाधक पर निर्णय दिया गया था।

31:– उपरोक्त के अलावा अनावेदक कमांक 01 की ओर से यह बचाव रखा गया है कि मकान नंबर 26/3 स्थित दौलतगंज, इंदौर से उनका कोई संबंध नहीं है, पूर्व में उसके पति का एक हिस्सा था, जिसे उन्होंने अपनी बहन शाहिदाबी को हिबा कर दिया है, सारतः साक्ष्य अनावेदक कमांक 01 सुनहरा अंसारी (अना0सा0–06) एवं अंसाफ अंसारी (अना0सा0–07) ने प्रस्तुत की है, उक्त साक्षीगण ने अतिरिक्त रूप से यह

बताया है कि मकान नंबर 26/3, दौलतगंज, इंदौर उसने अपनी बहन शाहिदाबी को जबानी हिबा कर दिया था, इस संबंध में दस्तावेज जबानी हिबा (प्रदर्श डी–46) लेख किया गया है।

32:– उपरोक्तानुसार अनावेदक क्रमांक 01 ने अपने बचाव के मुताबिक मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत की है। साक्षी अंसाफ अंसारी ने मकान नंबर 26/3, दौलतगंज, इंदौर में अपना भाग अपनी बहन को हिबा करना बताया है, प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 10 में यह बताया है कि हाजी आफताब अंसारी के 06 पुत्र हैं, जिनमें से एक का इंतकाल हो गया है और पॉच जीवित हैं। उक्त भवन क्रमांक 26/3, दौलतगंज, इंदौर उनके स्वामित्व का था। पद क्रमांक 15 में बताया है कि उक्त भवन में कौनसी मंजिल में कितना वर्गफीट उसे विभाजन में मिला यह जानकारी नहीं है, स्वतः कहा कि उसका जो हिस्सा था, वह बहन को हिबा कर दिया है। पद क्रमांक 24 में यह बताया है कि उसे नहीं मालूम कि उक्त भवन में किस भाई को कितना हिस्सा मिला। पद क्रमांक 25 में यह बताया है कि उक्त भवन का उसने कभी जलकर भुगतान नहीं किया है, स्वतः कहा है कि उस भवन में उसका कोई हिस्सा नहीं है, वह केवल भवन में रहता है। उक्त भवन में जब उसे हिस्सा दिया था, तभी उसने अपना हिस्सा हिबा कर दिया था।

33:– उपरोक्तानुसार साक्षी अंसाफ अंसारी के सम्पूर्ण कथन में यही तथ्य आए हैं कि उसे उक्त भवन में जो भी हिस्सा मिला था, वह उसने अपनी बहन को हिबा कर दिया है, उक्त संबंध में याददाश्त हिबा (प्रदर्श डी–46) भी प्रस्तुत किया है, जिसके अवलोकन से दर्शित होता है कि अंसाफ अंसारी ने दिनांक 01.03.2003 को जबानी हिबा किया है, जिसकी याददाश्त दिनांक 07.03.2013 को तैयार की गई है, जिसमें भवन क्रमांक 26/3, दौलतगंज, इंदौर में स्वयं के दो कमरे, एक किचन होना लेख किए हैं तथा अपनी बहन को उक्त तीन सौ वर्गफीट का भाग,

साक्षीगण के समक्ष हिबा किया है, जिसकी स्वीकारोक्ति शाहिदाबी द्वारा किया जाना दर्शित है। मुस्लिम विधि में मौखिक हिबा मान्य है तथा सम्पत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 129 के अनुसार दान के प्रावधान हिबा पर लागू नहीं होते हैं, अतः याददाश्त हिबा का स्टाम्प पर लेख होना या उसका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य नहीं है।

34:– हिबा के संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त **Dharmrao Sharanappa Shabadi and others Vs. Syeda Arifa Parveen, Civil Appeal No. 12512/ 2025 [SLP (C) No. 16996 of 2022], Judgment dated 07/10/2025 {Citation (2026) 3 Supreme Court Cases 460}** के पद क्रमांक 36 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नानुसार प्रतिपादित किया गया है कि :–

> **"36. The oral gift and the effect of a valid oral gift are reiterated as follows:**
>
> **36.1** There are three essential conditions for an oral gift under Mohammedan Law. **First,** a clear manifestation of the wish to give on the part of the donor. **Second**, an acceptance of the gift by the donee, which can be either implied or explicit. **Third,** taking of possession of the subject-matter of the gift by the donee, either actually or constructively.
>
> **36.2** A gift under Mohammedan Law does not require a written document to be valid. An oral gift that fulfils the three essential requisites is complete and irrevocable. The mere fact that a gift is reduced to writing does not change its nature or character. A written document recording the gift does not become a formal instrument of gift.
>
> **36.3** The distinction that a written deed of gift is not required to be registered if it "recites the factum of a prior gift" but must be registered if the "writing is contemporaneous with the making of the gift" is considered "inappropriate and is not in conformity with the rule of gifts in Mohammadan Law".13 Section 129 of

the Transfer of Property Act, 1882 ('Transfer of Property Act') excludes the rule of Mohammedan Law from the purview of Section 123, which requires registration for the gift of immovable property.

36.4 Delivery of possession is a critical and necessary element for a valid gift. It can be actual or constructive. Constructive possession can be demonstrated by overt acts by the donor that show a clear intention to transfer control. For example, the donor applies for the mutation of the donee's name in the revenue records.

36.5 Continuous evidence of acting under the oral gift is crucial to prove the delivery of possession. The donee must be able to demonstrate "exclusive control" over the property to derive benefit under it, such as by collecting rent, or by the donor performing acts like mutation on behalf of the donee. Conversely, the donor's continued collection of rent and the donee's lack of control over title documents or mutation records can be evidence that possession was not transferred."

35:— इस प्रकरण में अनावेदिका कमांक 01 सुनहरा अंसारी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 20 में कथन किया है कि भवन कमांक 26/3 का कभी बंटवारा नहीं हुआ, उसे जानकारी नहीं है कि साहिदा–बी को कौन सा हिस्सा प्राप्त हुआ है, जब से उसका विवाह हुआ है, तब से उक्त भवन स्व0 आफताब अहमद के वारिस पुत्रों के आधिपत्य में है, पद कमांक 21 में यह बताया है कि उक्त भवन के तल मंजिल की दुकानें उसके पति के कब्जे में हैं, इसकी उसे जानकारी नहीं है, प्रथम मंजिल पर वह पति के साथ निवास करती है, द्वितीय मंजिल पर पति के बड़े भाई अनवर अंसारी निवास करते हैं।

36:— इस प्रकार अनावेदिका कमांक 01 के कथन से यह दर्शित होता है कि उक्त भवन आफताब अंसारी से उसके पुत्रों को प्राप्त हुआ और उन्हीं का निरंतर आधिपत्य है, साहिदा–बी द्वारा कभी आधिपत्य नहीं लिया

गया, उसके द्वारा जबानी हिबा दिनांक से आज दिनांक तक कभी नामांतरण कराने या पूर्वोक्त न्यायदृष्टान्त में उल्लेखित अनुसार कोई कार्य नहीं किया है। अतः दर्शित होता है कि हिबा का दस्तावेज दिखावटी मात्र है, वास्तविक रूप से उस पर कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं हुई।

37:– उपरोक्त सन्दर्भ में अनावेदक कमांक 01 की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त **Ajijanbai Vs. Abdul Shakoor, 1984 MPWN 78** में माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि स्थानीय निकायों में नामांतरण नहीं कराने से मौखिक हिबा के तथ्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन पूर्वोक्त माननीय उच्चतम न्यायालय के नवीनतम न्यायदृष्टान्त **Dharmrao Sharanappa Shabadi and others Vs. Syeda Arifa Parveen** में प्रतिपादित विधि के सन्दर्भ में उपरोक्त न्यायदृष्टान्त से अनावेदक कमांक 01 को कोई लाभ नहीं मिलता है।

38:– उपरोक्तानुसार समग्र साक्ष्य से दर्शित होता है कि भवन कमांक 26/3, दौलतगंज, इंदौर अनावेदिका कमांक 01 के पति के संयुक्त स्वत्व का है तथा उसका आधिपत्य भी है, लेकिन उक्त भवन में संयुक्त स्वत्व हस्तान्तरित करने के तथ्य प्रमाणित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में नाम निर्देशन–पत्र दिनांक को उक्त भवन की जानकारी शपथ–पत्र में दी जानी चाहिए थी तथा उक्त भवन पर पूर्वोक्तानुसार बकाया कर की जानकारी भी दी जानी चाहिए थी, लेकिन वह जानकारी दिया जाना दर्शित नहीं है।

39:– उपरोक्तानुसार आवेदक द्वारा नगर पालिका नियम 24–क के अनुसार भवन कमांक 26/3, दौलतगंज, इंदौर के सम्बन्ध में अनावेदक कमांक 01 द्वारा सम्पत्ति की जानकारी देना एवं उस पर बकाया जलकर की जानकारी का छिपाना प्रमाणित हुआ है।

<u>(ii) दौलतगंज इंदौर स्थित भवन कमांक 31/2/3 पर एक वर्ष से अधिक अवधि का जल कर बकाया की जानकारी न देना</u> :–

40:– उपरोक्त सन्दर्भ में याचिकाकर्ता ने अपने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 08 में यह कथन किया है कि मकान नंबर 31/2/3, दौलतगंज, इंदौर अनावेदक क्रमांक 01 के ससुर हाजी आफताब अहमद से अनावेदक क्रमांक 01 के पति एवं अन्य वारिसों को हाजी आफताब की मृत्यु उपरांत प्राप्त हुआ था, जिसमें अनावेदक क्रमांक 01 के पति अंसाफ अंसारी एवं अन्य वारिसों का संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य है, इस भवन पर एक वर्ष से अधिक अवधि का जलकर बकाया था, जो कि अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा शपथ–पत्र प्रदर्श पी–05 में अपने पति के दायित्वों को छिपाया गया है, उक्त संबंध में वाटर चार्ज लेजर रिपोर्ट प्रदर्श पी–13 प्रस्तुत है।

41:– याचिकाकर्ता ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 63 में यह स्वीकार किया है कि उक्त भवन के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज देखने का काम नहीं पड़ा, स्वत्व एवं आधिपत्यधारी अनावेदक क्रमांक 01 के ससुर हाजी आफताब अंसारी को अपने व्यक्तिगत ज्ञान व जानकारी के आधार पर बता रहा है, इस संबंध में उसने अपने प्रदर्श पी–13 का दस्तावेज प्रस्तुत किया है। यह स्वीकार किया है कि उक्त दस्तावेज स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है, उक्त दस्तावेज में भी उपयोगकर्ता या स्वामी के रूप में अनावेदक क्रमांक 01 के ससुर का नाम उल्लेखित नहीं है, स्वतः कहा कि स्पेलिंग मिस्टेक में बी से टी हो गया है। पद क्रमांक 64 में यह अस्वीकार किया है कि उक्त भवन के स्वामी एवं आधिपत्यधारी हाजी आफताब नहीं रहे थे, इसलिए उनके पुत्र अंसाफ अंसारी को भी कोई भाग प्राप्त नहीं हुआ। पद क्रमांक 65 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–13 की लेजर रिपोर्ट में 49,041/– रूपए बकाया होने का उल्लेख नहीं है, स्वतः कहा कि बाद में सरचार्ज जोड़ने से राशि बढ़ गई है।

42:– याचिकाकर्ता साक्षी शैलेष कुमार (आ0सा0–03) ने अपने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 04 में यह कथन किया है कि मकान नंबर 31/2/3, दौलतगंज, इंदौर के अफ्तार अहमद पिता नूर मोहम्मद से

जलकर की लेजर रिपोर्ट (प्रदर्श पी–32) है, जिसके अनुसार वर्ष 2022–23 में आफताब अहमद पिता नूर मोहम्मद पर उक्त भवन का जलकर वर्ष 2006–07 से रूपए 50,493/– बकाया था।

43:– अनावेदिका कमांक 01 सुनहरा अंसारी (अना0सा0–06) के प्रतिपरीक्षण में ऐसे कोई तथ्य नहीं आए कि भवन उनके आधिपत्य में रहा। अंसाफ अंसारी (अना0सा0–07) ने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 11 में यह स्वीकार किया है कि उसका भाई अशफाक उक्त भवन में निवास करता है।

44:– उपरोक्तानुसार आवेदक साक्ष्य का अवलोकन किया जाए, तो उसमें यही दर्शित होता है कि आवेदक ने केवल लेजर रिपोर्ट के आधार पर भवन आफताब अंसारी के नाम पर होना बताया है, उक्त भवन के स्वामित्व की स्थिति को स्पष्ट नहीं किया गया है। उक्त भवन से अनावेदक कमांक 01 एवं उसके पति का कोई संबंध होना प्रमाणित नहीं किया गया है। अनावेदक साक्ष्य में भी ऐसी स्वीकारोक्ति नहीं है कि उक्त भवन उनके आधिपत्य में रहा, अपितु यह तथ्य आए हैं कि अनावेदक साक्षी कमांक 07 का भाई भवन में रहता है। अतः भवन से कोई संबंध होना दर्शित नहीं किया गया है।

45:– याचिकाकर्ता की ओर से उपरोक्त भवन के संबंध में वाटर चार्जेज लेजर (प्रदर्श पी–13) प्रस्तुत किया है, जिसमें वाटर चार्जेज बकाया होना दर्शित किए गए हैं। याचिकाकर्ता साक्षी शैलेष कुमार (आ0सा0–03) के कथन से प्रदर्श पी–13 के समान प्रदर्श पी–32 की वाटर चार्जेज लेजर रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें भवन कमांक 31/2/3 पर वर्ष 2006–07 से 2022–23 तक 50,493/– जलकर का बकाया होना दर्शित किया गया है। इस प्रकार जो बकाया होना बताया गया है, वह अनावेदक कमांक 01 के ससुर के नाम पर दर्ज मकान है और बकाया भी उन्हीं पर होना दर्शित है।

46:– अतः उक्त भवन अनावेदिका कमांक 01 से संबंधित नहीं होने के कारण उस पर जलकर की राशि बकाया होने एवं उसका शपथ–पत्र

(प्रदर्श पी–05) में उल्लेख करना भी आवश्यक नहीं था। अतः उक्त संबंध में भी की गई आपत्ति आधारहीन प्रकृति की रही है।

(iii) दौलतगंज इंदौर स्थित भवन कमांक 39/3 पर एक वर्ष से अधिक अवधि का सम्पत्ति कर बकाया की जानकारी न देना :–

47:– उपरोक्त सन्दर्भ में याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी (आ0सा0–01) ने अपने अभिवचन के समान मुख्य परीक्षण के पद कमांक 11 में यह बताया है कि अनावेदक कमांक–01 के स्वामित्व का मकान नंबर–39/03, दौलतगंज, इंदौर के 600 वर्गफीट के भाग अनावेदक कमांक–01 के द्वारा संपत्तिकर के भुगतान से बचने के लिये अलग–अलग खातों में दर्शाया गया है, जबकि अनावेदक कमांक–01 नगर पालिक निगम धारा 136 मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम के अनुसार संपत्तिकर का भुगतान करने के लिये उत्तरदायी है, उक्त भवन पर भी अनावेदक कमांक–01 पर एक वर्ष से अधिक का नगर निगम, इंदौर को देय संपत्तिकर बकाया था। अनावेदक कमांक–01 के दबाव में नगर पालिक निगम के द्वारा उक्त भवन से संबंधित टैक्स की जानकारी उसे नहीं दी जा रही है।

48:– उपरोक्त सन्दर्भ में अनावेदक कमांक 01 का अपने अभिवचन के पद कमांक 4–स में यह बचाव है कि म्यूनिसिपल भवन कमांक 39/3 की वास्तविक स्थिति का पूर्ण उल्लेख नाम निर्देशन–पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र में किया गया है, उक्त स्थान में अनावेदक कमांक 01 का मात्र 600 वर्गफीट ही स्थान है, जिसके संबंध में कोई सम्पत्ति कर या जलकर बकाया नहीं है।

49:– इस प्रकार अनावेदक कमांक 01 की ओर से यह स्वीकृत है कि भवन कमांक 39/3 में से उसे 600 वर्गफीट भाग प्राप्त हुआ है, उक्त 600 वर्गफीट प्राप्त होने का उल्लेख प्रस्तुत शपथ–पत्र (प्रदर्श पी–05) में किया है। यद्यपि उसमें उपरोक्त भवन के कुल पॉच सम्पत्ति आई0डी0 नंबर

होना दर्शित किए गए हैं।

50:– अनावेदक क्रमांक 01 सुनहरा अंसारी (अना0सा0–06) ने अपने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 03 में कथन किया है कि मकान नंबर 39/3, दौलतगंज, इंदौर बड़ा मकान है, जिसमें कई हिस्से हैं, जिसमें उसके पॉच हिस्से हैं, चार हिस्से 125–125 वर्गफीट के हैं तथा एक हिस्सा 100 वर्गफीट का है, उसके द्वारा उक्त मकान का सम्पत्ति कर ठोस अपशिष्ट पदार्थ शुल्क जमा कर दिया गया है। इस प्रकार यह साक्षी कथन करती है कि उक्त भवन बड़ा मकान है, लेकिन उसका कितना क्षेत्रफल है तथा अन्य कौन उसमें निवासरत हैं, ऐसा कोई कथन नहीं किया है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 30 में साक्षी ने यह बताया है कि उक्त भवन में उसका कार्यालय संचालित है, उसे नहीं पता कि कार्यालय का क्षेत्रफल कितने वर्गफीट है, लेकिन कार्यालय में चार व्यक्ति काम करते हैं। पद क्रमांक 31 से यह पूछा गया कि उक्त भवन का उपयोग व्यावसायिक रूप से हो रहा है तथा तल मंजिल आर0सी0सी0 की होकर 600 वर्गफीट की है ?, इस पर साक्षी ने कोई जानकारी न होना बताया है।

51:– साक्षी सुनहरा अंसारी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 32 में स्वीकार किया है कि भवन का उपयोग व्यावसायिक रूप से कार्यालय के लिए किया जा रहा है और वह कार्यालय तल मंजिल पर स्थित है। इस पद में भी उसके क्षेत्रफल की जानकारी नहीं दी। पद क्रमांक 50 में यह बताया है कि उसने उक्त भवन का गोडाउन किराए पर दे रखा है, इससे उसे आय होती है, पद क्रमांक 51 में यह बता पाने में असमर्थता व्यक्त की है कि उससे कितनी आय होती है, पद क्रमांक 59 में साक्षी ने शपथ–पत्र (प्रदर्श पी–05) देखकर प्रकट किया कि किराए की आय का उल्लेख शपथ–पत्र में नहीं है।

52:– इस प्रकार अनावेदक क्रमांक 01 के मुख्य परीक्षण एवं प्रतिपरीक्षण से यह स्पष्ट है कि भवन क्रमांक 39/3 की स्वामी है तथा उस

भवन में उसका कार्यालय संचालित होता है, उक्त भवन के कुल 05 सम्पत्ति कर आई0डी0 नंबर होना दर्शित हैं।

53:– अनावेदक क्रमांक 01 के पति अंसाफ अंसारी (अना0सा0–07) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 14 में भवन क्रमांक 39/3 जी + 2 होना बताया है, लेकिन उसका क्षेत्रफल बता पाने में असमर्थतता प्रकट की है, यह बताया है कि उक्त मकान में उसकी पत्नी का हिस्सा है, उक्त मकान के एक भाग में उसका कार्यालय एवं एक में पार्षद का कार्यालय चलता है। इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से भी यही दर्शित होता है कि उक्त भवन उसकी पत्नी के नाम पर है।

54:– उक्त साक्षी अंसाफ अंसारी ने अपने मुख्य परीक्षण द्वारा प्रदर्श पी–47 का दस्तावेज प्रस्तुत किया है, उक्त दस्तावेज याददाश्त लेख के रूप में है, जिसमें यह लिखाया गया है कि भवन में उसका एवं उसकी अवयस्क संतानों का वास्तविक या सांकेतिक कब्जा नहीं रहा, केवल 600 वर्गफीट पर उसकी पत्नी सुनहरा बी का आधिपत्य है। उक्त भवन पर उसका या उसके अवयस्क पुत्रों का कोई हक या अधिकार नहीं है तथा भविष्य में भी कोई हक व अधिकार नहीं रहेगा।

55:– उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता के कथन एवं अनावेदक क्रमांक 01 के अभिवचन एवं प्रतिपरीक्षण में आए तथ्यों से यह तथ्य स्वीकृत हैं कि भवन क्रमांक 39/3, दौलतगंज, इंदौर अनावेदक क्रमांक 01 के स्वत्व व आधिपत्य में है तथा उसमें उसका कार्यालय संचालित होता है, जिसकी सूचना अनावेदक क्रमांक 01 ने अपने शपथ–पत्र (प्रदर्श पी–05) में दी है, लेकिन उक्त भवन पर कोई भी अवशेष निगम का नहीं होना बताया गया है।

56:– उपरोक्त सन्दर्भ में याचिकाकर्ता ने पूर्वोक्तानुसार यह कथन किया है कि अनावेदक क्रमांक 01 के दबाव में नगर निगम के द्वारा उक्त भवन से संबंधित टैक्स की उसे जानकारी नहीं दी जा रही है।

57:– याचिकाकर्ता ने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 79 में बताया है कि मकान नंबर 39/3, दौलतगंज, इंदौर के पॉच भागों पर कोई संपत्ति कर बकाया नहीं था। यह स्वीकार किया है कि अनावेदक कमांक 01 के 05 सर्विस खातों के संबंध में कोई सपंत्ति कर बकाया हो, ऐसा कोई दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं किया है, स्वतः कहा कि नगर निगम में उसने आवेदन पेश किया है। यह भी स्वीकार किया है कि उसने ऐसे किसी आवेदन की प्रति प्रकरण में प्रस्तुत नहीं की है। यह भी स्वीकार किया है कि उसने इस प्रकरण में मकान नंबर 39/3, दौलतगंज, इंदौर के संपत्ति कर खातों का विवरण बुलाए जाने हेतु एवं स्वामित्व संबंधी दस्तावेज बुलाए जाने का कोई आवेदन प्रस्तुत नहीं किया है।

58:– उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता स्वयं को यह जानकारी नहीं रही कि उक्त भवन पर कितना कर बकाया है, इस संबंध में उसका यही कहना है कि जानकारी उसे नगर निगम द्वारा प्रदाय नहीं की जा रही थी।

59:– याचिकाकर्ता ने उक्त संबंध में अपना प्रमाणन भार पूर्ण करने के लिए साक्षी शैलेष कुमार (आ0सा0–03) को तलब कर उसका कथन लेखबद्ध कराया है, जिसके अनुसार मकान नंबर 39/3, इंदौर पर हाजी आफताब अहमद पिता नूर मोहम्मद के सम्पत्ति कर की लेजर रिपोर्ट (प्रदर्श पी–33) है, जिसके अनुसार वर्ष 2015–16 से 2022–23 तक सम्पत्ति कर की बकाया राशि 5,366/– रूपए है।

60:– उक्त साक्षी शैलेष कुमार ने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 11 में यह बताया है कि इसी सम्पत्ति का सम्पत्ति कर, जल कर, ठोस अपशिष्ट कर जमा है और उसका नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र चाहें तो वह नगर पालिका के राजस्व विभाग द्वारा दिया जाता है। पद कमांक 12 में यह स्वीकार किया है कि यदि बकाया कर जमा करने की रसीद हो तो वह मान्य की जावेगी। पद कमांक 13 में यह बताया है कि कर जमा होने के संबंध में कोई नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जमा किया जाता है, तो उसकी प्रति राजस्व

विभाग में जमा रहती है। पद कमांक 15 में यह बताया है कि नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र कम्प्यूटर में संधारित नहीं करते, स्वतः कहा कि हार्ड कॉपी में दिया जाता है। नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जलकर, ठोस अवशिष्ट कर संबंधी प्रदान किया जाता है। पद कमांक 17 में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा लाए गए दस्तावेजों के खातों के संबंध में कोई नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र एवं जी0आई0एस0 सर्वे के कारण त्रुटि होने संबंधी कोई प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया हो, तो उसके पश्चात् उसके द्वारा खातों को अपडेट नहीं किया गया है। पद कमांक 18 में यह बताया है कि वह जो दस्तावेज लेकर आया है, उसके संबंध में नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है, तो वह मान्य किया जावेगा।

61:– उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता की ओर से परीक्षित साक्षी शैलेष कुमार ने लेजर रिपोर्ट (प्रदर्श पी–33) के अनुसार यह बताया है कि भवन कमांक 39/3 पर आफताब अहमद पर कर बकाया था। यद्यपि पूर्वोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भवन के पॉच सम्पत्ति कर आई0डी0 होकर कुल 600 वर्गफीट अनावेदक कमांक 01 के नाम पर दर्ज है। साक्षी ने सम्पूर्ण प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य स्वीकार किए हैं कि यदि नो–ड्यूज जारी किए जाने का कोई अपडेशन लेजर रिपोर्ट में नहीं हुआ है, तब भी नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र को मान्य किया जावेगा।

62:– अनावेदक कमांक 05 की ओर से साक्षी शैलेष कुमार (अना0सा0–01) के रूप में परीक्षित है, इस साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण के पद कमांक 02 में यह कथन किया है कि मकान नंबर 39/2/4–3, दौलतगंत, इंदौर स्थित का आई0डी0 कमांक 1001093878 की लेजर रिपोर्ट वर्ष 2013–14 से वर्ष 2022–23 तक (प्रदर्श डी–08) है, जिसमें ए से ए भाग पर 16,277/– रूपए कर बकाया है। मकान नंबर 39/3 का जल कर बकाया वर्ष 2006–07 से वर्ष 2022–23 तक की लेजर रिपोर्ट (प्रदर्श डी–12) है तथा मकान नंबर 39/2 का जल कर बकाया वर्ष 2006–07 से

वर्ष 2022–23 तक का लेजर (प्रदर्श डी–13) है, जिसके अनुसार क्रमशः 22,566/– एवं 22,629/– रूपए बकाया होना बताया है।

63:– भवन क्रमांक 39/3 दौलतगंज, इंदौर पर उक्त जलकर के बकाया होने के संबंध में याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में कोई आधार नहीं लिया है, उसकी आपत्ति केवल सम्पत्ति कर से संबंधित है। उक्त तथ्य को याचिकाकर्ता ने अपनी साक्ष्य से प्रमाणित भी नहीं किया है। अतः अनावेदक क्रमांक 05 को जलकर प्रस्तुति के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत कर तथ्य को प्रमाणित करने का अधिकार नहीं रह जाता है। अतः उक्त साक्षी के कथन में से केवल सम्पत्ति कर के बकाया के संबंध में विचार किया जा रहा है।

64:– साक्षी शैलेष कुमार द्वारा याचिकाकर्ता की ओर से परीक्षित होने के समय भवन क्रमांक 39/3 पर प्रदर्श पी–33 के अनुसार वर्ष 2015–16 से 2022–23 तक सम्पत्ति कर 5,366/– रूपए बकाया होना बताया है, जबकि प्रत्यर्थी क्रमांक 05 की ओर से परीक्षित होने पर मकान नंबर 39/2/4–3 पर वर्ष 2013–14 से 2022–23 तक 16,227/– रूपए कर बकाया होना बताया है।

65:– अनावेदक क्रमांक 05 की ओर से परीक्षित होने पर साक्षी शैलेष कुमार (अना0सा0–01) द्वारा निकाली गई लेजर रिपोर्ट के संबंध में धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र (प्रदर्श डी–14) प्रस्तुत कर साक्षी भारत जाटवा के उस पर हस्ताक्षर होना बताए हैं।

66:– साक्षी द्वारा प्रदर्श डी–14 को प्रस्तुत करने के समय यह आपत्ति लेख की गई है कि प्रमाण–पत्र साक्षी द्वारा प्रदर्शित नहीं कराया जा सकता, लेकिन यह उल्लेखनीय होगा कि साक्षी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज (प्रदर्श डी–08 लगायत डी–13) उसके संधारण किए गए अभिलेख के हैं, उसने केवल कम्प्यूटर से रिपोर्ट जारी करने वाले का प्रमाण–पत्र (प्रदर्श डी–14) प्राप्त कर प्रदर्श किया है तथा प्रमाण–पत्र जारी करने वाले के हस्ताक्षर प्रमाणित किए हैं, जिसे आगामी प्रक्रम पर चुनौती नहीं दी गई

है, अतः दस्तावेज साक्ष्य में ग्रहण किए जाने योग्य है।

67:— अनावेदक क्रमांक 05 की ओर से परीक्षित उपरोक्त साक्षी शैलेष कुमार (अना0सा0—01) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 15 में यह बताया है कि मकान नंबर 39/2/4—3, दौलतगंत, इंदौर में सुनहरा अंसारी के स्वामित्व का कितना स्थान है और मौके पर किसके आधिपत्य में है, यह जानकारी नहीं है, स्वतः कहा कि प्रदर्श डी—08 के अनुसार कुल 600 वर्गफीट स्थान है, पद क्रमांक 21 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी—18 की रसीद के माध्यम से प्रदर्श डी—08 के लेजर खाते में 810/— रूपए की राशि दिनांक 07.06.2022 को जमा की गई है। प्रदर्श डी—18 की रसीद अनुसार दिनांक 07.06.2022 को राशि जमा करने के पश्चात् कोई बकाया नहीं थी। पद क्रमांक 22 में बताया है कि प्रदर्श डी—19 की रसीद अनुसार आई0डी0 क्रमांक 1000522987 पर सम्पूर्ण ठोस अपशिष्ट शुल्क की राशि दिनांक 07.06.2022 को जमा की गई है और कोई राशि बकाया नहीं है। इसी प्रकार प्रदर्श डी—20, डी—21, डी—22, डी—23, डी—24 के अनुसार आई0डी0 क्रमांक 100052985, 1000522966, 1000522977, 1000522978, 1000527378 पर ठोस अवशिष्ट शुल्क की राशि जमा करने के बाद कोई राशि बकाया नहीं है।

68:— अनावेदक क्रमांक 05 की ओर से परीक्षित साक्षी शैलेष कुमार (अना0सा0—01) ने पद क्रमांक 23 में कथन किया है कि प्रदर्श डी—25, डी—26, डी—27, डी—28, डी—29, डी—30 के अनुसार क्रमशः आई0डी0 क्रमांक 1001093488, 1001096627, 1001093477, 1001093487, 1001093486, 1001091931 द्वारा सम्पूर्ण सम्पत्ति कर की राशि दिनांक 07.06.2022 को जमा की गई है और कोई राशि बकाया नहीं है।

69:— उपरोक्तानुसार उक्त साक्षी ने अपने मुख्य परीक्षण में बकाया शेष होने का लेख किया है, लेकिन प्रतिपरीक्षण में मकान नंबर 39/3 का ठोस अपशिष्ट बकाया एवं सम्पत्ति कर की राशि जमा होने के बाद कोई

बकाया शेष न होना, स्वीकार किया है।

70:– अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से परीक्षित साक्षी बी0एल0 शर्मा (अना0सा0–02) के द्वारा कथन किया है कि वह निर्वाचन कार्यालय में रिकॉर्डकीपर के पद पर पदस्थ है, अनावेदक क्रमांक 01 सुनहरा अंसारी द्वारा नामांकन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों की छायाप्रति लेकर आया है, साक्षी ने नगर निगम कार्यालय, इंदौर से जारी पत्र क्रमांक 32 दिनांक 11.06.2022 मकान नंबर 29/2–3 का नोड्यूज प्रमाण–पत्र (प्रदर्श डी–31) प्रस्तुत किया था। उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में कोई तात्विक खण्डन नहीं है। अतः यह दर्शित होता है कि प्रदर्श डी–31 का नोड्यूज प्रमाण–पत्र नाम निर्देशन पत्र के साथ तत्समय कार्यालय में प्रस्तुत किया गया था।

71:– अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से साक्षी शैलेष कुमार (अना0सा0–03) को परीक्षित कराया है, उसने अपने कथन में बताया है कि वह ठोस अपशिष्ट स्वरूप एवं सम्पत्ति कर खातों से संबंधित दिनांक 07.06.2022 की कलेक्शन रिपोर्ट लेकर आया है, बिल कलेक्टर द्वारा रसीद काटकर रसीद जारी करने के बाद कैशियर के पास संधारित की जाती है। प्रदर्श डी–17, डी–19, डी–20 लगायत डी–24 की रसीदों के माध्यम से प्रदर्श डी–33 की कलेक्शन रिपोर्ट तैयार की गई है। इसी प्रकार प्रदर्श डी–18 एवं डी–25 लगायत डी–30 की रसीदों से कलेक्शन रिपोर्ट प्रदर्श डी–34 तैयार की गई है। इसके अलावा अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा नगर निगम आयुक्त को लोक अदालत में जमा की गई राशि को अग्रिम कर के रूप में जमा करने हेतु दिए गए पत्र (प्रदर्श डी–35 लगायत डी–38) लेकर आया है।

72:– उपरोक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 07 में यह बताया है कि यदि नगर पालिका निगम, इंदौर के द्वारा कोई नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है, तो उसका इंद्राज जावक रजिस्टर में

किया जाता है। पद क्रमांक 08 में यह बताया है कि याचिकाकर्ता द्वारा आवेदन–पत्र द्वारा सूचना के अधिकार के तहत नगर पालिक निगम, इंदौर झोन क्रमांक–11 के दिनांक 11.06.2022 के जावक रजिस्टर के पेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई थी, उसके द्वारा जावक रजिस्टर का अवलोकन कर यह पाया गया था कि दिनांक 11.06.2022 को कोई नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया था, उसके संबंध में प्रदर्श पी–36 द्वारा जानकारी दी गई थी तथा जावक रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी–37 दी गई थी।

73:– उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 10 में बताया है कि याचिकाकर्ता ने सूचना के अधिकार के तहत वर्ष 2021–22 के आवक रजिस्टर एवं वर्ष 2022–23 के आवक रजिस्टर एवं जावक रजिस्टर के पेज क्रमांक 108 की प्रतिलिपि चाही थी, उसके द्वारा प्रदर्श पी–38 एवं संलग्न रजिस्टर की सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी–39 लगायत पी–41 दी थी।

74:– अनावेदिका क्रमांक 01 की ओर से परीक्षित साक्षी शैलेष कुमार (अना0सा0–03) ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 12 में यह बताया है कि किस व्यक्ति पर कितना कर बकाया है, इसकी जानकारी लेजर अथवा बिल से पता लगती है, पद क्रमांक 13 में बताया है कि प्रदर्श डी–08 के लेजर के अनुसार प्रदर्श पी–18 के मार्फत 810/– रूपए का भुगतान होने के बाद भी प्रत्यर्थी क्रमांक 01 की ओर सम्पत्ति कर की राशि 16,277.88/– वर्ष 2022–23 में लेना बकाया निकलती थी। पद क्रमांक 17 में यह बताया है कि प्रदर्श डी–35 लगायत डी–38 के आवेदनों की जॉच कर शिकायतों का निराकरण किया गया था। अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा नेशनल लोक अदालत वर्ष 2024 में टैक्स जमा किया गया था, इससे यह पाया था कि उसने अपने बकाया का दायित्व स्वीकार कर टैक्स जमा कर दिया है।

75:– उक्त साक्षी के कथन से प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य लाए गए हैं कि नोड्यूज प्रदर्श पी–31 एवं पी–32 नगर निगम के रजिस्टर में जावक नहीं हुए थे। साक्षी ने इसके अलावा यह भी बताया है कि प्रदर्श डी–08 के लेजर में राशि जमा होने के बाद भी बकाया राशि शेष रही थी। साक्षी पश्चात् में लोक अदालत में बकाया राशि के दायित्व को स्वीकार कर जमा करना बताता है।

76:– उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता की ओर से परीक्षित साक्षी शैलेष कुमार (आ0सा0–03) के सम्पूर्ण कथन का अवलोकन किया जाए, तो यह दर्शित होता है कि यह साक्षी लेजर रिपोर्ट लेकर आया है, उसके द्वारा प्रस्तुत की गई लेजर रिपोर्ट में भवन क्रमांक 39/3, दौलतगंज, इंदौर पर सम्पत्ति कर 5,366/– रूपए बकाया होना दर्शित है, यद्यपि उसने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि नो–ड्यूज रसीद को मान्य किया जाता है, लेकिन अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से परीक्षित होने पर इस साक्षी ने यह तथ्य स्पष्ट किया है कि प्रदर्श डी–18 द्वारा 810/– रूपए जमा होने के बाद भी प्रत्यर्थी क्रमांक 01 की ओर सम्पत्ति कर का बकाया 16,227.81/– रूपए था। प्रस्तुत किए गए प्रदर्श डी–08 के दस्तावेज से दर्शित है कि उसमें बकाया वर्ष 2002–03 से 2015–16 से 2022–23 तक कुल 810/– रूपए जमा करने के बाद भी बकाया राशि 16,227.81/– रूपए शेष थी। अतः उक्त बकाया शेष होते हुए किस प्रकार से नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जारी किया गया, इस संबंध में आगामी साक्ष्य अवलोकनीय होगी।

77:– अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से परीक्षित नो–ड्यूज जारी करने वाले साक्षी महेन्द्र सिंह राठौर (अना0सा0–05) ने कथन किया है कि वह जून–2022 में झोन नंबर 11 में पदस्थ था, वह नगर पालिक निगम, इंदौर के झोनल कार्यालय क्रमांक 11 से पत्र क्रमांक 32 एवं 33 दिनांक 11.06.2022 का अभिलेख लेकर उपस्थित हुआ है, प्रदर्श डी–40 एवं डी–41

(उक्त दस्तावेज पूर्व से प्रदर्श डी–31 व डी–32 के रूप में प्रदर्शित है) के प्रमाण–पत्र उसके द्वारा जारी किए गए हैं, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त प्रमाण–पत्र कार्यालय में आवेदन आने पर जारी किए गए थे, उक्त आवेदन–पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज जिनमें जमा की गई रसीदें शामिल थीं।

78:– इस प्रकार इस साक्षी के कथन अनुसार प्रदर्श डी–31 एवं डी–40 के अनुसार मकान नंबर 39/2–3 दौलतगंत, इंदौर के सम्पत्ति खाता कमांक 1001093488 एवं उक्त मकान के ही अन्य चार सम्पत्ति खाते 1001093477, 1001093487, 1001093486, 1001093878 एवं उक्त भवन के ठोस अपशिष्ट उपभोक्ता प्रबंधन प्रभार शुल्क आई0डी0 कमांक 1000522987 तथा 1000522985, 1000522966, 1000522977, 1000522978 का अपशिष्ट उपभोक्ता प्रबंधन खाते की राशि जमा होने से उस पर कोई बकाया शेष न होने की रिपोर्ट प्रस्तुत की है। उक्त प्रमाण–पत्र में ही मकान नंबर 10/3 के सम्पत्ति कर खाता नंबर 1001096627 एवं ठोस अपशिष्ट खाता आई0डी0 नंबर 1000525431 का भी नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जारी किया है। साक्षी के मुख्य परीक्षण से ही दर्शित है कि उसने आवेदन आने पर तथा जमा रसीदों के आधार पर उपरोक्त नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जारी किए हैं।

79:– नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र प्रदर्श डी–41 के द्वारा मकान नंबर 20/2/3 के सम्पत्ति खाता कमांक 1001091931 तथा ठोस अपशिष्ट खाता कमांक 1000527378 का कोई शुल्क बकाया न होने का प्रमाण–पत्र जारी किया गया है।

80:– साक्षी महेन्द्र सिंह राठौर (अना0सा0–05) ने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 04 में यह कथन किया है कि उसे नोड्यूज प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए अधिकृत किए जाने हेतु आदेश आया था, स्वतः कहा कि मौखिक आदेश आया था, वह दिनांक नहीं बता सकता कि जिस दिनांक को नो–ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करने के लिये हेतु अधिकृत करने बाबत् मौखिक

आदेश आया था। पद क्रमांक 05 में यह स्वीकार किया है कि उसे दिनांक 31.07.2022 को आयुक्त नगर पालिका ने निलंबित किया था, निलंबित करने के कारण की साक्षी ने जानकारी नहीं दी है, यह अस्वीकार किया है कि उसने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य किया था, इसलिए उसे निलंबित किया था।

81:– पूर्वोक्त साक्षी महेन्द्र सिंह राठौर ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 06 में यह पूछे जाने पर कि एक ही संपत्ति के संबधं में एक ही नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है, एक नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र में कई संपत्तियों का नो–ड्यूज जारी किये जाने का कोई प्रावधान नहीं है ? जिस पर साक्षी का कहना है कि आवेदक जैसा आवेदन देता है तथा आवेदन के साथ जो रसीदें संलग्न की जाती हैं, उन्हें देखकर नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जारी किया जाता है। पद क्रमांक 07 में बताया है कि हम तो आवेदक के द्वारा दिये गये आवेदन एवं संलग्न दस्तावेजों को देखकर नो–ड्यूज प्रमाण पत्र जारी करते हैं। यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–40 का जो वह दस्तावेज लाया हूँ, वह पूरा फोटो कॉपी है, स्वतः कहा कि नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र दो कॉपियों में बनाकर ओरिजनल संबंधित को दे देते हैं और उसकी फोटो कॉपी अपने पास रख लेते हैं।

82:– साक्षी महेन्द्र सिंह राठौर ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 08 में यह कथन किया है कि प्रदर्श डी–40 एवं प्रदर्श डी–41 पर जावक क्रमांक–32 एवं 33 उसके द्वारा नहीं डाले गए हैं, स्वतः कहा कि संबंधित क्लर्क द्वारा डाले गए हैं। इसी पद में साक्षी से यह प्रश्न पूछे जाने पर कि क्या आप प्रदर्श पी–37 के जावक रजिस्टर को पहचानने से इसलिये इन्कार कर रहे हो, क्योंकि उसमें प्रदर्श डी–40 एवं प्रदर्श डी–41 के पत्र जावक का उल्लेख नहीं है ? इस पर साक्षी का उत्तर है कि उसने जावक रजिस्टर नहीं देखा था, इसलिये नहीं बता सकता कि उसमें प्रदर्श डी–40 एवं प्रदर्श डी–41 के पत्रों का उल्लेख है अथवा नहीं।

83:— उपरोक्तानुसार उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण से स्पष्ट है कि उसने तत्समय नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जारी करने के लिए स्वयं को अधिकृत करने बाबत् कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, उसके अनुसार उसे मौखिक रूप से अधिकृत किया गया था। यह अस्वाभाविक है कि कार्यालय में बिना किसी आदेश के उपरोक्त महत्वपूर्ण कार्य के लिए किसी व्यक्ति को अधिकृत किया जाए। साक्षी के अनुसार उसने रसीदें देखकर ही नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जारी किया है। साक्षी के कथन से यह दर्शित नहीं होता कि उसने तत्समय सम्पत्ति खाते का लेजर देखा था। साक्षी द्वारा दोनों नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र पर जो जावक क्रमांक 32 व 33 अंकित किए हैं, उससे संबंधित कोई जावक रजिस्टर इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं है। उपरोक्त दोनों प्रमाण–पत्र दिनांक 11.06.2022 को जारी किए गए हैं।

84:— साक्षी अंसाफ अंसारी (अना0सा0–07) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 09 में यह स्वीकार किया है कि वर्ष 2020 से शनिवार एवं रविवार को नगर पालिका निगम, इंदौर का कार्यालय बंद रहता है, उक्त दिनांक को स्वाभाविक रूप से शनिवार का दिन था। अतः अनावेदक क्रमांक 01 के आवेदन पर केवल उसकी रसीदों को देखकर अवकाश वाले दिन नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जारी किया जाना अनावेदक क्रमांक 01 के सम्पत्ति कर बकाया जमा के दायित्व को समाप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है।

85:— अतः यह दर्शित होता है कि साक्षी महेन्द्र कुमार राठौर द्वारा बिना किसी सक्षम प्राधिकारी के आदेश तथा बिना प्रक्रिया का पालन किए अवैध रूप से नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जारी करने की कार्यवाही की है।

86:— पूर्वोक्त साक्षी शैलेष कुमार (अना0सा0–03) द्वारा अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 17 में यह बताया है कि अनावेदक क्रमांक 01 ने नेशनल लोक अदालत वर्ष 2024 में टैक्स जमा किया है, जिसमें उनके द्वारा यह पाया गया कि उसने अपना दायित्व स्वीकार कर टैक्स जमा किया है। साक्षी सुनहरा अंसारी (अना0सा0–06) ने भी अपने प्रतिपरीक्षण के पद

क्रमांक 64 में यह बताया है कि प्रदर्श डी–33, 36 एवं 38 में उनके द्वारा यह बात लिखी गई है कि वर्ष 2024 की नेशनल लोक अदालत में पूर्ण राशि जमा कर दी गई है।

87:– उक्त से यह दर्शित होता है कि पश्चात् में टैक्स जमा करने की कार्यवाही की गई थी, यदि वास्तविक रूप से टैक्स पूर्ण रूप से जमा कर नो–ड्यूज प्राप्त किया जा चुका था, तब पुनः लोक अदालत में टैक्स जमा करने की आवश्यकता होना दर्शित नहीं थी। अतः उक्त तथ्य अनावेदक क्रमांक 01 के इस पश्चात्वर्ती आचरण को दर्शित करता है कि उनके द्वारा प्रदर्श डी–17 लगायत डी–30 के माध्यम से जो टैक्स जमा किया गया, वह काफी कम मात्रा में था और उसके बाद भी टैक्स बकाया था, जिसे उनके द्वारा लोक अदालत में जमा किया गया।

88:– साक्षी सुनहरा अंसारी (अना0सा0–06) ने नो–ड्यूज (प्रदर्श डी–31 एवं डी–32) के आधार पर ही नगर निगम में सम्पत्ति कर एवं गार्वेज का टैक्स जमा करने की साक्ष्य दी है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 70 में साक्षी यह नहीं बता सकी कि प्रदर्श डी–17 लगायत डी–30 में टैक्स जमा करने के बाद कितना कर बकाया था।

89:– साक्षी अंसाफ अंसारी (अना0सा0–07) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 20 में यह पूछे जाने पर मकान नंबर 39/3, दौलतगंज, इंदौर का वर्ष 2022–23 में 810/– रूपए भुगतान करने के बाद 16,227.81/– रूपए का सम्पत्ति कर बकाया दिखाई दे रहा है, इस पर साक्षी का कहना है कि उसके द्वारा टैक्स भरा गया और नो–ड्यूज लिया गया था। इस प्रकार इसका स्पष्टीकरण नहीं है कि बकाया टैक्स क्यों दिखाई दे रहा है। यदि पूर्ण टैक्स रसीदों के माध्यम से भरा गया था, तब यह क्या कारण है कि लेजर खाते में बकाया टैक्स जमा होना दिखाई देता रहा, जिसे उक्त साक्षीगण ने पश्चात् में लोक अदालत में जमा किया है।

90:– उपरोक्तानुसार सम्पूर्ण विवेचन से यह दर्शित होता है कि मकान नंबर 39/3, जिसके पॉच सम्पत्ति खाता कमांक रहे हैं, उनके संबंध में प्रदर्श डी–18, डी–25, डी–27 लगायत डी–29 से केवल 810–810/– रूपए की राशि जमा की गई, जबकि उक्त खाते में निर्वाचन पूर्व उससे कहीं अधिक राशि बकाया थी, उसके बाद भी साक्षी महेन्द्र सिंह अनावेदक कमांक 05 ने बिना लेजर खाते का अवलोकन किए केवल अनावेदक कमांक 01 के आवेदन एवं उसकी रसीदों के आधार पर नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र बिना विधिक प्रकिया अपनाए जारी किए हैं।

(iv) दौलतगंज इंदौर स्थित भवन कमांक 20/3 पर एक वर्ष से अधिक अवधि का सम्पत्ति कर बकाया की जानकारी न देना :–

91:– उपरोक्त सन्दर्भ में याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी (आ0सा0–01) ने अपनी याचिका में यह अभिवचन किया गया है कि दौलतगंज, इंदौर स्थित भवन कमांक 20/3 के स्वामी स्व0 हाजी आफताब अहमद थे, उनकी मृत्यु के उपरांत उनके वारिस सम्पत्ति में संयुक्त स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं। उक्त सम्पत्ति में नगर निगम का 76,395/– रूपए कर बकाया है, जो कि अनावेदक कमांक 01 के पति अंसाफ अंसारी एवं उनके पिता तथा अन्य वारिसों द्वारा देय है, जिसका बकाया शपथ–पत्र में छिपाया है तथा सम्पत्ति का बाजार मूल्य भी छिपाया गया है।

92:– उक्त संबंध में अनावेदक कमांक 01 की ओर से अपने जवाब के पद कमांक 4–द में यह बताया है कि उक्त भवन में प्रत्यर्थी कमांक 01 का स्वत्व स्वामित्व नहीं होकर, प्रत्यर्थी कमांक 01 के पति अंसाफ अंसारी का एक छोटा–सा भाग है, जिसके संबंध में पूर्ण सम्पत्ति कर जमा कराया गया है, उसकी जानकारी शपथ–पत्र में भी दी गई है।

93:– अनावेदिका कमांक 01 की ओर से प्रस्तुत किए गए शपथ–पत्र (प्रदर्श पी–05) में स्थावर सम्पत्ति के ब्यौरे के कम संख्या (।।।)

में उपरोक्त भवन का 357 वर्गफीट भाग अंसाफ अंसारी के स्वत्व व आधिपत्य में होना दर्शित किया है, यह उल्लेख किया है कि पूर्व में टंकण त्रुटिवश उसे 600 रूपए वर्गफीट अंकित कर दिया था। अपने भाग की कीमत 50 लाख रूपए उक्त पद के अंतिम भाग पर की गई, लेकिन उस पर कोई बकाया होना दर्शित नहीं किया है।

94:– याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी (आ0सा0–01) ने अपने मुख्य परीक्षण के पद कमांक 10 में बताया है कि अनावेदक कमांक–01 के ससुर आफताब अहमद के स्वामित्व का एक अन्य भवन कमांक–20/03, दौलतगंज, इंदौर था जो कि उनकी मृत्यु के उपरांत अनावेदक कमांक–01 के पति अंसाफ अंसारी एवं अन्य वारिसों को प्राप्त हुआ है, जिसमें अन्य वारिसों के साथ अनावेदक कमांक–01 के पति अंसाफ अंसारी का संयुक्त स्वत्व एवं आधिपत्य है, उक्त भवन का बाजार मूल्य चार करोड़ रूपये से अधिक है, अनावेदक कमांक–01 के द्वारा उक्त भवन, उसका बाजार मूल्य एवं उस पर नगर पालिका निगम को देय बकाया संपत्तिकर 76,395/–रूपये शपथ पत्र (प्रदर्श पी–05) में छिपाये गए हैं, उक्त भवन के संपत्ति कर की लेजर रिपोर्ट लोक सूचना के अंतर्गत प्राप्त सत्यप्रतिलिपि प्रदर्श पी–15 है।

95:– याचिकाकर्ता ने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 48 में यह स्वीकार किया है कि विनोद नागर की जॉच के पश्चात मकान नंबर 20/3, दौलतगंज, इंदौर पर मनीष पाण्डेय, प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी व राजेश परमार प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी द्वारा बिल कलेक्टरों के साथ संयुक्त रूप से मौका निरीक्षण कर नप्ती करने के आदेश आयुक्त महोदय ने दिए थे। इस बात की जानकारी नहीं होना बताया है कि उक्त जॉच में मकान नंबर 20/3, दौलतगंज, इंदौर पर 06 खाते संपत्ति कर के अलग–अलग व्यक्तियों के अलग–अलग हिस्सों के पाए गए थे। स्वतः कहा कि मकान नंबर 20/3, दौलतगंज, इंदौर चार मंजिला है। पद कमांक 49

में यह अस्वीकार किया है कि उक्त जांच में अनावेदक क्रमांक 01 के पति का मकान नंबर 20/3, दौलतगंज, इंदौर पर 357 वर्गफीट भाग पाया गया था, स्वतः कहा कि अनावेदक क्रमांक 01 के पति का मकान नंबर 20/2/3, दौलतगंज, इंदौर है। इसी पद में आगे यह स्वीकार किया है कि उसने मकान नंबर 20/3 व मकान नंबर 20/2/3, दौलतगंज, इंदौर के अलग–अलग होने एवं स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेज पेश नहीं किए हैं।

96:– याचिकाकर्ता ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 51 में यह जानकारी नहीं होना बताया है कि उक्त शिकायत के निराकरण में मकान नंबर 20/3 पर अनावेदक क्रमांक 01 के पति अंसाफ अहमद का ग्राउण्ड फ्लोर पर 357 वर्गफीट व्यावसायिक होना पाया गया, जिसका सर्विस क्रमांक 716701334 है। यह जानकारी होना भी नहीं बताया है कि उक्त खाते के अतिरिक्त मकान नंबर 20/3, दौलतगंज, इंदौर में अन्य पांच लोगों के हिस्से होकर उनके पृथक–पृथक संपत्ति कर खाते होकर पृथक–पृथक सर्विस क्रमांक हैं, स्वतः कहा कि वर्तमान याचिका में उसका आक्षेप अनावेदक क्रमांक 01 के ससुर आफताब अंसारी के उपर संपत्ति कर बकाया होने के संबंध में है। आफताब अंसारी की मृत्यु के बाद अनावेदक क्रमांक 01 के पति का उक्त बकाया राशि को जमा करने का दायित्व है। पद क्रमांक 52 में यह जानकारी न होना बताया है कि मकान नंबर 20/3, दौलतगंज, इंदौर के नगर निगम में अलग–अलग संपत्ति कर खाते किस आधार पर बने हैं, उसने ऐसी जानकारी लेने का कोई प्रयास नहीं किया है। यह स्वीकार किया है कि अनावेदक क्रमांक 01 ने अनावेदक क्रमांक 01 के पति का मकान नंबर 20/3, दौलतगंज, इंदौर में 357 वर्गफीट भाग होने का उल्लेख किया है। इसी पद में आगे साक्षी से यह पूछे जाने पर कि मकान नंबर 20/3, दौलतगंज, इंदौर पर अनावेदक क्रमांक 01 के पति का 357 वर्गफीट भाग के अतिरिक्त हिस्सा है, यह किस आधार पर बता रहे हो तो साक्षी का कहना है कि वह संपत्ति कर की लेजर रिपोर्ट प्रदर्श पी–15

के आधार पर बता रहा है।

97:– याचिकाकर्ता ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 53 में साक्षी को प्रदर्श पी–15 का दस्तावेज दिखाकर पूछे जाने पर कि उक्त दस्तावेज में अनावेदक क्रमांक 01 के पति अंसाफ अंसारी का कितना हिस्सा उल्लेखित है, तो साक्षी का कहना है कि इस दस्तावेज में किसी का हिस्सा होने का उल्लेख नहीं है और ऐसे दस्तावेज पर हिस्से के संबंध में लिखा भी नहीं होता है, उक्त संपत्ति अनावेदक क्रमांक 01 के ससुर की संपत्ति है, जिसमें उसके पति का सहस्वामित्व है और टैक्स के प्रति दायित्व भी है। यह जानकारी नहीं होना बताया है कि अनावेदक क्रमांक 01 व उसके पति का इस संपत्ति में कितना हिस्सा है। पद क्रमांक 54 में इस बात की जानकारी नहीं होना बताया है कि उसे वर्तमान याचिका में आक्षेपित किसी भी संपत्ति में अनावेदक क्रमांक 01 व उसके पति का कितना हिस्सा है एवं वर्तमान याचिका में आक्षेपित संपत्तियों के संबंध में कितने संपत्ति कर खाते प्रचलित हैं। पद क्रमांक 55 में यह स्वीकार किया है कि लेजर रिपोर्ट प्रदर्श पी–15 अनावेदक क्रमांक 01 व उसके पति के नाम की नहीं है। उसे मकान नंबर 26/3 व 20/3, दौलतगंज, इंदौर की शासकीय गाईडलाईन की जानकारी नहीं है, स्वतः कहा कि 20/3, दौलतगंज, इंदौर का बाजार मूल्य 04 करोड़ है।

98:– याचिकाकर्ता ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 60 में बताया है कि उसने अपनी याचिका के चरण 04–द में अनावेदक क्रमांक 01 के पति अंसाफ अंसारी को मकान नंबर 20/03, दौलतगंज, इंदौर स्थित भवन के 2614 वर्गफीट आवासीय एवं 301 वर्गफीट वाणिज्यिक संपत्ति का संयुक्त स्वामी, स्वामित्व संबंधी दस्तावेज के आधार पर न लिखकर लेजर रिपोर्ट प्रपी–15 के आधार पर लिखा है, क्योंकि लेजर रिपोर्ट प्रदर्श पी–15 अंसाफ अंसारी के पिता के नाम है और उनकी मृत्यु के पश्चात अंसाफ अंसारी उसमें संयुक्त स्वामी है। पद क्रमांक 61 में बताया है कि अनावेदक क्रमांक

01 के पति की संपत्ति मकान नंबर 20/03, दौलतगंज, इंदौर में 600 वर्गफीट थी, व्यावसायिक की लंबाई–चौड़ाई दर्शित नहीं है, जिसे अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके नगर निगम में 357 वर्गफीट लिखाया है और शपथ पत्र प्रदर्श पी–05 में टंकण त्रुटि दर्शाया है। पद क्रमांक 73 में बताया है कि उसके द्वारा नगर पालिक निगम, इंदौर में मकान नंबर 20/2/3, दौलतगंज, इंदौर के संबंध में जो शिकायत की गयी थी, उसकी जांच में अंसाफ अहमद का उक्त भवन में सर्विस क्रमांक 716701334 का 357 वर्गफीट व्यावसायिक उपयोग का भाग पाया गया था, स्वतः कहा कि लंबाई–चौडाई का उल्लेख नहीं है, अंसाफ अंसारी ने स्वयं के शपथ पत्र में 600 वर्गफीट वताया था, अपने प्रभाव से जांच में 357 वर्गफीट कराया है।

99:– याचिकाकर्ता ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 74 में बताया है कि उसके द्वारा नगर पालिक निगम, इंदौर में मकान नंबर 20/2/3, दौलतगंज, इंदौर के संबंध में जो शिकायत की गयी थी, उसकी जांच रिपोर्ट प्रदर्श डी–01 है। पद क्रमांक 75 में स्वीकार किया है कि मकान नंबर 20/2/3, दौलतगंज, इंदौर में अंसाफ अंसारी के 357 वर्गफीट व्यावसायिक भाग होने का उल्लेख शपथ पत्र प्रपी–05 में है तथा उक्त मकान की अनुमानित कीमत रूपये 50 लाख भी उक्त शपथ पत्र में उल्लेखित है, यह भी स्वीकार किया है कि उसने मकान नंबर 20/2/3, दौलतगत, इंदौर के मकान में अंसाफ अंसारी व अनावेदक क्रमांक 01 के स्वत्व का 357 वर्गफीट भाग के अतिरिक्त अन्य कोई भाग होने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है।

100:– उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता के प्रतिपरीक्षण से दर्शित होता है कि वह इस संबंध में स्वयं सुनिश्चित नहीं है कि मकान नंबर 20/2/3 दौलतगंज, इंदौर में कितना भाग अनावेदक क्रमांक 01 के पति अंसाफ अंसारी का है। साक्षी द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेज लेजर रिपोर्ट (प्रदर्श पी–15) में भवन आफताब अहमद के नाम से दर्ज है, उसके वारिसानों को

कितना हिस्सा प्राप्त हुआ, इसका उल्लेख अभिलेख पर नहीं है। प्रदर्श डी–01 के दस्तावेज एवं अनावेदक क्रमांक 01 के स्वयं प्रकटीकरण अनुसार उक्त भवन में अंसाफ अंसारी का हिस्सा 357 वर्गफीट होना पाया गया है, इस संबंध में अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से प्रस्तुत की गई साक्ष्य का कोई खण्डन भी नहीं है। अतः यही प्रमाणित पाया जाता है कि उक्त सम्पत्ति में अनावेदक क्रमांक 01 के पति का 357 वर्गफीट हिस्सा रहा है।

101:– जहॉ तक उपरोक्त भवन पर कर की देयता का सम्बन्ध है, उक्त संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से परीक्षित साक्षी शैलेष कुमार (आ0सा0–03) ने अपने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 06 में बताया है कि मकान नंबर 20/3, दौलतगंज, इंदौर के आफताब अहमद पिता नूर मोहम्मद की सम्पत्ति कर की लेजर रिपोर्ट (प्रदर्श पी–34) पर कैशियर दिनेश शर्मा के हस्ताक्षर हैं, उसने उनके साथ काम किया है, इसलिए उनके हस्ताक्षर पहचानता है, उक्त लेजर रिपोर्ट (प्रदर्श पी–34) के अनुसार वर्ष 2022–23 में आफताब अहमद पिता नूर मोहम्मद पर भवन क्रमांक 20/3, दौलतगंज पर वर्ष 2015–16 से सम्पत्ति कर राशि रूपए 77,407/– बकाया थी।

102:– याचिकाकर्ता की ओर से परीक्षित साक्षी शैलेष कुमार (आ0सा0–03) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 11 में यह बताया है कि इसी भवन का सम्पत्ति कर, जल कर, ठोस अपशिष्ट कर जमा है और उसका नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र चाहें तो वह नगर पालिका के राजस्व विभाग द्वारा दिया जाता है। पद क्रमांक 12 में यह स्वीकार किया है कि यदि बकाया कर जमा करने की रसीद हो तो वह मान्य की जावेगी, पद क्रमांक 13 में यह बताया है कि कर जमा होने के संबंध में कोई नोड्यूज प्रमाण–पत्र जमा किया जाता है, तो उसकी प्रति राजस्व विभाग में जमा रहती है। पद क्रमांक 15 में यह बताया है कि नोड्यूज प्रमाण–पत्र कम्प्यूटर में संधारित नहीं करते, स्वतः कहा कि हार्ड कॉपी में दिया जाता है।

नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जलकर, ठोस अवशिष्ट कर संबंधी प्रदान किया जाता है। पद क्रमांक 17 में यह स्वीकार किया है कि उसके द्वारा लाए गए दस्तावेजों के खातों के संबंध में कोई नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र एवं जी0आई0एस0 सर्वे के कारण त्रुटि होने संबंधी कोई प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया हो, तो उसके पश्चात् उसके द्वारा खातों को अपडेट नहीं किया गया है। पद क्रमांक 18 में यह बताया है कि वह जो दस्तावेज लेकर आया है, उसके संबंध में नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है, तो वह मान्य किया जावेगा।

103:– अनावेदक क्रमांक 05 की ओर से परीक्षित साक्षी शैलेष कुमार (अना0सा0–01) ने अपने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 05 में बताया है कि मकान नंबर 20/3 दौलतगंज का ठोस अपशिष्ट का शुल्क का बकाया वर्ष 2017–18 से वर्ष 2022–23 तक का लेजर (प्रदर्श डी–11) है, जिसके ए से ए भाग पर रूपए 7,128/– बकाया था, जिसका क्रमांक 1000527383 है। पूर्वोक्तानुसार उक्त सम्पत्ति पर ठोस अपशिष्ट बकाया के संबंध में याचिकाकर्ता का कोई अभिवचन या मामला नहीं है। अतः उक्त बकाया के संबंध में साक्षी द्वारा प्रस्तुत किया गया कथन, विचार योग्य नहीं पाया जाता है।

104:– अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से परीक्षित साक्षी बी0एल0 शर्मा (अना0सा0–02) ने अपने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 02 में बताया है कि कार्यालय नगर पालिक निगम इंदौर, झोनल कार्यालय क्रमांक 11, क्रमांक 33 दिनांक 11.06.2022 द्वारा अंसाफ अंसारी को मकान नंबर 20/2–3 का नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र (प्रदर्श डी–32) है, जिसकी छायाप्रति प्रदर्श डी–32सी है। उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 06 के अंत में स्वीकार किया है कि उसके द्वारा कार्यालय नगर पालिक निगम, इंदौर झोनल क्रमांक 11 के जावक रजिस्टर के क्रमांक 32 से प्रदर्श डी–31 का नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र एवं क्रमांक 33 से प्रदर्श डी–32 का नो–ड्यूज

प्रमाण–पत्र जारी किया गया है अथवा नहीं, वह इस संबंध में कुछ नहीं कह सकता है।

105:– अनावेदक क्रमांक 05 की ओर से परीक्षित साक्षी महेन्द्र सिंह राठौर (अना0सा0–05) के पूर्वोक्त पदों में किए गए विवेचन से यह दर्शित हुआ है कि इस साक्षी ने नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र अनावेदक क्रमांक 01 के आवेदन एवं रसीदों के आधार पर जारी किए, प्रदर्श डी–30 की रसीद अनुसार केवल 4,360/– रूपए जमा किए गए, जबकि उक्त राशि जमा होने के बाद भी भवन क्रमांक 20/2/3 पर प्रदर्श पी–15 एवं प्रदर्श पी–34 के अनुसार वर्ष 2022–23 में 77,407/– रूपए बकाया था। इस संबंध में साक्षी द्वारा लेजर खाते का अवलोकन किए बिना सम्पूर्ण आई0डी0 पर नो–ड्यूज का प्रमाण–पत्र जारी कर दिया गया। अतः उसके कथन से यह दर्शित नहीं होता है कि भवन पर कोई कर बकाया नहीं था।

106:– उपरोक्त सन्दर्भ में अनावेदक क्रमांक 01 सुनहरा अंसारी (अना0सा0–06) का यह कथन है कि उक्त मकान नंबर 20/3 की उसे कोई जानकारी नहीं है, साक्षी अंसाफ अंसारी (अना0सा0–07) ने उपरोक्त भवन का 357 वर्गफीट भाग प्राप्त होना बताया है तथा कर जमा कर नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र प्राप्त करना बताया है, लेकिन जिस नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र के आधार पर दावा किया गया है, वह पूर्वोक्त विवेचन से उचित प्रकृति का नहीं होना पाया गया है।

107:– उपरोक्तानुसार यह निष्कर्ष है कि दौलतगंज, इंदौर स्थित भवन क्रमांक 20/3 आफताब अंसारी के नाम से दर्ज है, किन्तु अनावेदक क्रमांक 01 की स्वीकारोक्ति अनुसार उक्त भवन में से 357 वर्गफीट का भाग उसके पति को प्राप्त हुआ है। उक्त भाग का अनुपातिक रूप से बकाया जमा कर नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र प्राप्त किया जाना दर्शित नहीं है, अपितु प्रदर्श डी–30 द्वारा 4,360/– रूपए जमा होने के बाद भी कहीं अधिक राशि शेष रही।

(v) दौलतगंज इंदौर स्थित भवन क्रमांक 10/3 पर एक वर्ष से अधिक अवधि का सम्पत्ति कर बकाया एवं उसका कुल एरिया की जानकारी न देना :–

108:– उपरोक्त सन्दर्भ में याचिकाकर्ता का यह अभिवचन है कि भवन क्रमांक 10/3, दौलतगंज, इंदौर अनावेदक क्रमांक 01 ने अपने शपथ–पत्र में 200 वर्गफीट का होना बताया है, जबकि वह वास्तव में 400 वर्गफीट का है, 200 वर्गफीट भाग शपथ–पत्र में छिपाया गया है, संशोधन के माध्यम से यह अभिवचन किए गए हैं कि उक्त भवन पर एक वर्ष से अधिक का बकाया 19,839.14/– रूपए था।

109:– अनावेदिका क्रमांक 01 ने अपने अभिवचन के पद क्रमांक 04–ठ में यह बताया है कि भवन क्रमांक 10/3 वास्तविक रूप से 200 वर्गफीट भू–भाग की स्वामी है, उस पर सम्पूर्ण टैक्स का भुगतान किया गया है। संशोधन के माध्यम से यह अभिवचन किए गए कि उक्त भवन रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र दिनांक 03.12.2019 से सईदा–बी से क्रय किया गया था, उसके 286 वर्गफीट तल मंजिल एवं 286 वर्गफीट प्रथम मंजिल का भाग है, अनावेदिका क्रमांक 01 ने उक्त मकान में से तल मंजिल पर 86 वर्गफीट तथा प्रथम मंजिल का सम्पूर्ण भाग पुत्री नमरा–बी को हिबा कर दिया और याददाश्त लेख दिनांक 25.03.2022 को गवाहों के समक्ष निष्पादित किया, जिसके आधार पर नमरा–बी ने नामांतरण हेतु आवेदन भी दिया। अतः उसके पास केवल 200 वर्गफीट भाग ही रहा, जिसे पश्चात् जीर्ण–शीर्ण होने से नगर निगम द्वारा ध्वस्त कर दिया गया। एक अन्य संशोधन के माध्यम से यह प्रकट किया है कि उक्त भवन के संबंध में जी0आई0एस0 सर्वे के आधार पर संशोधन हुआ था और उसे व्यावसायिक वर्ष 2012–13 से न लेकर वर्ष 2019–20 से किया गया, इस संबंध में माह अक्टूबर–2022 में कोई बकाया न होने का पत्र भी जारी हुआ तथा निर्वाचन पूर्व इस भवन का भी सम्पूर्ण कर जमा कर नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र प्राप्त कर

लिया गया था।

110:– उपरोक्त अभिवचनों के संबंध में याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी (आ0सा0–01) ने अपने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 05 में बताया है कि अनावेदक क्रमांक–01 के द्वारा शपथ पत्र (प्रदर्श पी–05) में अनावेदक क्रमांक–01 के स्वामित्व के मकान नंबर–10/3, दौलतगंज, इंदौर, जो कि दो मंजिला निर्मित होकर 400 वर्गफीट का भवन है, के संबध में अनावेदक क्रमांक–01 द्वारा उक्त भवन को उक्त शपथ–पत्र (प्रदर्श पी–05) में पृष्ठ क्रमांक–07 पर मात्र 200 वर्गफीट का भवन होना दर्शाया है, जिसमें अनावेदक क्रमांक–01 के द्वारा प्रथम मंजिल पर निर्मित 200 वर्गफीट के आवासीय भाग को छिपाया गया है, शपथ–पत्र (प्रदर्श पी–05) के पृष्ठ क्रमांक–08 पर कंडिका–04 में आवासीय भवन के स्थान पर उक्त भवन के भाग को छिपाकर 'निरंक' लिखा गया है। उक्त भवन पर शपथ–पत्र (प्रदर्श पी–05) का शपथ–पत्र प्रस्तुत किये जाने की दिनांक को एक वर्ष से अधिक का लगभग 19,000/– से अधिक संपत्तिकर अनावेदक क्रमांक–01 के विरूद्व बकाया था, इस कारण से भी प्रत्यथी क्रमांक–01 निर्वाचन हेतु अयोग्य थी। इंदौर नगर पालिक निगम से मकान नंबर–10/03, दौलतगंज, इंदौर के बकाया संपत्तिकर की लेजर रिपोर्ट वर्ष 2021–22 (प्रदर्श पी–06) के अनुसार अनावेदक क्रमांक–01 की ओर नगर पालिक निगम का संपत्तिकर रूपये 19,839/–देना बकाया है, जिसका समरी लेजर (प्रदर्श पी–07) एवं प्रोपर्टी टेक्स डिमांड नोट (प्रदर्श पी–08) है।

111:– याचिकाकर्ता ने अपने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 06 में आगे यह भी बताया है कि यह याचिका प्रस्तुत होने के उपरांत अनावेदक क्रमांक–01 के द्वारा नगर पालिक निगम, इंदौर से अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके उक्त भवन का टैक्स कम करवा लिया है, किंतु उसके उपरांत भी निर्वाचन की दिनांक को अनावेदक क्रमांक–01 की ओर रूपये 7,772/–देना बकाया थे तथा अनावेदक क्रमांक–01 चुनाव लड़ने के लिये

अयोग्य थी। मकान नंबर–10/03, दौलतगंज, इंदौर के उसके द्वारा लिये गये छायाचित्र प्रदर्श पी–09 एवं पी–10 हैं, जिसके संबंध में उसके द्वारा धारा 65–बी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत प्रमाण पत्र (प्रदर्श पी–11) प्रस्तुत किया है।

112:– याचिकाकर्ता ने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 80 में यह अस्वीकार किया है कि दिनांक 11.06.2022 के नो–डयूज प्रमाण पत्र में मकान नंबर 39/3 व मकान नंबर 10/3 दौलतगंज, इंदौर के संपत्ति कर खातों में कोई संपत्ति कर बकाया न होने के संबध में उल्लेख है। पद कमांक 82 में यह स्वीकार किया है कि उसे अनावेदक कमांक 01 द्वारा प्रस्तुत आवेदन से इस बात की भी जानकारी हो गई थी, अनावेदक कमांक 1 ने मकान नंबर 10/3, दौलतगंज, इंदौर की प्रथम मंजिल का 286 वर्गफीट भाग एंव तल मंजिल का 86 वर्गफीट भाग अपनी पुत्री नमरा बी को उसके विवाह के समय गवाहों के समक्ष एलानिया हिबा कर दिया था, स्वतः कहा कि उक्त जानकारी असत्य है। पद कमांक 83 में साक्षी से यह पूछे जाने पर कि नमरा बी ने तो उसे झूठा हिबा होना नहीं कहा है, तो साक्षी का कहना है कि वह नमरा बी को नहीं जानता है, वह हाजी इम्तियाज हाजी अंसारी, पता–26/3 दौलतगंज उर्दू मैदान, इंदौर व सलमान अंसारी पिता अंसाफ अंसारी, पता–26/3 दौलतगंज उर्दू मैदान, इंदौर को भी नहीं जानता है। उसे उक्त दोनों व्यक्तियों ने कभी नहीं कहा कि उनके सामने नमरा बी के पक्ष में हिबा नहीं हुआ। पद कमांक 84 में बताया है कि मकान नंबर 10/3, दौलतगंज, इंदौर का संपत्ति कर खाता कमांक 1001096627 हो तो मुझे याद नहीं है। यह अस्वीकार किया है कि उक्त मकान नंबर के संपत्ति कर खाते के संबंध में नगर निगम, इंदौर द्वारा नो–डयूज प्रमाण पत्र जारी किया गया है। दस्तावेज प्रदर्श पी–06 उसे दिनांक 10.01.2023 को प्राप्त हुआ है। यह स्वीकार किया है कि दस्तावेज प्रदर्श पी–06 की प्रति उसने मूल याचिका के साथ पेश नहीं की थी।

113:– याचिकाकर्ता ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 91 में यह अस्वीकार किया है कि मकान नंबर 10/3 दौलतगंज, इंदौर में नमरा बी को हिबा कर दिए जाने के बाद केवल 200 वर्गफीट स्थान ही स्वामित्व में बचा था। यह भी स्वीकार किया है कि उसके द्वारा प्रस्तुत पूर्व याचिका क्रमांक 01/2013 में दिनांक 24.09.2013 को निर्णय (प्रदर्श डी–02) घोषित किया गया था।

114:– उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता की साक्ष्य का अवलोकन किया जाए, तो उसकी साक्ष्य से यह दर्शित होता है कि मकान नंबर 10/3, अनावेदिका क्रमांक 01 के नाम पर रहा, लेकिन उसने उसका सही क्षेत्रफल शपथ–पत्र में दर्ज नहीं किया तथा सम्पत्ति कर बकाया का भुगतान नहीं किया और उसकी जानकारी भी शपथ–पत्र में नहीं दी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इन बचावों को अस्वीकार किया है कि सम्पत्ति का हिबा अनावेदिका क्रमांक 01 ने अपनी पुत्री नमरा–बी को कर दिया था। प्रकरण के दौरान अनावेदिका क्रमांक 01 के द्वारा प्रस्तुत जवाब से उक्त जानकारी होना बताया है, लेकिन हिसाब करने की स्वीकारोक्ति नहीं है।

115:– उपरोक्त सन्दर्भ में अनावेदिका क्रमांक 01 सुनहरा अंसारी (अना0सा0–06) ने कथन किया है कि मकान नंबर 10/3 उसकी माता सईदा–बी का था, जो उन्होंने उसे दे दिया था और उसमें कुछ हिस्सा उनका भी था, किन्तु उसकी माता कहती है कि यह मकान मेरा ही है, इस मकान में जो उसका हिस्सा था, उसने अपनी पुत्री नमरा–बी को विवाह के समय हिबा कर दिया था, उसे याद नहीं है कि हिबा की कोई लिखा–पढ़ी हुई थी या नहीं। साक्षी ने उक्त भवन के सम्पत्ति कर की रसीद प्रदर्श डी–26 एवं ठोस अपशिष्ट खाते की रसीद प्रदर्श डी–17 प्रस्तुत की है। उसकी माता सईदा–बी की ओर से उसके पक्ष में हुआ सहस्वामित्व लेख प्रदर्श डी–45 प्रस्तुत किया गया है।

116:– उपरोक्तानुसार उक्त साक्षी प्रदर्श डी–45 के अनुसार भवन क्रमांक 10/3 में स्वयं को सहस्वामित्वधारी होना बताती है, इस संबंध में प्रदर्श डी–45 का दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है, उक्त दस्तावेज के प्रदर्श अंकन के समय यह आपत्ति ली गई थी कि दस्तावेज के संबंध में धारा 65–बी साक्ष्य विधान का प्रमाण–पत्र नहीं है, लेकिन दस्तावेज के अवलोकन से दर्शित है कि वह मूलतः प्रस्तुत है, जिस पर उपपंजीयक के हस्ताक्षर हैं। उक्त दस्तावेज के संबंध में पृथक से प्रमाण–पत्र की आवश्यकता होना दर्शित नहीं है। उक्त दस्तावेज से यह स्पष्ट है कि सईदा–बी ने दौलतगंज, इंदौर स्थित भवन क्रमांक 10/3 में अनावेदिका क्रमांक 01 को सहस्वामित्वधारी बनाया है, उक्त भवन के तल मंजिल व प्रथम मंजिल क्रमशः 286–286 वर्गफीट होना बताए गए हैं।

117:– अनावेदिका क्रमांक 01 ने अपने नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए शपथ–पत्र में भवन में स्वयं का हिस्सा 200 वर्गफीट होना बताया है, यद्यपि यह उल्लेख नहीं किया कि शेष भाग किसका है, दस्तावेज (प्रदर्श पी–45) से दर्शित है कि अनावेदिका क्रमांक 01 सहस्वामी है, तब उसका उसमें 286 वर्गफीट पर हिस्सा है, यद्यपि उसने यह कहा है कि उसकी मॉ कहती है कि सम्पूर्ण मकान उसी का है। अतः अनावेदिका सम्पूर्ण मकान को अपना होना मानती है।

118:– साक्षी सुनहरा बी के अनुसार उसने उपरोक्त भवन की तल मंजिल का 86 वर्गफीट एवं प्रथम मंजिल का 286 वर्गफीट का हिबा अपनी पुत्री नमरा–बी को किया है, लेकिन इस संबंध में कोई लिखा–पढ़ी होने की उसे कोई जानकारी नहीं है। प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 24 में यह बताया है कि मकान में क्या–क्या बना है, इसकी उसे जानकारी नहीं है, क्योंकि उसने पूर्व में कभी मकान नहीं देखा, पद क्रमांक 25 में यह बताती है कि उसने मकान बाहर से देखा है, मकान जर्जर है, उसे मकान बाहर से देखने पर उसमें दुकानें नहीं दिख रही हैं, उसे यह भी नहीं दिख रहा है कि

मकान दो मंजिला है एवं उसका क्षेत्रफल कितना है। पद क्रमांक 36 में यह जानकारी न होना बताया है कि उक्त मकान को जबरन खाली कराए जाने से श्रीमती मुश्तरी बी आदि द्वारा उसके तथा उसके पति के विरूद्ध न्यायालय में दावा प्रस्तुत किया था, आगे यह बताया है कि दावे में वह प्रतिवादी है तथा उसने व उसके पति ने जबावदावा प्रस्तुत किया है। पद क्रमांक 43 में यह जानकारी न होना बताया है कि उक्त मकान में अब्दुल मलिक के किराने की दुकान है तथा उसी दुकान में उसके भाई अफजल मौलाना के किराने की दुकान है तथा किराने की दुकान के पास मोहम्मद कुरेशी दूध की दुकान चलाते हैं। साक्षी पद क्रमांक 47 में बताती है कि उसने मकान में अपने हिस्से का हिबा किया था, लेकिन उसे नहीं पता कि उसका कौन–सा हिस्सा था, हिबा किस स्थान पर किया था, यह भी याद नहीं है।

119:– उक्त तथ्यों से दर्शित होता है कि इस साक्षी द्वारा हिबा करने की साक्ष्य अवश्य प्रस्तुत की गई है, लेकिन उसे वास्तविक रूप से कब हिबा किया गया, भवन के कौन से भाग का हिबा किया गया, भवन कितना बना हुआ है, इन तथ्यों की कोई जानकारी नहीं है।

120:– साक्षी अंसाफ अंसारी (अना0सा0–07) प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 17 में बताता है कि मकान नंबर 10/3 का उसकी पत्नी के साथ किसी भी व्यक्ति का कोई बंटवारा नहीं हुआ, स्वतः कहा कि उसकी पत्नी ने बेटी को उपर का हिस्सा हिबा कर दिया था, पत्नी के द्वारा हिबा किए जाने की कोई सूचना नगर पालिका निगम, इंदौर को नहीं दी, उसे ध्यान नहीं है कि हिबा किस दिनांक एवं किस वर्ष को हुआ था तथा उसकी कार्यवाही किस स्थान पर हुई थी, पद क्रमांक 18 में यह बताया है कि जब मकान क्रय किया था, तब खाली था, उसने और उसकी पत्नी ने किराए पर नहीं दिया, दो दुकानें खाली पड़ी हैं और उनका टैक्स भरा जा रहा है। इस प्रकार इस साक्षी को भी इस तथ्य की कोई जानकारी नहीं है कि वास्तविक

रूप से उनके मौखिक कथन अनुसार हिबा कब किया गया था तथा कौन से भाग का किया गया था, केवल उपर की मंजिल का हिवा करना वता रहा है, नीचे की मंजिल में से 86 फीट के हिबा के उसे जानकारी ही नही है।

121:– साक्षी नमरा–बी (अना0सा0–08) ने मकान नंबर 10/3 दौलतगंज, इंदौर का दिनांक 28.11.2021 को स्वयं के पक्ष में हिबा करना बताया है तथा उसकी लिखा–पढ़ी दिनांक 25.03.2022 को खजराना में उसके पिताजी, बड़े पिताजी इम्तियाज अहमद, भाई सलमान आदि की उपस्थिति में हुई थी, उसे हिबा किए जाने वाले स्थान का कब्जा भी दिया गया था और उसने कब्जा ले लिया था, हिबा की लिखा–पढ़ी पर उसकी माता ने हस्ताक्षर किए थे, उसके बाद उसने किए थे, फिर बड़े पापा और भाई ने किए थे, उक्त दस्तावेज उसे काफी प्रयास करने पर भी नहीं मिल रहा है, हिबा होने के बाद नगर निगम को नामांतरण हेतु आवेदन दिया था, वह आवेदन भी हिबा की लिखा–पढ़ी के साथ रखा है और प्रयास करने के बाद भी नहीं मिल रहा है।

122:– उपरोक्तानुसार उक्त साक्षी के कथन से दर्शित है कि वह स्वयं के पक्ष में हिबा होने की जानकारी दे रही है, लेकिन इस संबंध में हिबा का याददाश्त लेख और नामांतरण हेतु दिए गए आवेदन की प्रतिलिपि खोजने पर नहीं मिलना बताती है, प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 06 में यह बताती है कि नगर पालिक निगम में जो आवेदन दिया था, वह खजराना में टाईप कराया था, उसे याद नहीं है कि वह नगर निगम में आवेदन कब देने गई थी, उसे यह भी नहीं पता कितनी फीस जमा की गई थी, पद क्रमांक 07 में बताती है कि मकान नंबर 10/3 उसके निवास 26/3 के सामने स्थित है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि उसकी एक दुकान में मोहम्मद गोश्त की दुकान व दूसरी दुकान में सरफराज व जाकिर ए0सी0 फ्रिज की दुकान चलाते हैं। पद क्रमांक 08 में यह बताती है कि विवाह के उपरांत

पिता ने उसे खजराना स्थित मकान दिया था, जिसमें वह रहने के लिए चली गई थी। पद क्रमांक 09 में यह पता न होना बताया है कि हिबा की कार्यवाही किस स्थान पर हुई थी, पद क्रमांक 11 में यह नहीं बता सकी कि उसकी माताजी ने कितने बाई कितने बाई वर्गफीट की दुकान हिबा में की थी, स्वतः कहा कि 86 वर्गफीट थी, उसे नहीं पता कि मकान के कौन सी दिशा वाली दुकान थी। पद क्रमांक 13 में यह बताया है कि वह उक्त भवन का टैक्स भरने कभी नगर निगम नहीं गई।

123:– उपरोक्तानुसार साक्षी नमरा–बी के कथन का अवलोकन किया जाए, तो उसे भवन क्रमांक 10/3 में प्राप्त हुए हिस्से के क्षेत्रफल की ही जानकारी नहीं है, ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि उसने भवन पर आधिपत्य प्राप्त किया था, वह कुल 86 वर्गफीट का हिबा होना कहती है, जबकि अनावेदिका क्रमांक 01 के अनुसार तल मंजिल की 86 वर्गफीट और प्रथम मंजिल की 286 वर्गफीट जगह का हिबा किया गया था। हिबा का याददाश्त विलेख कहॉ लिखा गया, यह भी साक्षी को याद नहीं है। स्वयं के नामांतरण हेतु आवेदन देने के तथ्य मौखिक हैं, उसकी सम्पुष्टि किसी दस्तावेजी साक्ष्य से नहीं होती है।

124:– अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से परीक्षित साक्षी इम्तियाज अहमद अंसारी (अना0सा0–09) अंसाफ अंसारी का भाई है, उसके अनुसार सुनहरा अंसारी ने भवन क्रमांक 10/3 का नमरा–बी की शादी के समय एलानिया हिबा किया था, मकान नंबर 10/3 में से कुछ हिस्सा दिया था, उसे याद नहीं है कि कौन–सा हिस्सा दिया था, एलानिया हिबा की लिखा–पढ़ी तीन–चार माह बाद खजराना में हुई थी, उस समय सुनहरा अंसारी, नमरा, सलमान और वह मौजूद थे, लिखा–पढ़ी पर उनके द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस साक्षी ने भी पूर्वोक्त साक्षियों की भॉति प्रतिपरीक्षण में मकान में कौन–कौन किरायेदार हैं, इसकी जानकारी नहीं दी, उसे यह भी नहीं जानकारी कि हिबा की लिखा–पढ़ी खजराना के किस

स्थान पर हुई थी, कागज हाथ से लिखा था, टाईप हुआ था, या कम्प्यूटर से निकला था। अतः उक्त साक्षी भी केवल समर्थन करने के लिए तैयार किया गया साक्षी दर्शित होता है।

125:– उपरोक्त तथ्यों से यह दर्शित होता है कि इस प्रकरण में अनावेदिका कमांक 01 की ओर से मकान नंबर 10/3 के संबंध में अपनी पुत्री नमरा–बी को एलानिया हिबा का जो बचाव लिया है, वह परस्पर सम्पुष्टिकारक होकर विश्वसनीय प्रकृति का नहीं है। इस संबंध में साक्षीगण के कथनों में विरोधाभास हैं। याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत पूर्वोक्त न्यायदृष्टान्त **Dharmrao Sharanappa Shabadi and others Vs. Syeda Arifa Parveen** में प्रतिपादित विधि से यह स्पष्ट है कि मुस्लिम विधि में मौखिक हिबा संभव है, लेकिन पूर्वोक्तानुसार अपेक्षाएँ पूर्ण करनी होंगी।

126:– इस प्रकरण में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कोई साक्ष्य नहीं है कि मौखिक हिबा के अनुसरण में कब्जा देने की कार्यवाही हुई या अप्रत्यक्ष रूप से कब्जा लेने की पुष्टि हेतु कोई कार्यवाही हुई। मकान पर नामांतरण दर्ज कराने की कार्यवाही हुई हो या किराया आदि प्राप्त करने की भी कोई साक्ष्य नहीं है। अतः इस संबंध में अनावेदक कमांक 01 की ओर से प्रस्तुत पूर्वोक्त न्यायदृष्टान्त **Ajijanbai Vs. Abdul Shakoor** का कोई लाभ नहीं मिलता है।

127:– याचिकाकर्ता की ओर से तर्क के दौरान अधिनियम, 1956 की धारा 167(2) के आधार पर यह प्रकट किया है कि अंतरण की सूचना निगम को नहीं दिए जाने पर कर का भुगतान करने के लिए वही व्यक्ति दायी है, जिसके नाम पर सम्पत्ति का इंद्राज है। इस प्रकरण की परिस्थितियों का अवलोकन किया जाए, तो अनावेदिका कमांक 01 के नाम पर ही सम्पत्ति नगर निगम में दर्ज है, उसने अपने आपको सम्पत्ति का पूर्ण स्वामी होना बताया है, अतः वह समस्त बकाया कर का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगी।

128:— इस प्रकरण में याचिकाकर्ता द्वारा पूर्वोक्तानुसार प्रदर्श पी—06, 07, 08 के दस्तावेज प्रस्तुत कर यह प्रकट किया है कि वर्ष 2022—23 में 19,839/— रूपए उक्त भवन पर कर बकाया था। उपरोक्त सन्दर्भ में आवेदक की ओर से परीक्षित साक्षी शैलेष कुमार (आ0सा0—03) ने मुख्य परीक्षण के पद कमांक 02 में यह कथन किया है कि लेजर रिपोर्ट (प्रदर्श पी—03) के अनुसार सुनहरा बी पर भवन कमांक 10/3, दौलतगंज, इंदौर का वर्ष 2012—13 से 2022—23 तक का सम्पत्ति कर रूपए 21,386/— रूपए बकाया था। दस्तावेज के प्रदर्श अंकन पर तत्समय आपत्ति की गई है, लेकिन दस्तावेज साक्षी के संरक्षण का है, उसके द्वारा मात्र कम्प्यूटर ऑपरेट का धारा 65—बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण—पत्र (प्रदर्श पी—35) प्राप्त किया है। अतः दस्तावेज साक्ष्य में ग्रहण किए जाने योग्य है।

129:— उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता एवं साक्षी शैलेष कुमार के कथन से दर्शित है कि प्रश्नगत वर्ष में सम्पत्ति पर कर बकाया था। साक्षी शैलेष कुमार के प्रतिपरीक्षण में पूर्वोक्तानुसार तथ्य आए हैं, लेकिन उससे उसका बकाया के संबंध में किया गया कथन खण्डित नहीं होता है, उक्त साक्षी को अनावेदक कमांक 05 की ओर से परीक्षित कराया है, तब साक्षी ने ठोस अपशिष्ट शुल्क प्रदर्श डी—09 के अनुसार बकाया होने की साक्ष्य दी है, लेकिन उक्त संबंध में याचिकाकर्ता का मामला नहीं है। अतः उक्त संबंध में साक्ष्य ग्रहण किए जाने योग्य नहीं है, लेकिन सम्पत्ति कर का बकाया होना परस्पर सम्पुष्टिकारक है।

130:— अनावेदक कमांक 01 की ओर से परीक्षित साक्षी शैलेष कुमार (अना0सा0—03) ने कलेक्शन रिपोर्ट (प्रदर्श डी—33 एवं डी—34) प्रस्तुत की हैं, जो कि प्रदर्श डी—17 लगायत डी—30 की रसीदों द्वारा जमा किए हुए कर के संबंध में हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 12 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी—33 की रिपोर्ट से यह ज्ञात नहीं किया जा सकता

कि किस व्यक्ति द्वारा कितना कर बकाया है, किस व्यक्ति पर कितना कर बकाया है, इस संबंध में लेजर अथवा बिल से पता चल सकता है। इस साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 14 में यह कथन किया है कि प्रदर्श पी–30 के लेजर के अनुसार प्रदर्श डी–26 की रसीद के मार्फत 710/– रूपए का भुगतान दिनांक 07.06.2022 को होने के उपरांत भी नगर निगम को प्रत्यर्थी क्रमांक 01 की ओर सम्पत्ति कर की राशि 21,386.14/– वर्ष 2022–23 में लेना निकलती थी। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि वर्ष 2024 की लोक अदालत में अनावेदिका क्रमांक 01 की ओर से बकाया राशि जमा की गई है, जिसे उन्होंने दायित्व स्वीकार करते हुए टैक्स जमा किया जाना पाया है।

131:– अनावेदक क्रमांक 01 के साक्षी शैलेष कुमार (अना0सा0–03) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 15 में यह स्वीकार किया है कि उसने अपने मुख्य परीक्षण के चरण क्रमांक 03 में जो खाता क्रमांक 1001096627 दर्शाया है, उक्त खाता मकान नंबर–10/3 दौलतगंज इंदौर, प्रत्यर्थी क्रमांक–01 के स्वामित्व के भवन का खाता है, उक्त खाते में तलभूमि का क्षेत्रफल मात्र 200 वर्गफीट होना दर्शाया है, प्रथम मंजिल का क्षेत्रफल भी मात्र 200 वर्गफीट होना दर्शाया है, यदि उक्त मकान की तलभूमि का क्षेत्रफल 286 वर्गफीट है तो नगर पालिका निगम को उक्त संपत्ति की स्वामी से 86 वर्गफीट का संपत्तिकर प्रत्येक वर्ष का लेना अवशेष रहेगा। यदि उक्त मकान की प्रथम मंजिल का क्षेत्रफल 286 वर्गफीट है तो नगर पालिका निगम को उक्त संपत्ति की स्वामी से 86 वर्गफीट का संपत्तिकर प्रत्येक वर्ष का लेना अवशेष रहेगा। यह अस्वीकार किया है कि जब से खाता खुला है, उक्त दिनांक से ही 172 वर्गफीट का टेक्स प्रत्यर्थी क्रमांक 01 पर पृथक से बकाया लेना निकलेगा, स्वतः कहा कि जिस दिनांक को भवन का निर्माण हुआ है, उक्त दिनांक से प्रत्यर्थी क्रमांक 01 पर 172 वर्गफीट का टेक्स लेना बकाया निकलेगा।

132:– इस प्रकार उक्त साक्षी के कथन से दर्शित है कि अनावेदिका क्रमांक 01 के बचाव को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार किया जाए, तब भी प्रदर्श डी–26 की रसीद द्वारा बकाया कर का भुगतान नहीं हुआ। पूर्वोक्त साक्षी महेन्द्र सिंह राठौर (अना0सा0–05) द्वारा भवन क्रमांक 10/3 सम्पत्ति कर आई0डी0 नंबर 1001096627 के संबंध में भी नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र (प्रदर्श डी–40) जारी किया है, लेकिन उसके पूर्वोक्त कथन में आए तथ्यों से यह स्पष्ट हुआ है कि उक्त साक्षी ने बिना अभिलेख का अवलोकन किए अत्यन्त छोटी राशि 710/– रूपए जमा होने पर प्रश्नगत समय पर कुल बकाया 19,839/– के संबंध में नो–ड्यूज बिना विधिक प्रक्रिया का पालन किए जारी किया है। अतः उक्त राशि जमा होना मान्य करने पर बकाया शेष होना दर्शित है।

133:– अनावेदक क्रमांक 01 के साक्षी प्रतीक भिण्डोरिया (अना0सा0–04) के कथन से यह दर्शित होता है कि सुनहरा अंसारी द्वारा आवेदन–पत्र क्रमांक 884 दिनांक 21.02.2023 को कार्यालय झोन क्रमांक–11 में इस बाबत् दिया था कि सम्पत्ति खाता क्रमांक 1001096627 में टैक्स के संबंध में संशोधन हो गया है, अतः उसे दुरूस्त किया जावे। उसके संबंध में प्रदर्श डी–16 का दस्तावेज जारी किया गया था। साक्षी ने एन्ट्री रजिस्टर (प्रदर्श डी–39) प्रस्तुत किया है।

134:– उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 05 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श डी–16 में कहीं भी आवक क्रमांक 884ए का उल्लेख नहीं है, प्रदर्श डी–09 आवक रजिस्टर के क्रमांक 884 पर सुरेन्द्र शर्मा, जाबरा कम्पाउण्ड के नाम में स्पेलिंग सुधार हेतु पत्र आने का उल्लेख है, यह स्वीकार किया है कि आवक क्रमांक 884 के उपरांत कोई पत्र आएगा तो उसका उल्लेख आवक क्रमांक 885 पर किया जाएगा। साक्षी यह पूछने पर कि रजिस्टर में 884–ए उल्लेखित करने का क्या कारण है, इस पर साक्षी का कहना है कि संबंधित क्लर्क द्वारा ही पत्र तैयार किया है,

इसलिए नहीं कह सकता कि उन्होंने आवक क्रमांक 884–ए का उल्लेख क्यों किया है। इस साक्षी ने पद क्रमांक 10 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–39 नगर निगम का जावक रजिस्टर है, प्रदर्श डी–16 में उल्लेखित जावक क्रमांक 3018 का उल्लेख जावक रजिस्टर में नहीं है तथा डी–16 में उल्लेखित जावक क्रमांक 3018 पर प्रदर्श पी–39 के बी से बी भाग पर किसी जी0डी0 मलानी को पत्र जारी हुआ है। सारतः स्वीकारोक्ति अनावेदक क्रमांक 01 के साक्षी शैलेष कुमार (अना0सा0–03) ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 11 में की है।

135:– इस प्रकार साक्षी प्रतीक भिंडोरिया प्रदर्श डी–16 के आवक एवं जावक क्रमांक का पर्याप्त स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सका है। प्रदर्श डी–16 पर जावक क्रमांक 3018 दिनांक 22.02.2023 अंकित है, जबकि ऐसा पत्र नगर निगम के रजिस्टर से जावक नहीं हुआ है। पत्र में आवक क्रमांक 884 लिखा गया है, जबकि साक्षी ने जो रजिस्टर प्रदर्श डी–39 प्रस्तुत किया है, उसमें उक्त पत्र को आवक क्रमांक 884ए पर दर्ज होना बताया है। इस प्रकार उक्त संबंध में संदिग्धता है, कहीं न कहीं पत्र को पश्चात् में दर्ज किया जाना दर्शित होता है। इस कारण नियमित सीरीयल नंबर के स्थान पर पत्र क्रमांक 884ए लिखा गया है।

136:– साक्षी प्रतीक भिंडोरिया ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 07 में कथन किया है कि उसने प्रदर्श डी–16 पर हस्ताक्षर करने के पूर्व मात्र प्रदर्श पी–30 के खाते की लेजर शीट देखी थी, अन्य कोई दस्तावेज नहीं देखा था, प्रदर्श पी–30 की लेजर शीट में ऐसा कोई उल्लेख नहीं था कि मकान नंबर 10/3 का कभी जी0आई0एस0 सर्वे हुआ हो, स्वतः कहा कि सर्वे कम्पनी की रिपोर्ट में नोरिस्पोंस लिखा है, इसका तात्पर्य है कि कम्पनी के अधिकारी मौके पर गए थे, लेकिन उन्हें कोई रिस्पोंस नहीं मिला। पद क्रमांक 09 में यह बता पाने में असमर्थता व्यक्त की है कि प्रदर्श डी–16 के बी से बी भाग पर यह किस आधार पर उल्लेख किया है कि

अक्टूबर 2022 के पूर्व सम्पत्ति कर खाता क्रमांक............. इंदौर पर कोई बकाया नहीं था, स्वतः कहा कि जब नो–ड्यूज जारी हुआ था, उस दिनांक तक बकाया नहीं था, ऐसा रसीद देखने से ज्ञात हुआ था। नो–ड्यूज की एक कांपी इंदौर नगर पालिक निगम में रहती है, उसने प्रदर्श डी–16 का पत्र देने से ऐसी रसीद देखी थी, जिसमें लिखा था कि कुछ बकाया नहीं है। यह स्वीकार किया है कि ऐसी रसीद का उल्लेख प्रदर्श डी–16 में नहीं किया है।

137:– पत्र (प्रदर्श डी–16) का अवलोकन करने से दर्शित है कि उसमें भवन क्रमांक 10/3, दौलतगंज, सम्पत्ति कर खाता क्रमांक 1001096627 में जी0आई0एस0 सर्वे के आधार पर संशोधन आवासीय से व्यावसायिक सुधार वर्ष 2019–20 से किया जाना था, किन्तु त्रुटिवश वह अक्टूबर 2022 में आवासीय से व्यावसायिक 2012–13 से हो गया है, इसके पहले खाते पर कोई बकाया नहीं था। इस संबंध में दिनांक 11.06.2022 को नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। वर्तमान में जो बकाया राशि खाते में दर्ज है, वह माह अक्टूबर–2022 में किए गए जी0आई0एस0 सर्वे के संशोधन के बाद की है।

138:– इस प्रकार पत्र (प्रदर्श डी–16) से यह बताने का प्रयास किया गया है कि मकान नंबर 10/3, दौलतगंज, इंदौर पर जो बकाया है, वह जी0आई0एस0 कार्यवाही में त्रुटि से आया है, लेकिन साक्षी ने उपरोक्त तथ्य प्रदर्श पी–30 की लेजर शीट के आधार पर लेख करना बताया है, लेकिन प्रदर्श पी–30 पर ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि मकान नंबर 10/3 का जी0आई0एस0 सर्वे हुआ था। उक्त सर्वे के संबंध में अन्यथा कोई भी प्रमाण अभिलेख पर नहीं है। अतः प्रदर्श डी–16 का पत्र बिना किसी जानकारी के अनावेदिका क्रमांक 01 के पत्र के आधार पर नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र देखकर जारी कर दिया गया है, जबकि प्रदर्श पी–30 की लेजर रिपोर्ट देखी जाती तो ऐसा पत्र जारी किया जाना संभव ही नहीं होता। अतः प्रदर्श डी–16 के

पत्र से अनावेदिका क्रमांक 01 को कोई लाभ नहीं मिलता है।

139:– उपरोक्त संबंध में साक्षी अंसाफ अंसारी (अना0सा0–07) ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 22 में एक प्रश्न के उत्तर में यह बताया है कि वर्ष 2022–23 में जो राशि बकाया थी, उसका भुगतान कर रसीद एवं नो–ड्यूज प्राप्त किया था, बाद में जी0आई0एस0 सर्वे से जो भी टैक्स बढ़ा, उसकी डिमाण्ड निकलने पर लोक अदालत में भुगतान किया था, जी0आई0एस0 सर्वे वर्ष 2022 के नगर निगम के चुनाव के बाद हुआ था। पद क्रमांक 23 में यह जानकारी न होना बताया है कि जी0आई0एस0 सर्वे में किस आधार पर टैक्स बढ़ाया गया था, इस संबंध में नगर निगम द्वारा उससे एवं उसकी पत्नी से कोई डिमाण्ड नहीं निकाली। यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–43 का पत्र नगर निगम, इंदौर के द्वारा उसकी पत्नी के कार्यालय में प्रेषित किया गया था, उसे ध्यान नहीं है कि उसके द्वारा प्रदर्श पी–43 के पत्र के उपरांत कर के संबंध में कोई शिकायत की थी या नहीं।

140:– इस प्रकार जी0आई0एस0 सर्वे के आधार पर बढ़ा हुआ टैक्स होने की जानकारी का पत्र (प्रदर्श डी–16) अवश्य प्राप्त किया है, लेकिन वही टैक्स जमा किया गया, यह दर्शित नहीं होता है, अपितु अभिलेख से यह दर्शित होता है कि नो–ड्यूज पत्र जारी करने के समय ही टैक्स बकाया था, बिना अभिलेख के अवलोकन किए हुए नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र जारी हुए हैं, जिसकी पुष्टि के लिए पश्चात्वर्ती प्रदर्श डी–16 का पत्र प्राप्त किया गया है।

141:– अनावेदिका क्रमांक 01 पत्र (प्रदर्श पी–43) के जारी होने के समय वार्ड पार्षद थी, उसके व उसके पति के प्रतिपरीक्षण में यह तथ्य आए हैं कि वे अन्य लोगों की समस्याओं का निराकरण कराते हैं। ऐसी स्थिति में यदि उनके द्वारा लोक अदालत में टैक्स जमा करने के बाद भी उसे अग्रिम टैक्स नहीं माना गया, तब प्रदर्श पी–43 की जानकारी प्राप्त होने पर उनके द्वारा कोई आपत्ति किया जाना स्वाभाविक था। उक्त से यही दर्शित

होता है कि नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र अवश्य प्राप्त कर लिए गए थे, लेकिन बकाया शेष रहने के कारण उसे लोक अदालत में जमा किया गया तथा पुनः उसे अग्रिम कर में समायोजित करने की मॉग इस कारण की गई, जिससे यह दर्शित हो सके कि उन्होंने बकाया टैक्स जमा नहीं किया था, अपितु लेजर खाते में त्रुटि से दिखाया जा रहा बकाया का निराकरण करने के लिए तत्समय जमा कर दिया था। आवेदिका क्रमांक 01 की स्थिति को देखते हुए यह संभव नहीं था कि नगर निगम नो–ड्यूज दिए जाने के बाद भी त्रुटिवश टैक्स दिखाती रहे और वह उसे पहले ही निराकरण न कराकर पहले राशि जमा कर दें और फिर प्रदर्श डी–35 लगायत डी–38 के पत्र लिखकर उनको अग्रिम टैक्स में जमा करने की याचना करे।

142:– उपरोक्तानुसार समग्र साक्ष्य का परिशीलन करने से यह स्पष्ट है कि भवन क्रमांक 10/3 अनावेदिका क्रमांक 01 के नाम निर्देशन–पत्र एवं शपथ–पत्र (प्रदर्श पी–05) की प्रस्तुति के पूर्व नगर निगम के अभिलेख में उसके नाम पर दर्ज था। नगर निगम के अभिलेख में उक्त भवन का क्षेत्रफल 400 वर्गफीट दर्ज था, जबकि वास्तविक रूप से वह 286–286 कुल 572 वर्गफीट था। उक्त के होते हुए अनावेदिका क्रमांक 01 ने अपने शपथ–पत्र में उसे 200 वर्गफीट होना दर्शित किया। प्रकरण में उक्त सम्पत्ति का कुछ भाग हिबा करने का असत्य बचाव लिया है। इस प्रकार भवन का सम्पूर्ण क्षेत्रफल प्रदर्शित नहीं किया। साथ ही उस पर सम्पत्ति कर का बकाया होने के बाद भी बकाया भुगतान न कर केवल आंशिक राशि का भुगतान कर प्रदर्श डी–32 एवं डी–33 (प्रदर्श डी–40 व डी–41) के नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र प्राप्त किए।

<u>(vi) शपथ–पत्र के अन्य पदों में महत्वपूर्ण जानकारियों का छिपाव या गलत जानकारी देना</u> :–

143:– उपरोक्त सन्दर्भ में याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी (आ0सा0–01) ने अपने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 07 में बताया है कि

अनावेदक कमांक–01 के द्वारा शपथ–पत्र (प्रदर्श पी–05) के पृष्ठ कमांक–09 पर कॉलम–06 में संपत्तियों का बाजार मूल्य 'निरंक' दर्शाया है, उक्त शपथ पत्र के पृष्ठ कमांक–12 के कालम–09 में बकाया राशि का उल्लेख नहीं किया है तथा लागू नहीं लिख दिया है, उक्त शपथ–पत्र के पृष्ठ कमांक–10 पर कालम नंबर–09 में स्वयं की उपजीविका के विवरण में गृह कार्य असत्य रूप से दर्शाया है।

144:– याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी ने अपने मुख्य परीक्षण के पद कमांक 12 में यह कथन किया है कि प्रदर्श पी–05 के पृष्ठ कमांक 05 पर अनावेदक कमांक 01 के बालक रहमान की सम्पत्ति का चरण कमांक 09 में समग्र कुल मूल्य नहीं दर्शाया है, पृष्ठ कमांक 12 पर उसकी जंगम सम्पत्तियों का कुल मूल्य नहीं दर्शाया है, पृष्ठ कमांक 12 पर अनावेदक कमांक 01 द्वारा स्वयं की तथा उसके पति की तथा आश्रित बालक की आस्तियों व दायित्वों के ब्यौरों का अनुमानित बाजार मूल्य छिपाया गया है।

145:– उपरोक्त सन्दर्भ में शपथ–पत्र (प्रदर्श पी–05) का पृष्ठ कमांक 09 के कॉलम नंबर 06 का अवलोकन किया गया, जिसमें स्थावर सम्पत्तियों के कुल चालू बाजार मूल्य को निरंक दर्शाया है, लेकिन यह उल्लेखनीय होगा कि शपथ–पत्र में जहॉ कि स्थावर सम्पत्तियॉ विभिन्न प्रकार की हों, वहॉ पर सभी स्थावर सम्पत्तियों का सकल योग दर्शाने के लिए उक्त कॉलम है। अनावेदिका कमांक 01, उसके पति एवं पुत्र के संबंध में स्थावर सम्पत्तियों के ब्यौरे के कॉलम नंबर (iii) पृष्ठ कमांक 08 पर अनुमानित बाजार मूल्य कमशः 80 लाख एवं 50 लाख रूपए लिखा गया है तथा पुत्र रहमान के कॉलम में निरंक दर्शाया है, क्योंकि उसके नाम पर कोई स्थावर सम्पत्ति दर्ज नहीं है।

146:– शपथ–पत्र (प्रदर्श पी–05) के पृष्ठ कमांक 12 पर कॉलम नंबर 09 में बकाया राशि का उल्लेख नहीं किया है, इस संबंध में पूर्वोक्त विवेचन से निष्कर्ष लिए जा चुके हैं। पृष्ठ कमांक 10 के कॉलम नंबर 09 में

स्वयं की उपजीविका के विवरण में गृहकार्य लिखा है, याचिकाकर्ता ने इसके अलावा अन्य कोई कार्य करने के संबंध में साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इसी प्रकार प्रदर्श पी–05 के पृष्ठ कमांक 05 पर आश्रित बालक की सम्पत्ति के चरण कमांक 09 में समग्र मूल्य ''लागू नहीं'' दर्शाया है, लेकिन संबंधित कॉलम में उसके पास की एक्टिवा टू–व्हीलर का मूल्य 50 हजार रूपए दर्शाया गया है तथा उसके हाथ में नकदी 30 हजार रूपए भी दर्शाया है, यदि दोनों का सकल योग नहीं लिखा गया है, तो उससे प्रकरण के तथ्यों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

147:– इसी प्रकार शपथ–पत्र (प्रदर्श पी–05) में पृष्ठ कमांक 12 पर अनावेदक कमांक 01 द्वारा स्वयं की उसके पति एवं आश्रित बालक की आस्ति एवं दायित्वों के ब्यौरे को छिपाया जाना बताया है, लेकिन जंगम सम्पत्ति का स्वयं एवं पति के संबंध में लिखा गया है। आश्रित बालक का ''लागू नहीं'' होना लिखा है, लेकिन कमांक 07 (i and vi) में जंगम आस्तियों का विवरण है, अतः उसके कारण यह नहीं कहा जा सकता कि मतदाताओं को आश्रित की समपत्ति की जानकारी प्राप्त नहीं हुई होगी। उक्त के विपरीत कोई साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अतः उपरोक्त संबंध में की गई आपत्तियॉ तुच्छ एवं सारहीन प्रकृति की हैं, अतः उनसे याचिकाकर्ता को कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है।

148:– जहॉ तक शपथ–पत्र में अनावेदिका कमांक 01 की आय का संबंध है, उसने गृह कार्य से 4,26,200/– रूपए होना लिखी है। प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 50 में यह कथन किया है कि उसके मकान नंबर 39/3 का गोडाउन किराये पर दे रखा है, इससे उसे आय होती है, उक्त आय को शपथ–पत्र में दर्शाया है। पद कमांक 51 में यह जानकारी नहीं होना बताया है कि उसे उक्त भवन के किराये से कितनी आय होती है। 59 में साक्षी सुनहरा अंसारी ने शपथ–पत्र देखकर प्रकट किया है कि उसमें किराये से आय प्राप्त होना नहीं लिखा है। इस प्रकार स्वयं की वास्तविक

स्त्रोतों से आय को शपथ–पत्र में प्रकट न करते हुए, किराये के रूप में प्राप्त होने वाली आय को छिपाया गया है।

149:– उपरोक्तानुसार वाद प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 03 के संबंध में पृथक–पृथक विवेचन करने के उपरांत यह तथ्य अभिलेख पर प्राप्त होते हैं कि प्रत्यर्थी/अनावेदक क्रमांक 01 ने नगर निगम, इंदौर के निर्वाचन वर्ष 2022 के वार्ड क्रमांक 60 के पार्षद पद के लिए प्रस्तुत किए गए शपथ–पत्र में स्वयं के द्वारा धारण किए जाने वाली स्थावर सम्पत्ति मकान नंबर 10/3, दौलतगंज, इंदौर का वास्तविक क्षेत्रफल नहीं बताया तथा उस पर बकाया कर की जानकारी नहीं दी।

150:– इसी प्रकार मकान नंबर 39/3, दौलतगंज, इंदौर के बकाया कर की जानकारी नहीं दी तथा उक्त मकान से प्राप्त होने वाली किराये की आय को दर्शित नहीं किया। पति अंसाफ अंसारी के नाम की सम्पत्ति मकान नंबर 20/2, दौलतगंज, इंदौर के नगर निगम के बकाया सम्पत्ति कर की जानकारी नहीं दी। शेष दो मकान में से मकान नंबर 26/3, दौलतगंज, इंदौर पर पति अंसाफ अंसारी के स्वत्व एवं उस पर बकाया कर की जानकारी नहीं दी। मकान नंबर 31/2/3, दौलतगंज, इंदौर का स्वामित्व अनावेदक/प्रत्यर्थी क्रमांक 01 या उसके पति का होना प्रमाणित नहीं हुआ है, साथ ही शपथ–पत्र में अन्य जानकारियॉ नहीं देना, केवल गणतीय प्रकृति की या फार्म भरने संबंधी तुच्छ प्रकृति की त्रुटियॉ हैं।

151:– अतः वाद प्रश्न क्रमांक 02 एवं 03 के संबंध में यही निष्कर्ष है कि अनावेदक/प्रत्यर्थी क्रमांक 01 ने नाम निर्देशन पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ–पत्र (प्रदर्श पी–05) में स्वयं व अपने पति के नाम पर धारित सम्पत्तियों की पूर्ण जानकारी नहीं दी तथा दायित्वों को छिपाया एवं मध्यप्रदेश नगर पालिक निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 24–क का अपालन किया। अतः उक्त वाद प्रश्नों का निराकरण ''प्रमाणित'' के रूप में किया जाता है।

152:– वाद प्रश्न क्रमांक 01 के संबंध में यह निष्कर्ष है कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 17(1)(i) के तहत अनावेदक/प्रत्यर्थी क्रमांक 01 के नाम की सम्पत्तियों पर एक वर्ष से अधिक काल के लिए कर नगर निगम को देय था, जो उसके द्वारा भुगतान नहीं किया तथा शपथ–पत्र में नगर निगम को बकाया कर की जानकारी नहीं दी। अतः धारा 17 के अनुसार ऐसा व्यक्ति पार्षद चुने जाने के आहर्ता नहीं रखता है। अतः उक्त वाद प्रश्न का निराकरण ''प्रमाणित'' के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 04 :

153:– उक्त वाद प्रश्न के संबंध में प्रमाण भार के संबंध में प्रतिपादित विधि अवलोकनीय होगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायदृष्टान्त **Ch. Razik Ram Vs. Ch. J.S. Chouhan and others, AIR 1975 SC 667** में यह अभिनिर्धारित किया है कि दूषित व्यवहार के संबंध में साक्ष्य का स्तर दाण्डिक मामलों के साक्ष्य के समान होता है, क्योंकि यह चुनाव याचिका का परिणाम गम्भीर रूप से प्रभावित करता है। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भी न्यायदृष्टान्त **Trilokinath Vs. Vinod Kumar, 2003(3) MPHT 35** में यह अभिनिर्धारित किया है कि दूषित व्यवहार संबंधी आरोप स्पष्ट एवं विशिष्ट रूप से होना चाहिए, ऐसे आरोप आपराधिक आरोप के समान होते हैं और इसके गम्भीर आपराधिक परिणाम होते हैं।

154:– उक्त वाद प्रश्न के संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा अपनी याचिका में अनावेदक क्रमांक 01 के दूषित आचरण के संबंध में निम्नलिखित पॉच आधार लिए हैं :–

(i) याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत चरित्र, आचरण के सम्बन्ध में मिथ्या लांछन लगाना,

(ii) "तस्वीरें बोल रही हैं, कौम के दलाल सामने हैं", शीर्षक से पम्पलेट वितरण करना,

(iii) निर्दलीय उम्मीदवार यास्मीन मुन्ना अंसारी द्वारा कॉग्रेस को समर्थन देने का असत्य प्रचार,

(iv) मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नगद धनराशि, शराब एवं राशन का प्रलोभन देना,

(v) निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना सभाओं का संचालन तथा शासकीय सम्पत्ति पर लाउण्ड स्पीकर का उपयोग।

155:— उपरोक्त आधारों पर अनावेदक क्रमांक 01 के निर्वाचन को चुनौती देते हुए प्रकट किया गया है कि अनावेदक क्रमांक 01 का निर्वाचन मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1956 की धारा 441—एच (1)(2)(3)(4)(7) एवं 441—बी (b)(d)(ii)(iv) के आधार पर शून्य घोषित किए जाने योग्य है। अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा ऐसे किसी आचरण से इंकार किया गया है। उभयपक्ष द्वारा अपने—अपने अभिवचनों के अनुरूप साक्ष्य प्रस्तुत की है तथा तर्क प्रस्तुत किए हैं। अतः उपरोक्त आधारों को क्रमवार पृथक—पृथक विवेचन किया जाना उचित प्रतीत होता है।

(i) याचिकाकर्ता के व्यक्तिगत चरित्र, आचरण के सम्बन्ध में मिथ्या लांछन लगाना :—

156:— उपरोक्त सन्दर्भ में याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी (आ0सा0—01) ने अपने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 23 में कथन किया है कि दिनांक 30.06.2022 को अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा चंपाबाग वार्ड क्रमांक 60, इंदौर में एक आमसभा रखी गई, जिसमें अनावेदक क्रमांक 01 के कार्य प्रतिनिधि एवं निर्वाचन अभिकर्ता अंसार अंसारी एवं अन्य कार्यकर्तागण जावेद बटेर, आदिल एवं अन्य ने उसके विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 05 का अभिकर्ता होने के कारण असत्य आधारहीन वक्तव्य का प्रकाशन किया, पद क्रमांक 24 में प्रकट किया है कि जावेद बटेर ने असत्य रूप से स्वयं को उसका

रिश्तेदार बताया और कहा कि दुकान पर कब्जा कर लिया है तथा उसके पिता एवं दादा के विरूद्ध असत्य मुकदमा लगाकर बंद करवा दिया है, उसे गुण्डा बताते हुए अनावेदक क्रमांक 05 को वोट नहीं देने की अपील की, उसके द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 के अभिकर्ता अंसाफ अंसारी का सभा में भाषण देने का धन्यवाद दिया।

157:– याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी ने पद क्रमांक 24 में आगे कथन किया है कि उक्त आमसभा में अंसाफ अंसारी ने उसके विरूद्ध चोर जैसे शब्दों का प्रयोग किया, किसी वाहिद की जमीन पर कब्जा करने का असत्य आरोप लगाया, जिसके कारण अनावेदक क्रमांक 05 के विरूद्ध मतदाताओं में घृणा उत्पन्न हुई और उसका निर्वाचन प्रभावित हुआ। पद क्रमांक 25 में कथन किया है कि अंसाफ अंसारी ने उसे जिला बदर करवाकर रासुका लगवाने का कथन किया, उक्त संबंध में अनावेदक क्रमांक 05 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी को शिकायत (प्रदर्श पी–23) दी गई, जिसके ए से ए भाग पर अनावेदक क्रमांक 05 के हस्ताक्षर हैं तथा बी से बी भाग पर जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की प्राप्ति है। उक्त सभा में दिए गए भाषणों की रिकार्डिंग मोहम्मद अहमद द्वारा स्वयं के मोबाईल से की गई थी, जिसके संबंध में तैयार सी0डी0 प्रस्तुत की गई है, उक्त संबंध में मोहम्मद अहमद द्वारा धारा 65 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र दिया गया है।

158:– साक्ष्य के दौरान धारा 65–बी(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रमाण–पत्र के मूल या छायाप्रति होने के संबंध में विवाद होने पर उसे गुणदोष पर निराकरण करने की आपत्ति सहित प्रदर्श पी–24 के रूप में प्रदर्शित किया गया, उक्त संबंध में अनावेदक क्रमांक 01 की विविध याचिका क्रमांक 6984/2023 आदेश दिनांक 23.11.2023 द्वारा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इस न्यायालय को यह निर्देश दिए कि प्रकरण में प्रदर्श पी–24 का दस्तावेज छायाप्रति है अथवा मूल है, इसका निराकरण निर्णय

पूर्व अथवा अनावेदक क्रमांक 01 की साक्ष्य समाप्ति के पश्चात् किया जावे। उक्त संबंध में दिनांक 16.04.2026 को इस न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि प्रदर्श पी–24 का दस्तावेज कम्प्यूटर से टाईप्ड है तथा ब्लेक पैन से हस्ताक्षरित होकर मोबाईल नंबर लिखा है। अतः वह मूल दस्तावेज है। अतः प्रदर्श पी–24 को मूलतः मानते हुए विचार किया जाना है।

159:– याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी ने मोहम्मद अहमद द्वारा रिकॉर्ड की गई तीन सी0डी0 को न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अनावेदक द्वारा आपत्ति ली गई, जिसमें न्यायालय का यह निष्कर्ष रहा कि धारा 65–बी साक्ष्य विधान का प्रमाण–पत्र होने से सी0डी0 को प्रदर्शित करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन उनकी अंतर्वस्तु का सम्यक् रूप से प्रमाण का दायित्व याचिकाकर्ता पर होगा, वह अपने दायित्व का निर्वहन किस सीमा तक कर पाता है, इस बिन्दु पर प्रकरण के अंतिम निराकरण के समय ही निष्कर्ष दिया जावेगा, तत्पश्चात् याचिकाकर्ता ने दिनांक 30.06.2022 को हुई सभा की तीन सी0डी0 (प्रदर्श पी–25 लगायत पी–27) प्रस्तुत कीं।

160:– उपरोक्तानुसार तीनों सी0डी0 की अन्तर्वस्तु को प्रमाणित करने का भार याचिकाकर्ता पर है, उक्त संबंध में न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि मोहम्मद अहमद के द्वारा प्रदर्श पी–24 का प्रमाण–पत्र दिया गया है, उक्त प्रमाण–पत्र मूलतः है, जहॉ तक सी0डी0 की अंतर्वस्तु का प्रश्न है, उसको ग्राह्य करने के लिए प्रदर्श पी–24 का प्रमाणित होना आवश्यक है। प्रदर्श पी–24 के संबंध में इस प्रकरण में याचिकाकर्ता की ओर से साक्षी मोहम्मद अहमद को तलब कर परीक्षित नहीं कराया है, ऐसी स्थिति में प्रमाण–पत्र उसके द्वारा ही दिया गया था तथा उसके द्वारा ही मौके पर आमसभा की वीडियो रिकार्ड की गई थी, यह निर्धारित किया जाना संभव नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य की मोबाईल से

सी0डी0 में की गई प्रतिलिपि द्वितीयक साक्ष्य है और उसे प्रमाणित करने के लिए धारा 65–बी(4) भारतीय साक्ष्य अधिनियम की अपेक्षाएँ प्रमाणित करनी होंगी, केवल प्रमाण–पत्र का प्रस्तुत किया जाना एवं उसके साथ सी0डी0 प्रस्तुत किया जाना पर्याप्त नहीं है। अतः उपरोक्त के अभाव में प्रदर्श पी–25 लगायत पी–27 की सी0डी0 की अंतर्वस्तु साक्ष्य में ग्रहण करने योग्य नहीं है। अतः उक्त संबंध में अनावेदक क्रमांक 01 सुनहरा अंसारी एवं साक्षी अंसाफ अंसारी के प्रतिपरीक्षण से कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

161:– याचिकाकर्ता ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 154 में यह स्वीकार किया है कि उसने प्रदर्श पी–25 लगायत पी–28 की सी0डी0 के संबंध में जावेद बटेर एवं अंसाफ अंसारी को यह नोटिस नहीं दिया कि उन्होंने गलत बयान एवं मानहानिकारक कथन किए हैं, स्वतः कहा कि निर्वाचन कार्यालय में व पुलिस को शिकायत की थी। उसे जानकारी नहीं है कि उस पर कोई कार्यवाही हुई या नहीं। उसने जानकारी लेने का प्रयास किया गया, तो कहा गया कि आप चुनाव याचिका में जाइए हम कोई कार्यवाही नहीं करेंगे। पद क्रमांक 155 में यह जानकारी न होना बताया है कि प्रदर्श पी–25 लगायत पी–28 की सी0डी0 में क्लिपिंग कितनी बार में रिकॉर्ड की गई है, यह स्वीकार किया है कि अनावेदक क्रमांक 01 ने कोई भाषण नहीं दिया गया। उक्त सी0डी0 कब बनाई गई यह जानकारी नहीं है, आगे बताया है कि सी0डी0 प्रदर्श पी–25 लगायत पी–27 दिनांक 30.06. 2022 को शाम के 07.00 से 10.00 बजे के मध्य बनाई गई थी, पद क्रमांक 158 में सी0डी0 किस दिनांक को, किस समय उसे दी गई थीं, यह याद नहीं है, किन्तु चुनाव के बाद दी थीं। उसे जानकारी नहीं है कि मोहम्मद अहमद कम्प्यूटर एक्सपर्ट है अथवा नहीं। यह स्वीकार किया है कि उसने वीडियो एवं सी0डी0 नहीं बनाई थीं।

162:– याचिकाकर्ता ने पद क्रमांक 160 में यह अस्वीकार किया है कि अनावेदक क्रमांक 01 ने उक्त वीडियो बनाने के संबंध में शिकायत

जिला निर्वाचन अधिकारी एवं थाना सेन्ट्रल कोतवाली को प्रदर्श डी–04 लगायत डी–06 की की थीं, स्वतः कहा है कि उक्त शिकायतें फर्जी एवं बेबुनियाद हैं। पद क्रमांक 162 में यह अस्वीकार किया है कि सी0डी0 की वीडियो में फेरफार किया गया है। साक्षी अंसाफ अंसारी (अ0सा0–07) ने भी उसे सी0डी0 दिखाए जाने पर उसमें दर्ज वीडियो को फर्जी होना बताया है।

163:– उपरोक्तानुसार दिनांक 30.06.2022 को अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से आमसभा का आयोजन होना और उसके अभिकर्ता अंसाफ अंसारी एवं जावेद बटेर द्वारा कोई भाषण का दिया जाना विधिवत रूप से प्रमाणित नहीं किया गया है। जहॉ तक पुलिस को दी गई शिकायत (प्रदर्श पी–23) का संबंध है, उक्त शिकायत के संबंध में कोई कार्यवाही होना नहीं पाया गया है, अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से भी प्रदर्श डी–04 लगायत डी–06 की शिकायतें निर्वाचन अधिकारी को इफ्तेखार मुन्ना अंसारी द्वारा प्रभावित करने के लिए वीडियोग्राफी असत्य रूप से कराए जाने के संबंध में की गई है। इस प्रकार याचिकाकर्ता द्वारा निर्वाचन अधिकारी को शिकायत करना मात्र यह प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अनावेदक क्रमांक 01 के अभिकर्ता अंसाफ अंसारी एवं उसकी ओर से जावेद बटेर द्वारा आमसभा में याचिकाकर्ता के कथन अनुसार भाषण दिए।

164:– उपरोक्तानुसार समग्र साक्ष्य के परिशीलन से अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से उसके अभिकर्ता अंसाफ अंसारी एवं अन्य द्वारा अनावेदक क्रमांक 05 के अभिकर्ता याचिकाकर्ता पर असत्य एवं झूठे लांछन लगाए जाने के तथ्य प्रमाणित नहीं होते हैं।

<u>(ii) "तस्वीरें बोल रही हैं, कौम के दलाल सामने हैं", शीर्षक से पम्पलेट वितरण करना</u> :–

165:– उपरोक्त सन्दर्भ में याचिकर्ता इफ्तेखार अंसारी ने अपने मुख्य परीक्षण के पद क्रमांक 13 में कथन किया है कि अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा अपने कार्य प्रतिनिधि एवं निर्वाचन अभिकर्ता अंसाफ अंसारी, जावेद

बटेर, शाहरूख, आदिल व अन्य कार्यकर्तागण के साथ मिलकर अनावेदक क्रमांक 05 के विरूद्ध तथा उसके अभिकर्ता याचिकाकर्ता के विरूद्ध षड़यंत्रपूर्वक बिना प्रकाशक के नाम, पते का उल्लेख किए दिनांक 04.07.2022 को पेम्पलेट (प्रदर्श पी–15ए) बांटे गए, पेम्पलेट (प्रदर्श पी–15ए) अनावेदक क्रमांक 01 के निर्वाचन अभिकर्ता अंसाफ अंसारी द्वारा वार्ड में तथा चंपाबाग में घर–घर जाकर बांटा गया तथा मोहम्मद शाकिर, अगवान एवं नासिर हुसैन को चंपाबाग में उनके घर जाकर दिया। उक्त पेम्पलेट बांटे जाने की शिकायत जिला निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस थाना रावजीबाजार, इंदौर को की गई, उक्त शिकायत प्रदर्श पी–16 है, जिस पर अनावेदक क्रमांक 05 के हस्ताक्षर हैं। अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा उसे बी0जे0पी0 का एजेण्ट एवं लोगों का दलाल बताया एवं वार्ड के मुस्लिम मतदाताओं को प्रभावित करने हेतु दूषित व्यवहार किया, जिसके कारण मतदाताओं द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 को मत दिए गए।

166:– उपरोक्त सन्दर्भ में साक्षी इफ्तेखार अंसारी ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 102 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–15ए में अनावेदक क्रमांक 01 या उसके पति का नाम नहीं लिखा है तथा उनके द्वारा कोई अपील उसमें नहीं की गई है, प्रदर्श पी–15ए में वह बी0जे0पी0 के विधायक, मंत्री एवं प्रख्यात नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है, स्वतः कहा कि तस्वीरें फर्जी हैं, लेकिन उसने इस संबंध में कोई जांच नहीं कराई। पद क्रमांक 103 में यह बताया है कि बी0जे0पी0 प्रत्याशी रंजना पिपले थीं, यह अस्वीकार किया है कि पेम्पलेट (प्रदर्श पी–15ए) से उसका समर्थन बी0जे0पी0 को होना दर्शित है, पद क्रमांक 104 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी–15ए की पेम्पलेट उसे दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है, स्वतः कहा कि अनावेदक क्रमांक 05 को दिया था। पद क्रमांक 105 में स्वीकार किया है कि पेम्पलेट (प्रदर्श पी–15ए) अनावेदक क्रमांक 05 को अनावेदक क्रमांक 01 या उसके कार्यकर्ता ने नहीं दिया।

167:— याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी ने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 108 में यह स्वीकार किया है कि उसने पेम्पलेट (प्रदर्श पी—15ए) बांटते हुए किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा, पद कमांक 110 में स्वीकार किया है कि पेम्पलेट पर मुद्रक का नाम व पता, वितरक का नाम व पता व संख्या उल्लेखित नहीं है, पद कमांक 111 में यह बताया है कि अनावेदक कमांक 05 ने पेम्पलेट प्राप्त होने के बाद उसे दे दिया था, स्वतः कहा कि वह साथ में ही था। पद कमांक 115 में स्वीकार किया है कि शिकायत (प्रदर्श पी—16) में मोहम्मद शाकिर, अगवान व नासिर हुसैन को उनके घर पर पेम्पलेट दिए जाने का कोई उल्लेख नहीं है।

168:— साक्षी शाकिर अगवान (आ0सा0—05) ने कथन किया है कि वर्ष 2022 के छटवें—सातवें महीने में आई0डी0ए0 बिल्डिंग के पास मोहल्ले में पेम्पलेट बंट रहा था, वह और नासिर वहॉ पर खड़े थे, तब अंसाफ अंसारी के द्वारा उसे प्रदर्श पी—15ए का पेम्पलेट दिया गया था, उसकी वहॉ पर बातचीत हुई थी कि तुम गलत वहम फैला रहे हो, फिर वह पेम्पलेट लेकर यास्मीन अंसारी के घर गए थे और उन्हें बताया था कि पेम्पलेट बंट रहा है, वहॉ पर याचिकाकर्ता मुन्ना अंसारी भी मौजूद थे, फिर वह पेम्पलेट देकर घर आ गए थे।

169:— साक्षी शाकिर अगवान ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 02 में यह स्वीकार किया है कि वह यास्मीन मुन्ना अंसारी के चुनाव में इफ्तेखार मुन्ना अंसारी के भाषण देते समय एक—दो बार खड़ा हुआ था, स्वतः कहा कि कमल चाचा ने गलत बयान दे दिए थे, तब वह उनको लेकर मंच पर गया था। पद कमांक 03 में यह स्वीकार किया है कि उसने इफ्तेखार मुन्ना अंसारी का कई जगह स्वागत किया, स्वतः कहा कि शादी—समारोह में किया होगा। पद कमांक 04 में यह स्वीकार किया है कि प्रदर्श पी—15ए के पर्चे पर किसी मुद्रक या प्रकाशक का नाम उल्लेखित नहीं है तथा अनावेदक कमांक 01 और अंसाफ अंसारी के नाम का उल्लेख

नहीं है, पद कमांक 06 में यह बताया है कि प्रदर्श पी–15ए के पर्चे किसने छपवाए इसकी उसे जानकारी नहीं है। पद कमांक 08 में यह बताया है कि इफ्तेखार मुन्ना अंसारी ने उसे बताया था कि क्या बयान देना है, स्वतः कहा कि पर्चे के संबंध में बयान देने का बताया था। पद कमांक 09 में यह स्वीकार किया है कि अशरफ भाई के चंपाबाग शेरदिल ग्रुप पर इफ्तेखार मुन्ना अंसारी के प्रचार संबंधी कई पोस्ट डाले और उसने भी उस ग्रुप पर इफ्तेखार मुन्ना अंसारी के प्रचार संबंधी कई पोस्ट डाले।

170:– उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता एवं उसके साक्षी की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया जाए, तो उसने प्रदर्श पी–15ए की पेम्पलेट प्रस्तुत की है, उक्त पेम्पलेट अनावेदक कमांक 01 द्वारा छपवाई गई थी या उसके द्वारा स्वयं तथा अपने अधिकृत अभिकर्ता के माध्यम से उक्त पेम्पलेट को वितरण कराया हो, इस संबंध में कोई भी सम्पुष्टिकारक प्रमाण नहीं है। साक्षी शाकिर अगवान (अ0सा0–05) याचिकाकर्ता से हितबद्ध रहा है, वह उसकी चुनाव सभाओं में एवं ग्रुपों में प्रचारक भी रहा है, ऐसी स्थिति में उसका कथन स्वतंत्र साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि प्रदर्श पी–15ए का दस्तावेज किसी भी प्रिंटिंग प्रेस से छपवाया जा सकता है तथा वितरित कराया जा सकता है। अनावेदक कमांक 01 का उससे सम्बन्ध स्थापित करने के लिए ठोस साक्ष्य की आवश्यकता होगी।

171:– याचिकाकर्ता एवं उसके साक्षी द्वारा जो कथन किए गए हैं तथा प्रतिपरीक्षण में जो स्वीकारोक्तियॉ हैं, उसे देखते हुए उसकी शिकायत निराधार प्रकृति की है, उसके द्वारा उक्त संबंध में प्रदर्श पी–16 की शिकायत करना अपने–आप में कोई सम्पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं है, चूंकि आपसी राजनैतिक प्रतिद्वंदिता उभयपक्ष के मध्य है, अतः चुनाव के समय एक–दूसरे के प्रति शिकायत करना मात्र किसी कृत्य के प्रमाणन हेतु पर्याप्त सामग्री नहीं है।

172:– अतः यह निष्कर्ष है कि ''तस्वीरें बोल रही हैं, कौम के दलाल सामने हैं'', इस शीर्षक से पेम्पलेट वितरण अनावेदक कमांक 01 के द्वारा कराया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है।

(iii) निर्दलीय उम्मीदवार यास्मीन मुन्ना अंसारी द्वारा कॉग्रेस को समर्थन देने का असत्य प्रचार :–

173:– उपरोक्त सन्दर्भ में याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी ने अपने मुख्य परीक्षण के पद कमांक 15 में कथन किया है कि दिनांक 05.07.2022 को अनावेदक कमांक 01 के चुनाव कार्यकर्ता शाहरूख के द्वारा चंपाबाग शेरदिल के नाम से बनाए गए वाट्सअप ग्रुप पर स्वयं के मोबाईल नंबर 7869385567 से एक असत्य मैसेज चलाया कि अनावेदक कमांक 01 के समर्थन में अनावेदक कमांक 05 के द्वारा चुनाव से अपना नाम वापस ले लिया है तथा अनावेदक कमांक 05 द्वारा अनावेदक कमांक 01 को चुनाव में जिताने की अपील की गई तथा मैसेज में यह भी बताया गया कि अनावेदक कमांक 05 द्वारा कॉग्रेस को समर्थन दिया है तथा कॉग्रेस के समर्थन में होर्डिंग लगाया है और अंसाफ अंसारी को जिताने की अपील की है।

174:– साक्षी द्वारा मुख्य परीक्षण के पद कमांक 16 में मोबाईल के स्कीनशॉट की कलर छायाप्रति को प्रदर्शित कराए जाने पर आपत्ति लिए जाने पर यह निष्कर्ष लिया है कि कलर छायाप्रति के साथ धारा 65–बी साक्ष्य अधिनियम का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है, दस्तावेज प्रदर्शित कराने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि जिस साक्षी से दस्तावेज प्रदर्शित कराया जा रहा है, वह स्वयं ही प्रमाण–पत्र तैयार करे। अतः दस्तावेज को प्रदर्शित करने की अनुमति दी गई।

175:– याचिकाकर्ता ने पद कमांक 17 में चंपाबाग शेरदिल ग्रुप के मैसेज का स्कीनशॉट (प्रदर्श पी–18) जिसके ए से ए भाग पर शाहरूख के हस्ताक्षर होना तथा उक्त संबंध में असरफ खान पिता मोहम्मद अली खान से धारा 65–बी साक्ष्य विधान का प्रमाण–पत्र (प्रदर्श पी–19) तथा जिला

नोडल अधिकारी तथा पुलिस थाना रावजीबाजार, इंदौर पर की गई शिकायत (प्रदर्श पी–20) प्रस्तुत की है, शिकायत पर अनावेदक क्रमांक 05 के हस्ताक्षर होना तथा उसके पहचाने जाने का कथन किया है।

176:– याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 117 में यह जानकारी न होना बताया है कि अनावेदक क्रमांक 01 ने निर्वाचन अधिकारी को शाहरूख के ऐजेन्ट या कार्यकर्ता होने की जानकारी दी है अथवा नहीं, स्वतः कहा है कि वह कार्यकर्ता है। पद क्रमांक 118 में कथन किया है कि स्क्रीनशॉट उसे अशरफ अली ने दिया था, पद क्रमांक 120 में यह जानकारी न होना बताया है कि प्रदर्श पी–118 के स्क्रीनशॉट वाले चंपाबाग शेरदिल ग्रुप में वार्ड क्रमांक 60 का कोई मतदाता सदस्य है अथवा नहीं।

177:– याचिकाकर्ता के समर्थन में साक्षी असरफ खान (आ0सा0–04) द्वारा कथन किया गया है कि चंपाबाग शेरदिल ग्रुप वाट्सअप पर बनाया गया था, वह उक्त ग्रुप का एडमिन है, उसने चंपाबाग कबूतरखाने के मिलने वाले लोगों को उसमें जोड़ा था, दिनांक 05.07.2022 को शाहरूख पिता नसरूद्दीन, निवासी चंपाबाग द्वारा वाट्सअप पर मैसेज में यह लिखा था कि निर्दलीय उम्मीदवार यासमीन मुन्ना अंसारी ने कॉग्रेस को दिया समर्थन, कॉग्रेस के समर्थन में लगाया होर्डिंग, सुनहरा अंसारी को जिताने की अपील, उक्त मैसेज पढ़ने के बाद उसने शाहरूख को बुलाकर पूछा था, तो उसने बताया था कि अंसाफ अंसारी ने मैसेज चलाने का बोला था, उक्त मैसेज पढ़ने से लोगों में भ्रम की स्थिति बनी तथा जो वोट निर्दलीय उम्मीदवार को होने थे, वे कॉग्रेस को प्राप्त हो गए एवं चंपाबाग व कबूतरखाने में निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव हार गई। प्रदर्श पी–18 का प्रिंटआउट उसने याचिकाकर्ता को दिया था तथा उक्त संबंध में प्रमाण–पत्र (प्रदर्श पी–19) दिया था, जिन पर उसके हस्ताक्षर हैं।

178:– साक्षी अशरफ खान (आ0सा0–04) ने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 07 में यह स्वीकार किया है कि वह इफ्तेखार मुन्ना अंसारी की सूचना पर कथन देने आया है, उसे इफ्तेखार अंसारी ने बताया था कि यह प्रकरण किस बात पर चल रहा है, पद क्रमांक 09 में यह बताया है कि चुनाव के समय ग्रुप में अधिकांश पोस्ट चुनाव के संबंध में आती हैं। यह स्वीकार किया है कि वार्ड क्रमांक 60 का निवासी और मतदाता नहीं है, शाहरूख का घर उसकी दुकान के पास है, इसलिए वह जानता है। पद क्रमांक 10 में बताता है कि उसने शाहरूख को बोला था कि मैसेज को डिलीट करो, पद क्रमांक 11 में बताता है कि उसने मैसेज का स्क्रीनशॉट ले लिया था और वह इफ्तेखार को दिखाया था, फिर उसने प्रदर्श पी–18 का प्रिंटआउट लेकर दे दिया था। पद क्रमांक 13 में यह बताता है कि उसने प्रदर्श पी–19 का दस्तावेज जिला न्यायालय प्रांगण के बाहर टाईप कराया था, उसे इफ्तेखार ही ने टाईप कराने के लिए कहा था, तब उसने टाइप कराकर दिया था। पद क्रमांक 15 में यह जानकारी न होना बताया है कि शाहरूख, इफ्तेखार मुन्ना अंसारी और यास्मीन अंसारी का कार्यकर्ता है।

179:– उपरोक्तानुसार दोनों साक्षियों के कथन से यह तथ्य लाए गए हैं कि प्रदर्श पी–18 का वाट्सअप पर मैसेज शाहरूख नाम के व्यक्ति द्वारा भेजा गया था, उक्त व्यक्ति को अनावेदक क्रमांक 01 का कार्यकर्ता होना बताया गया है, लेकिन याचिकाकर्ता ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि कार्यकर्ता की जानकारी चुनाव आयोग को नहीं दी जाती, केवल अभिकर्ता की दी जाती है। ऐसी स्थिति में शाहरूख अनावेदक क्रमांक 01 के लिए चुनाव में कार्य कर रहा था, यह निर्धारण किया जाना आवश्यक है। इस प्रकरण में आवेदक याचिकाकर्ता की ओर से यह तो साक्ष्य है कि वह कार्यकर्ता है, लेकिन उक्त तथ्य की पुष्टि हेतु कोई प्रमाण नहीं है। किसी भी व्यक्ति को किसी चुनाव के अभ्यर्थी का कार्यकर्ता बताया जाना सुगम है, लेकिन उसे प्रमाणित किया जाना अत्यन्त कठिन कार्य है। किसी

भी ग्रुप में कोई मैसेज प्राप्त होने पर उसे विरोधी पक्ष का कार्यकर्ता कह देना अत्यन्त संभव होगा, लेकिन उसे प्रमाणित किया जाना भी आवश्यक है। इस प्रकरण में जो साक्ष्य प्रस्तुत की गई है, वह इस योग्य नहीं है कि शाहरूख का अनावेदक कमांक 01 से कोई संबंध होना निर्धारित कर सके।

180:– प्रदर्श पी–20 की शिकायत नोडल अधिकारी को तत्समय की गई है, लेकिन उक्त शिकायत यह प्रमाणित मानने के लिए पर्याप्त नहीं है कि ग्रुप में मैसेज भेजने वाला व्यक्ति अनावेदक कमांक 01 की ओर से कार्य कर रहा था। अतः इस न्यायालय की राय में प्रदर्श पी–18 का मैसेज अनावेदक कमांक 01 की ओर से भेजा जाना प्रमाणित नहीं होता है।

(iv) मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए नगद धनराशि, शराब एवं राशन का प्रलोभन देना :–

181:– उपरोक्त सन्दर्भ में याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी (आ0सा0–01) ने अपने मुख्य परीक्षण के पद कमांक 19 में बताया है कि अनावेदक कमांक 01 के द्वारा अपने कार्यकर्ता जुल्फकार व अन्य के साथ मिलकर मतदाताओं को रूपए बांटे, शराब बांटी एवं राशन की किट बांटी गई, दिनांक 03.07.2022 को रात 10.00 बजे नार्थतोड़ा क्षेत्र में राजू एवं रितेश के घर जाकर अनावेदक कमांक 01 व उसके साथियों द्वारा एक पीले कलर की पर्ची दी एवं पूरे क्षेत्र में वैसी पर्ची बांटी तथा मतदाताओं को यह कहा गया कि यह पर्ची लेकर आप सियागंज, इंदौर में लोकमान सुलेमान की किराने की दुकान पर जाओगे तो आपको इस पर्ची से अनाज की किट मिल जावेगी एवं आपको कॉग्रेस के पक्ष में वोट देना है। उक्त पद में ही यह भी बताया कि रितेश व राजू उक्त पर्ची लेकर गए, जिसकी वीडियो उनके साथी उज्जवल एवं अन्य लोगों ने तैयार की थी, जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 04.07.2022 को उज्ज्वल ने अपने साथियों के साथ जाकर पुलिस थाना सेन्ट्रल कोतवाली, इंदौर पर अपराध कमांक 178/2022 पर दर्ज करवाई गई। पद कमांक 20 में यह बताया है कि उक्त प्रथम

सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–21 है।

182:– याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 124 में बताया है कि उसने प्रकरण में कथित पीले रंग की कोई पर्ची जिसे लोकमान सुलेमान की दुकान पर देकर राशन लिया गया हो, प्रकरण में पेश नहीं की है। पद क्रमांक 125 में बताया है कि उसने पीले रंग की पर्ची को बांटते हुए किसी व्यक्ति को नहीं पकड़ा है, न ही कोई पब्लिक पंचनामा बनाया है, उसे जानकारी नहीं है कि कथित पीले रंग की पर्ची का कोई पब्लिक पंचनामा राजू, रितेश व उज्ज्वल ने बनाया था या नहीं। पद क्रमांक 126 में बताया है कि उसकी उज्ज्वल से कभी कोई बात नहीं हुई, इसलिए उसने, उसे कथित पीले रंग की पर्ची प्राप्त होने के बारे में नहीं बताया था, राजू व रितेश को पीले रंग की पर्ची प्राप्त होने की जानकारी उसे सोशल मीडिया व समाचार–पत्रों से प्राप्त हुई थी, यह भी स्वीकार किया है कि उसने ऐसे कोई सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट व समाचार–पत्र प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किए हैं, यह भी बताया है कि राजू व रितेश से उसकी कभी कोई मुलाकात नहीं हुई, न ही उन्होंने उसे कभी कोई बात बताई। पद क्रमांक 127 में यह स्वीकार किया है कि पीले रंग की पर्ची के संबंध में उसने या अनावेदक क्रमांक 05 ने कोई शिकायत नहीं की। प्रदर्श पी–21 की शिकायत के बाद पुलिस ने क्या कार्यवाही की, इसकी उसे जानकारी नहीं है।

183:– आवेदक साक्षी उज्ज्वल फणसे (आ0सा0–02) ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि दिनांक 03.07.2022 को रात्रि करीब 10.00 बजे वह नार्थतोड़ा में उसके मित्र राजू के घर के बाहर नीतेश के साथ खड़ा था, चुनाव का समय था, उस समय वहॉ पर कॉग्रेस के प्रत्याशी सुनहरा अंसाफ अंसारी, जुल्फिकार एवं रूपकिरण चावला नामक व्यक्तियों ने आकर उन्हें पर्चियॉ देकर कहा कि उनके पक्ष में मतदान करना एवं पर्ची दिखाकर लुकमान सुलेमान की सियागंज स्थित किराने की दुकान से किराना प्राप्त

कर लेना। उनके द्वारा पर्चियॉ रख ली गईं, फिर सुबह सियागंज स्थित उक्त किराने की दुकान पर गए, तो वहॉ पर भीड़ लगी हुई थी और उक्त दुकान वाले द्वारा पर्चियॉ लेकर राशन दिया जा रहा था, उन्होंने भी पर्ची देकर राशन मुफ्त में प्राप्त किया, उनके द्वारा उक्त राशन लिए जाने की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई, जिसके आधार पर उसके द्वारा सी0डी0 (प्रदर्श पी–28) तैयार की गई, उक्त सी0डी0 के संबंध में उसके द्वारा धारा 65–बी का प्रमाण–पत्र (प्रदर्श पी–29) दिया गया, उसके बाद उसके द्वारा पुलिस को लिखित शिकायत की गई, जिस पर से प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–21) पंजीबद्ध की गई, पुलिस ने उसके समक्ष उक्त किराने की दुकान से पर्चियॉ एवं राशन जप्त कर दुकानदार को भी थाने पर बुलाया था।

184:– आवेदक साक्षी उज्जवल फणसे ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 03 में बताया है कि उसे आज न्यायालय में बयान देने हेतु किसी ने नहीं कहा, उसे जानकारी लगी तो वह बयान देने आ गया, वह कोर्ट में था, तो उसके नाम की पुकार लगी तो उसे लगा कि उसे ही बुलाया गया है, इसलिए वह बयान देने आ गया, उसने न्यायालय के रीडर महोदय से पूछा था कि उसके नाम की पुकार लगी है, फिर रीडर ने बताया कि चुनाव याचिका में उसके नाम की पुकार लगी थी, तो वह मामले में उपस्थित हुआ और न्यायालय में पीठासीन अधिकारी महोदय से बयान देने हेतु निवेदन किया। इसी पद में आगे बताया है कि उसे प्रकरण में आज के पहले कभी न्यायालय में आने का काम नहीं पड़ा, उसे इफ्तेखार अंसारी ने सदर प्रकरण की कोई तिथि भी नहीं बताई थी, उसे प्रकरण का कोई न्यायालयीन समंस प्राप्त नहीं हुआ। यह स्वीकार किया है कि वह वकालत करता है और न्यायालय परिसर में ही रहता है, इसलिए पुकार लगने पर उसे जानकारी हो गई थी और बयान देने आ गया, अन्यथा उसे प्रकरण की कोई जानकारी नहीं होती, न ही बयान देने आता।

185:– आवेदक साक्षी उज्जवल फणसे ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 04 में बताया है कि उसे जानकारी नहीं है कि उसके निवास 6, पंडित दीनदयान भवन, जावरा कम्पाउण्ड, जिला इन्दौर, शहर इंदौर के वार्ड क्रमांक 55 का क्षेत्र है, उसे यह भी जानकारी नहीं है कि उसका निवास का पता वार्ड क्रमांक 60 में आता है या नहीं। पद क्रमांक 05 में यह स्वीकार किया है कि वह नगर पालिक निगम निर्वाचन वर्ष 2022 में महापौर अभ्यर्थी के रूप में गणक अभिकर्ता वार्ड क्रमांक 50 से 61 के लिए नियुक्त था। पद क्रमांक 06 में यह कहा है कि वह भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का समर्थक है, सदस्य नहीं है। यह स्वीकार किया है कि उसने उसके फेसबुक खाते पर एम0पी0 के मन में मोदी शीर्षक से उसके एवं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के फोटोवाला एक पोस्ट अपडेट किया था, उसने दिनांक 06.04.2024 को विश्व के सबसे बड़े राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी के स्थापना दिवस की समस्त देशवासियों व निष्ठावान कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएँ उल्लेखित करते हुए उसके, मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी एवं भारतीय जनता पार्टी शहर अध्यक्ष गौरव रणदिवे के फोटो के साथ एक पोस्ट भी अपडेट की थी, यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 28.03.2024 को वह लोकसभा चुनाव प्रबंधन समिति भारतीय जनता पार्टी की बैठक हेतु उपमुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा के साथ बैठक में उपस्थित हुआ था, यह भी स्वीकार किया है कि दिनांक 06.03.2024 को भारतीय जनता पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव प्रबंधन समिति में उसे तथा मनोहर मेहता, निमेश पाठक एवं भूपेन्द्र कुशवाह को न्यायिक कार्य हेतु पार्टी की ओर से मनोनीत किया गया था।

186:– आवेदक साक्षी उज्ज्वल फणसे ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 07 में यह स्वीकार किया है कि उसने दिनांक 06.07.2022 को शीर्षक ''समझदार बनिए, सही चुनिए, उसे अपने शहर से प्यार है, इसे कॉग्रेस के हाथों में नहीं सौंपा जा सकता'', से एक पोस्ट अपलोड की

थी। यह जानकारी नहीं होना बताया है कि उसने दिनांक 06.07.2022 को ही एक पोस्ट ''मेरा मतदान कमल निशान'' शीर्षक से अपलोड की थी। पद क्रमांक 08 में कथन किया है कि वह इफ्तेखार अंसारी को नहीं जानता है, वह यास्मीन अंसारी को भी नहीं जानता है, उसे यास्मीन अंसारी एवं इफ्तेखार अंसारी से कभी मिलने का काम नहीं पड़ा, प्रदर्श पी–28 की सी0डी0 उसके द्वारा प्रकरण में पेश नहीं की गई है, सी0डी0 पुलिस को दी थी, वह प्रदर्श पी–28 की सी0डी0 को देखकर यह नहीं बता सकता कि यह वही सी0डी0 है, जो उसने पुलिस को दी थी, उक्त सी0डी0 की क्लिपिंग बनाने संबंधी जानकारी केवल पुलिस को दी थी, उसके अलावा किसी को नहीं दी थी, उसने प्रदर्श पी–29 का प्रमाण–पत्र न्यायालय में पेश नहीं किया था, प्रमाण–पत्र पुलिस को दिया था तथा पुलिस द्वारा ही तैयार कराया गया था, फिर उसे पढ़कर, समझकर उस पर हस्ताक्षर किए थे।

187:– आवेदक साक्षी उज्जवल फणसे ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 09 में बताया है कि उसे राजू नानैरिया के पिता का नाम आज याद नहीं है, नीतेश के पिताजी का भी नाम आज याद नहीं है, उनके निवास का पता भी आज याद नहीं। यह भी कथन किया है कि उसके निवास पर कोई भी कॉग्रेसी कार्यकर्ता राशन पर्ची, शराब, नोट इत्यादि देने नहीं आया था, यदि उसके द्वारा की गई पुलिस शिकायत में उसके निवास पर पर्ची बांटने आने का लिखा हो तो उसे भी गलत नहीं बोल सकते। यह भी कथन किया है कि उसके द्वारा जो वीडियो क्लिपिंग बनाना बताया गया है, वह दिनांक 04.07.2022 को ही बनाना बताया है, दिनांक 03.07.2022 को उसके द्वारा कोई वीडियो क्लिपिंग नहीं बनाई है। पद क्रमांक 10 में बताया है कि उसके द्वारा बनाई गई क्लिपिंग में सुनहरा अंसाफ अंसारी एवं उनके पति अंसाफ अंसारी दिखाई नहीं देते हैं, यह स्वीकार किया है कि उक्त क्लिपिंग में वह भी दिखाई नहीं देता है, उक्त क्लिपिंग में जो उसके द्वारा दिनांक 04.07.2022 को बनाई गई है, में दो पुरूष और एक महिला ही दिखाई देती

है।

188:— आवेदक साक्षी उज्जवल फणसे ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 11 में बताया है कि उसके द्वारा पर्ची प्राप्त करने एवं उक्त पर्ची से लोगों द्वारा राशन ले जाने संबंधी कोई पब्लिक पंचनामा उसने या उसके साथ के लोगों ने नहीं बनाया है, स्वतः कहा कि पुलिस ने बनाया है।

189:— उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता एवं उसके साक्षी उज्ज्वल फणसे के कथनों का अवलोकन किया जाए, तब साक्षी याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी का कथन राशन हेतु पीली पर्ची बांटने या राशन प्राप्त करने के संबंध में प्रत्यक्षदर्शी का नहीं है, उसके द्वारा बताए गए किसी साक्षी द्वारा उसे प्रत्यक्ष भी नहीं बताया गया, उसके द्वारा सोशल मीडिया एवं अखबारों में उपरोक्त जानकारी प्राप्त की, उसने साक्षी उज्ज्वल फणसे से सी0डी0 एवं धारा 65—बी का प्रमाण—पत्र लेकर प्राप्त करना बताया है, लेकिन इस तथ्य से उज्ज्वल फणसे द्वारा इंकार किया गया है, उसने यह बताने में असमर्थता प्रकट की है कि न्यायालय में प्रस्तुत की गई सी0डी0 और प्रमाण—पत्र देखकर वह नहीं बता सकता कि वही हैं, जिसे उसने बनाया था। इस प्रकार साक्षी उज्ज्वल फणसे के अनुसार वह याचिकाकर्ता को पहचानता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में सी0डी0 की अभिरक्षा एवं प्रमाण—पत्र प्रदाय किया जाना प्रश्नगत हो जाता है। सी0डी0 की विषय—वस्तु के संबंध में कोई जॉच भी शासकीय या अशासकीय प्रयोगशाला से नहीं कराई गई।

190:— साक्षी उज्ज्वल फणसे के कथन से दर्शित है कि उसके द्वारा बनाई गई क्लिपिंग में सुनहरा अंसारी एवं उसके पति अंसाफ अंसारी दिखाई नहीं देते हैं, स्वतः कहता है कि जुल्फीकार हुसैन दिखाई देते हैं, यह जुल्फीकार हुसैन अनावेदक क्रमांक 01 से किस प्रकार संबंधित हैं, यह दर्शित नहीं किया गया है, साक्षी उज्ज्वल फणसे के साथ राजू एवं नितेश की उपस्थिति बताई गई है, लेकिन उज्ज्वल फणसे ने उनके पिता का नाम, निवास स्थान आदि की कोई जानकारी नहीं दी, वीडियो क्लिपिंग

दिनांक 04.07.2022 को बनाना बताया है, जबकि प्रस्तुत की गई वीडियो क्लिपिंग दिनांक 03.07.2022 की होना दर्शित है। इसके अलावा साक्षी उज्ज्वल फणसे के कथन से स्पष्ट है कि वह भारतीय जनता पार्टी का समर्थक एवं प्रचारक है, लेकिन उसने उक्त तथ्य छिपाने का भी प्रयास किया है, लेकिन प्रतिपरीक्षण से स्पष्ट हुआ है कि वह भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करने वाला है, जो कि अनावेदक क्रमांक 01 के चुनाव में प्रतिद्वंदी पार्टी थी। अतः उसे स्वतंत्र वार्ड निवासी साक्षी नहीं कहा जा सकता, जो यह दर्शित कर सके कि राशन वितरण के कारण मतदान के संबंध में उसके मन और मस्तिष्क पर कोई प्रभाव पड़ा।

191:– साक्षी उज्ज्वल फणसे के प्रतिपरीक्षण के पद क्रमांक 03 से दर्शित है कि वह आवेदक को नहीं जानता, फिर भी आवाज लगने पर स्वतः ही न्यायालय में आ पहुँचा और न्यायालय से निवेदन कर साक्ष्य भी प्रस्तुत कर दी। उपरोक्त तथ्य अत्यन्त अस्वाभाविक प्रकृति के प्रतीत होते हैं और यह दर्शित करते हैं कि यह साक्षी जान–बूझकर तथ्यों को छिपा रहा है, उसने याचिकाकर्ता से सहयुक्त होकर सी0डी0 तैयार कर याचिकाकर्ता को दी है, दोनों ही अनावेदक क्रमांक 01 के विरोधी होना दर्शित है, सी0डी0 में अनावेदक क्रमांक 01 या उसके नियुक्त अभिकर्ता पति का कोई संबंध होना दर्शित नहीं है।

192:– उपरोक्त प्रकार का राशन वितरण संबंधी कार्य किसी के भी द्वारा किया जा सकता है तथा उसका वीडियो बनाया जा सकता है। राजनैतिक प्रतिद्वंदता के चलते प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–21) का दर्ज कराया जाना याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई तात्विक परिस्थिति उत्पन्न नहीं करता है और चुनाव के समय इस प्रकार एक–दूसरे पर आक्षेप लगाना स्वाभाविकतः होता है। अतः आक्षेप के संबंध में प्रस्तुत की गई साक्ष्य पूर्णतः आधारहीन प्रकृति की होना दर्शित होती है। अतः अनावेदक क्रमांक 01 के दूषित आचरण के संबंध में उपरोक्त आधार भी प्रमाणित नहीं होता है।

(v) निर्वाचन अधिकारी की अनुमति के बिना सभाओं का संचालन तथा शासकीय सम्पत्ति पर लाउण्ड स्पीकर का उपयोग :–

193:– उपरोक्त सन्दर्भ में याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी (आ0सा0–01) ने अपने मुख्य परीक्षण के पद कमांक 21 में बताया है कि दिनांक 02.07.2022 को अनावेदक कमांक 01 द्वारा साउथतोड़ा, इन्दौर पर आमसभा किए जाने की अनुमति ली थी, जिसमें अनावेदक कमांक 01 द्वारा नियम के विरूद्ध पॉच लाउड स्पीकर शासकीय खम्बों पर लगाए थे, जिसकी शिकायत नदीम अंसारी द्वारा वीडियो, सी0डी0 बनाकर निर्वाचन अधिकारी एवं पुलिस थाना रावजीबाजार, इंदौर पर की गई थी, जिस पर प्रथम सूचना रिपोर्ट कमांक 340/2022 अनावेदक कमांक 01 के विरूद्ध पंजीबद्ध की गई थी। मुख्य परीक्षण के पद कमांक 22 में बताया है कि उक्त प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–22) है, अनावेदक कमांक 01 का कृत्य निर्वाचन नियमों का अपालन है, इस कारण से भी अनावेदक कमांक 01 का निर्वाचन शून्य घोषित किए जाने योग्य है।

194:– याचिकाकर्ता इफ्तेखार अंसारी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पद कमांक 136 में प्रकट किया है कि उसने आमसभा करने की अनुमति नहीं देखी है, उसने इस संबंध में रिटर्निंग अधिकारी से रिकॉर्ड लेने का प्रयास नहीं किया, उक्त पद में ही यह जानकारी न होना बताया है कि लाउड स्पीकर लगाने का कार्य टेन्ट हाउस या इलेक्ट्रिकल फर्म द्वारा किया जाता है या नहीं, उसके द्वारा अपने मुख्य परीक्षण व याचिका में जो सरकारी खम्बों पर पॉच लाउड स्पीकर लगाने का उल्लेख किया है, वे लाउड स्पीकर अनावेदक कमांक 01 ने लगाए थे। पद कमांक 137 में यह जानकारी नहीं होना बताया है कि अनावेदक कमांक 01 द्वारा लाउड स्पीकर लगवाने संबंधी खर्च का कोई विवरण रिटर्निंग अधिकारी को दिया है या नहीं, यह स्वीकार किया है कि उसने ऐसी जानकारी लेने का प्रयास नहीं किया है।

195:– उपरोक्तानुसार याचिकाकर्ता द्वारा अनावेदक क्रमांक 01 की आमसभा दिनांक 02.07.2022 में लाउड स्पीकर शासकीय खम्बों पर लगाए जाने की साक्ष्य प्रस्तुत की है, साक्षी ने समर्थन में उक्त दिनांक को हुई आमसभा के संबंध में कोई जानकारी प्रस्तुत नहीं की, उक्त दिनांक को शासकीय खम्बों पर लाउड स्पीकर लगे हुए थे, इस तथ्य की पुष्टि हेतु वीडियो बनाया जाना प्रकट किया है, लेकिन ऐसा कोई वीडियो प्राप्त कर इस प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया। नदीम अंसारी द्वारा बनाया गया वीडियो निर्वाचन अधिकारी या थाना रावजीबाजार, इंदौर से प्राप्त कर या तलब करवाकर प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श पी–22) का दर्ज होना मात्र याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। संबंधित शिकायतकर्ता ओमप्रकाश पिता मुंशीलाल का कथन इस प्रकरण में लेखबद्ध नहीं कराया गया है, अतः उपरोक्त आरोप को प्रमाणित मानने के लिए पर्याप्त परिस्थितियॉं अभिलेख पर नहीं हैं।

196:– अतः यह निष्कर्ष है कि अनावेदक क्रमांक 01 द्वारा दिनांक 02.07.2022 को आयोजित की गई आमसभा में शासकीय सम्पत्ति पर लाउड स्पीकर लगाकर अनुमति का उल्लंघन किया जाना प्रमाणित नहीं किया गया है।

<u>निष्कर्ष</u> :–

197:– उपरोक्तानुसार वाद प्रश्न क्रमांक 04 के संबंध में अनावेदक क्रमांक 01 के द्वारा दूषित आचरण कर चुनाव परिणाम को प्रभावित किए जाने के संबंध में जो पॉंच आधार लिए गए हैं, उनमें से कोई भी आधार को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त एवं संतोषजनक साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है। अतः यह निष्कर्ष है कि वाद प्रश्न क्रमांक 04 याचिकाकर्ता की साक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है।

वाद प्रश्न क्रमांक 05 :—

198:— पूर्वोक्तानुसार वाद प्रश्न क्रमांक 01 के निराकरण से यह प्रमाणित हुआ है कि प्रत्यर्थी/अनावेदक क्रमांक 01 मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, निर्वाचन वर्ष 2022 में वार्ड क्रमांक 60 इंदौर की पार्षद चुने जाने के लिए आर्हता नहीं रखती थी। अधिनियम की धारा 441—ख(1)(क) के अनुसार यदि निर्वाचित उम्मीदवार महापौर या पार्षद चुने जाने के लिए आर्हता नहीं रखता है, धारा 441—ख(1)(ख) के अनुसार यदि निर्वाचित उम्मीदवार या उसके कार्य प्रतिनिधि द्वारा अथवा उनकी सहमति से कोई दूषित व्यवहार किया गया है, धारा 441—ख(1)(घ)(4) के अनुसार अधिनियम या उसके अधीन बनाए नियमों या आदेशों के उपबंधों का पालन करता है और उससे चुनाव पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, तो न्यायालय निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित करेगा।

199:— याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त **Mangoo Singh Vs. Election Tribunal, Bareilly and others, 1957 SCC Online SC 36** में यह प्रतिपादित किया गया है कि डिमाण्ड का अर्थ क्लेम और देय होने से है, नोटिस भेजा जाना अनिवार्यता नहीं है। पश्चात्वर्ती ऐरियर का भुगतान किया जाना भी पूर्ववर्ती नाम निर्देशन—पत्र में दी गई जानकारी के आधार पर उत्पन्न हुई अयोग्यता को प्रभावित नहीं करता है।

200:— याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त **Poonam Vs. Dule Singh and others, (2026) 2 SCC 732** में यह प्रतिपादित किया गया है कि जहॉ निर्वाचित उम्मीदवार द्वारा अपने धारा 138 परक्राम्य लिखत अधिनियम की दोषसिद्धि को प्रकट नहीं किया है, वहॉ उसे तथ्यों के छिपाव के रूप में माना गया। चुनाव का फ्री एण्ड फेयर होने के लिए उक्त जानकारी का दिया जाना आधारभूत आवश्यकता है। मतदाताओं का यह अधिकार है कि वे उम्मीदवार के बारे में सभी जानकारियॉ प्राप्त कर सकें। उम्मीदवार को अपूर्ण जानकारी या तथ्यों के छिपाव करने की अनुमति नहीं

दी जा सकती।

201:– याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त **Kisan Shankar Kathore Vs. Arun Dattatray Sawant and others, (2014) 14 SCC 162** में यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि शपथ–पत्र में महत्वपूर्ण जानकारी स्वयं उम्मीदरवार एवं उसके या उसके पति की सम्पत्ति आदि तथ्यों को प्रकट नहीं किया गया है तथा अपूर्ण जानकारी दी गई है, वहॉ यह निर्धारित किया जा सकता है कि नॉमिनेशन को अनुचित रूप से स्वीकृत किया गया गया है।

202:– याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त **S. Rukmini Madegowda Vs. State Election Commission and others, (2022) 18 SCC 1** में यह प्रतिपादित किया गया है कि शपथ–पत्र में सम्पत्ति का प्रकटीकरण नहीं किया जाना दूषित व्यवहार के अंतर्गत आएगा तथा उसके आधार पर अयोग्यता निर्धारित की जावेगी।

203:– अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त **Ajmera Shyam Vs. Kova Laxmi And others, (2026) 3 SCC 373** में यह निर्धारित किया गया है कि जहॉ निर्वाचित उम्मीदवार ने अपनी अंतिम चार वर्ष की आय की घोषणा नहीं की है और इस संबंध में शपथ–पत्र के कॉलम में निरंक लिखा है, वहॉ उसे तात्विक डिफेक्ट के रूप में एवं नाम निर्देशन–पत्र को अस्वीकार करने के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उक्त न्यायदृष्टान्त में अयोग्यता के प्रमाणन के संबंध में सावधानियों के संबंध में भी सिद्धान्त प्रतिपादित किए हैं।

204:– अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त **Mangani Lal Mandal Vs. Bishnu Deo Bhandari, (2012) 3 SCC 314** में यह प्रतिपादित किया गया है कि न्यायालय को यह निष्कर्ष दिया जाना है कि तथ्यों की जानकारी नहीं देने से चुनाव पर क्या प्रभाव पड़ा है, यदि इस

संबंध में कोई अभिवचन याचिका में नहीं है, इस संबंध में कोई वादप्रश्न विरचित नहीं है और न ही कोई साक्ष्य है, तब संभावनाओं के आधार पर निष्कर्ष लिया जाना संभव नहीं हो सकता।

205:— अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त **Resurgence India Vs. Election Commission of India and another, (2014) 14 SCC 189** में यह प्रतिपादित किया गया है कि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत मतदाता को यह अधिकार है कि वह अपने चुने जाने वाले प्रत्याशी के बारे में जानकारी प्राप्त करे। शपथ—पत्र में उक्त संबंध में जानकारी देना अनिवार्य है तथा जानकारी प्रस्तुत नहीं की जाती, तब निर्वाचन अधिकारी द्वारा उसे इस बाबत् बाध्य किया जा सकता है। यदि अभ्यर्थी शपथ—पत्र के कॉलम को भरने में असफल रहता है, तब निर्वाचन अधिकारी ऐसे नॉमिनेशन को रद्द कर सकता है। अभ्यर्थियों से अपेक्षा होती है कि वे शपथ—पत्र का कोई भी कॉलम खाली न छोड़ें, उसमें 'निरंक या लागू नहीं' आवश्यक रूप से समाविष्ट करें।

206:— अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त **Vashist Narain Sharma Vs. Dev Chandra and others, (1954)2 SCC 32** में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि नाम निर्देशन—पत्र के गलत रूप से स्वीकार किए जाने के संबंध में चुनाव याचिकाकर्ता पर यह भार है कि वह प्रमाणित करे कि उससे चुनाव प्रभावित हुआ था, केवल अनुमान या अंदाजे के आधार पर उपरोक्त निष्कर्ष न्यायालयों द्वारा नहीं लगाए जा सकते हैं। सारतः समान सिद्धान्त न्यायदृष्टान्त **Shiv Charan Singh Vs. Chandra Bhan Singh, (1988) 2 SCC 12** में प्रतिपादित किए हैं।

207:— अनावेदक क्रमांक 01 की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त **Ashok Jaiswal Vs. Sudhir and others, 2011 (III) MPWN 4** में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह प्रतिपादित किया गया है कि यदि मध्यप्रदेश नगर

पालिक अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित नहीं किया गया है तथा चुनाव उसके कारण प्रभावित हुआ है, नियम 24–ए के तहत प्रस्तुत किए गए शपथ–पत्र की जॉच निर्वाचन अधिकारी को करने की आवश्यकता नहीं है। यदि शपथ–पत्र में जानकारी सही नहीं है, तब याचिकाकर्ता को चुनाव की वैधता को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। यदि याचिकाकर्ता निर्वाचित उम्मीदवार के शपथ–पत्र में दी गई असत्य जानकारी से व्यथित है, तब उसे दण्डित कराने का अधिकार है।

208:– उपरोक्तानुसार उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत किए गए समस्त न्यायदृष्टान्तों का परिशीलन किया गया तथा उनमें प्रतिपादित सिद्धान्तों को विचार में लिया गया। अनावेदिका क्रमांक 01 ने नगर निगम पार्षद हेतु अभ्यर्थी के रूप में अपना नामांकन पत्र प्रस्तुत किया।

209:– नगर पालिक निगम का मुख्य कार्य निवासियों से टैक्स प्राप्त कर उसके आधार पर शहर का विकास करना एवं स्वच्छ रखना है, कर प्राप्त करने के लिए परिषद द्वारा ही निर्णय लिए जाते हैं, उक्त स्थिति में पार्षद पद पर चुने जाने के लिए उम्मीदवार से यह एक सामान्य अपेक्षा होती है कि वह नगर पालिक नियमों का पालन उचित ढंग से करेगा। पार्षद पद के उम्मीदवार द्वारा कर का छिपाव एक गम्भीरतम कृत्य है। यदि कर बकाया की जानकारी शपथ–पत्र में प्रकट की जाती, तब स्वाभाविक रूप से मतदाताओं का निर्णय विपरीत होता। उक्त संबंध में याचिका में अभिवचन भी हैं तथा साक्ष्य भी अभिलेख पर है।

210:– इस प्रकरण में अनावेदिका क्रमांक 01 ने देयता अधिक होने के बाद भी कम राशि जमा करके नो–ड्यूज प्रमाण–पत्र बनवाए हैं तथा बाद में पत्र आदि स्वयं के पक्ष समर्थन हेतु प्राप्त किए हैं। अतः उक्त तथ्य एवं परिस्थितियों में यह निष्कर्ष सुरक्षित रूप से लिया जा सकता है कि अनावेदिका क्रमांक 01 के कृत्य के कारण चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ

है।

211:– वर्तमान प्रकरण में यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि निर्वाचित उम्मीदवार या उसके कार्य प्रतिनिधि या उनकी सहमति से कोई दूषित व्यवहार किया गया है, लेकिन यह प्रमाणित हुआ है कि अधिनियम की धारा 17(1)(i) के अनुसार नगर पालिक निगम, इंदौर को देय कर बकाया होने से अनावेदिका कमांक 01 पार्षद चुने जाने हेतु आर्हता नहीं रखती थी। साथ ही अधिनियम के तहत बनाए गए नगर पालिक निर्वाचन नियम, 1994 के नियम 24–क के अनुसार स्वयं एवं पति की जंगम या स्थावर सम्पत्ति की घोषणा एवं दायित्व की जानकारी देने में तथ्यों का छिपाव किया।

212:– अतः अधिनियम की धारा 441–ख(1)(क) एवं धारा 441–ख(1)(घ)(4) के अनुसार प्रत्यर्थी कमांक 01 का नगर पालिक निगम, इंदौर में वार्ड कमांक 60 के पार्षद पद का निर्वाचन शून्य घोषित किए जाने योग्य है। अतः वाद प्रश्न कमांक 05 का निराकरण ''प्रमाणित'' के रूप में किया जाता है।

वाद प्रश्न कमांक 06 :

213:– प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि इंदौर नगर पालिक निगम महापौर एवं पार्षदों का चुनाव दिनांक 06.07.2022 को सम्पन्न हुआ, जिसमें अनावेदिका कमांक 01 को 4,987 मत प्राप्त हुए तथा अनावेदिका कमांक 05 को 4,211 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार अनावेदिका कमांक 01 को 776 अधिक मत प्राप्त हुए। अतः अनावेदिका कमांक 01 को निर्वाचित घोषित किया गया। उक्त चुनाव में कुल पॉच प्रत्याशी थे, उक्त संबंध में अभ्यर्थियों की सूची (प्रदर्श पी–02) एवं निर्वाचन घोषणा–पत्र (प्रदर्श पी–03) प्रस्तुत किया गया है।

214:– स्वीकृत रूप से याचिकाकर्ता, अनावेदिका कमांक 05 का पति रहा है, उसने अनावेदिका कमांक 05 को उपविजेता होने के आधार पर विजयी प्रत्याशी घोषित करने की सहायता चाही है। उपरोक्त सन्दर्भ

में याचिकाकर्ता के कथन का अवलोकन किया जाए, तो उसने इस संबंध में कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया कि अनावेदिका कमांक 05 को क्यों विजयी पार्षद घोषित किया जावे, अर्थात् याचिकाकर्ता अनावेदिका कमांक 01 के चुनाव परिणाम को शून्य घोषित करने की अनुषांगिक सहायता के रूप में द्वितीय सहायता को प्राप्त करना चाहता है।

215:– अनावेदक कमांक 01 की ओर से प्रस्तुत न्यायदृष्टान्त **Prakash Khandre Vs. Dr. Vijay Kumar Khandre and others, (2002) 5 SCC 568** के पद कमांक 14 एवं 24 में निम्नानुसार सिद्धान्त प्रतिपादित किए गए हैं कि :–

> "**14.** However, in an election where elected candidate is declared to be disqualified to contest election and there are more than two candidates contesting election, there is no specific provision under the Act under which the person who has secured the next highest number of votes could be declared as elected The Act is silent on this point. Further, it cannot be presumed that the votes secured by the disqualified elected candidates would have been wasted or would have been secured by the next candidate who has secured more votes. If disqualified candidate was not permitted to contest the election then how the voters would have voted in favour of the candidate who has secured more votes than other remaining candidates would be a question in the realm of speculation and unpredictability. In such a situation, declaring the election of the returned candidate on the ground of his initial disqualification to contest the election by itself would not entitle the election petitioner or any other candidate to be declared elected.
>
> **24.** In view of the aforesaid settled legal position, in our view, the impugned order passed by the High Court

declaring the election petitioner as elected on the ground that the votes cast in favour of elected candidate (appellant) are thrown away was totally erroneous and cannot be justified. As held by the Constitution Bench in Konappa's case that some general rule of election law prevailing in the United Kingdom that the votes cast in favour of a person who is found disqualified for election may be regarded as 'thrown away' only if the voters had noticed before the poll the disqualification of the candidate, has no application in our country and has only merit of antiquity. We would observe that the question of sending such notice to all voters appears to us alien to the Act and the Rules. But that question is not required to be dealt with in this matter. As stated earlier, in the present case for one seat, there were five candidates and it would be impossible to predict or guess in whose favour the voters would have voted if they were aware that elected candidate was disqualified to contest election or if he was not permitted to contest the election by rejecting his nomination paper on the ground of disqualification to contest the election and what would have been voting pattern. Therefore, order passed by the High Court declaring the election petitioner Dr. Vijay Kumar Khandre as elected requires to be set aside."

216:– उपरोक्त न्यायदृष्टान्त में प्रतिपादित सिद्धान्त को माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **Rekha Choudhary Vs. Suman Ahirwar and others, 2013 SCC Online MP 4915 and Smt. Nisha Devliya Vs. Smt. Nandini and others, Civil Revision No. 207/2024, Order dated 19-12-2025 (MPHC At Indore)** में समान रूप से लागू करते हुए उपविजेता को निर्वाचित घोषित करने के आदेश को उचित नहीं पाया है।

217:— उपरोक्तानुसार यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित किए जाने के परिणामस्वरूप ही उपविजेता निर्वाचित घोषित नहीं हो जाता है, इस संबंध में याचिकाकर्ता पर यह प्रमाण भार है कि वह सकारात्मक रूप से साक्ष्य द्वारा यह प्रमाणित करे कि यदि निर्वाचित उम्मीदवार ने चुनाव नहीं लड़ा होता तो दावेदार को वास्तव में निर्वाचित उम्मीदवार के पक्ष में डाले वैध मतों का बहुमत प्राप्त हो जाता। वर्तमान प्रकरण में ऐसी कोई भी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं है और न ही ऐसी किसी संभावना का अनुमान इस न्यायालय द्वारा लगाया जाना संभव है।

218:— अतः इस न्यायालय की राय में उपविजेता अनावेदिका कमांक 05 को वार्ड कमांक 60 के पार्षद पद पर निर्वाचित होने की घोषणा किया जाना संभव नहीं है। अतः वाद प्रश्न कमांक 06 का निष्कर्ष ''प्रमाणित नहीं'' के रूप में दिया जाता है।

<u>वाद प्रश्न कमांक 07</u> :—

219:— उक्त वाद प्रश्न अनावेदिका कमांक 01 की इस आपत्ति पर आधारित है कि अधिनियम, 1956 की धारा 16 एवं 17 के प्रावधान वर्तमान प्रकरण पर लागू नहीं होते हैं, साथ ही विजयी उम्मीदवार के अतिरिक्त अन्य प्रत्याशियों को तभी सम्मिलित किया जा सकता है, जब याचिकाकर्ता ने स्वयं को निर्वाचित घोषित करने की सहायता चाही हो, किसी अन्य के लिए ऐसी याचिका प्रस्तुत करने की पात्रता अन्य को नहीं है, प्रकरण में पक्षकारों के असंयोजन की भी बाधा है, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया है, इसके अलावा धारा 441(अ) में वर्णित कोई आधार अभिलेख पर नहीं हैं तथा नियम, 1994 के अनुसार कथित अनियमितता के आधार पर चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती, नाम निर्देशन—पत्र को स्वीकार या प्रतिक्षेपित करने का अधिकार रिटर्निंग ऑफिसर को है, अनावेदक कमांक 04 व 05 से दुरभि संधि कर उन्हें पक्षकार बनाकर प्रकरण प्रस्तुत किया है।

220:— उपरोक्तानुसार समस्त आधारों पर विचार किया गया, लेकिन अनावेदिका क्रमांक 01 द्वारा प्रस्तुत किए गए आधारों में से कोई भी ऐसा आधार नहीं है, जो प्रस्तुत याचिका को विधि द्वारा वर्जित निर्धारित करने के लिए पर्याप्त रहा हो। अतः निष्कर्ष है कि वर्तमान याचिका मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम, 1956 के किसी भी प्रावधान से वर्जित नहीं है।

<u>वाद प्रश्न क्रमांक 08</u> :—

221:— उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 441—ख में वर्णित आधारों में से पूर्व उल्लेखित आधारों पर अनावेदक क्रमांक 01 का निर्वाचन व नाम निर्देशन पत्र शून्य घोषित कराने का तथ्य प्रमाणित करने में सफल रहा है। फलतः याचिकाकर्ता की चुनाव याचिका आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किया जाता है :—

(क) नगर पालिक निगम, इंदौर के निर्वाचन दिनांक 06.07.2022 के संबंध में शहर इंदौर के वार्ड क्रमांक 60 के लिए अनावेदक क्रमांक 01 सुनहरा अंसाफ अंसारी द्वारा प्रस्तुत नाम निर्देशन पत्र शून्य घोषित किया जाता है।

(ख) नगर पालिक निगम, इंदौर के निर्वाचन दिनांक 06.07.2022 के पश्चात् शहर इंदौर के वार्ड क्रमांक 60 के संबंध में निर्वाचन घोषणा दिनांक 17.07.2022 (प्रदर्श पी—03) के माध्यम से अनावेदक क्रमांक 01 सुनहरा अंसाफ अंसारी को जो पार्षद पद के लिए निर्वाचित घोषित किया गया था, इस आदेश द्वारा उक्त निर्वाचन को शून्य घोषित किया जाता है।

(ग) अनावेदक क्रमांक 01 स्वयं एवं अन्य पक्षकारगण का इस याचिका में हुआ व्यय वहन करेगी।

(घ) अधिवक्ता शुल्क रूपए 5,000/– (पॉच हजार) निर्धारित किया जाता है।

(ड़) आदेश की एक–एक प्रति जिलाधीश/जिला निर्वाचन अधिकारी, इंदौर व आयुक्त, नगर पालिक निगम, इंदौर को आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित की जावे।

आदेश खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन में टंकित किया गया

सही/–
(विनोद कुमार शर्मा)
बाईसवें जिला न्यायाधीश
इन्दौर (म0प्र0)

सही/–
(विनोद कुमार शर्मा)
बाईसवें जिला न्यायाधीश
इन्दौर (म0प्र0)

Typed by
Jitendra Kumar Gaur, P.A.

VINOD KUMAR SHARMA
Digitally signed by VINOD KUMAR SHARMA
Date: 2026.07.17 18:32:08 +0530